खण्ड १ — अंक ७
२८ फरवरी, १९५६, (मंगलवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XII Session)

(खण्ड १ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

चार आने या २५ नये पैसे (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

(खण्ड १—अंक १ से २०—१७ फरवरी से १५ मार्च, १९५६ तक)

अंक १—शुक्रवार, १७ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४१ से ४६, ४८ से ५३, ५५ से ६० — १–२१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ — २१–२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से २८, ३० से ४०, ४७, ६१ से ७२ — २३–४०

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २९ — ४०–४८

दैनिक संक्षेपिका ... — ४९–५२

अंक २—सोमवार, २० फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७३ से ७६, ७८, ७९, १०१, ८०, ८२ से ८५, ८७ से ९१ ... — ५३–७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७७, ८६, ९२ से १००, १०२ से १०७ — ७४–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३० से ४८ — ७९–८४

दैनिक संक्षेपिका — ८५–८६

अंक ३—मंगलवार, २१ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०८, ११०, १११, ११३, ११५, ११६, ११८, १२१ से १२६ और १२८ से १३१ — ८७–११०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०९, ११२, ११४, ११७, ११९, १२०, १२७, १३२ से १३४, १३६ से १४० और १४२ से १४९ — ११०–१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९ से ५५, ५७ से ६४ — ११७–२२

दैनिक संक्षेपिका — १२३–२४

पृष्ठ

अंक ४--बुधवार, २२ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५० से १५३, १५५, १५६, १६२ से १६८, १७१ से १७४, १७६, १७७, १७९ से १८२, १५४ और १६० १२५–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५७ से १५९, १६१, १६९, १७० और १७८ ... ... १४७–४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५ से ८१ १४९–५५

दैनिक संक्षेपिका १५६–५७

अंक ५--गुरुवार, २३ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८४ से १९५, १९७, २०७ से २१० और १८३ ... ... १५८–७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९६, १९८ से २०१ ... १७९–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ८२ से ९४ ... १८०–८४

दैनिक संक्षेपिका ... १८५–८६

अंक ६--शुक्रवार, २४ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २११ से २१५, २१८ से २३०, २३४ से २३८ ... ... १८७–२०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१६, २१७, २३१ से २३३, २३९ से २४५ ... ... २०९–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५ से १०८ २१२–१६

दैनिक संक्षेपिका २१७–१८

अंक ७--मंगलवार, २८ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २८५ से २९६, २९८ से ३०१, ३०४, ३०६, ३१२, ३०८ से ३११ ... ... २१९–४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २४६ से २८४, २९७, ३०२, ३०३, ३१३ से ३१५, ३१७, ३१८, ८१ २४०–५३

अतारांकित प्रश्न संख्या. १०८ से १६७ २५३–७६

दैनिक संक्षेपिका २७७–८०

पृष्ठ

अंक ८—बुधवार, २९ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३१९ से ३२२, ३२४ से ३२७, ३२९, ३३०, ३३२, ३३४, ३३६ से ३३९, ३४३ से ३४७, ३४९ २८१–३०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३२३, ४२८, ३३१, ३३३, ३३५, ३४० से ३४२, ३४८, ३५० से ३६९ ... ३०३–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६९ सें १८६ ३१२–१७

दैनिक संक्षेपिका ३१८–१९

अंक ९—गुरुवार, १ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३७० से ३७२, ३७४ से ३७८, ३८१, ३८२, ३८४, ३८६ से ३९२ ३२०–४२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ३४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३७३, ३७९, ३८०, ३८३, ३८५, ३९३ से ३९९ ३४२–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८७ से २०७ ३४६–५३

दैनिक संक्षेपिका ३५४–५५

अंक १०—शुक्रवार, २ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०० से ४०३, ४०५, ४०६, ४०८, ४०९, ४११, ४१२, ४१४, ४१५, ४१७, ४१९, ४२१ से ४२४, ४२७, ४२८ ... ३५६–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०४, ४०७, ४१०, ४१३, ४१६, ४१८, ४२०, ४२५, ४२६ ... ३७७–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २०८ से २२९ ३७९–८४

दैनिक संक्षेपिका ३८५–८६

पृष्ठ

अंक ११—शनिवार, ३ मार्च, १९५६

प्रश्न का मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ ३८७–८९

दैनिक संक्षेपिका ३९०

अंक १२—सोमवार, ५ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४३३ से ४३७, ४३९, ४४०, ४४२ से ४४४, ४४६, ४४८ से ४५०, ४५२ से ४५४, ४६१, ४६३ से ४६५, ४६७ ... ३९१–४१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४२९ से ४३२, ४३८, ४४१, ४४५, ४४७, ४५५ से ४५९, ४६२, ४६६ और ४६८ से ४७२ ४१२–१८

अतारांकित प्रश्न संख्या २३० से २५३ ४१८–२४

दैनिक संक्षेपिका ४२५–२७

अंक १३—मंगलवार, ६ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४७४, ४७६ से ४८१, ४८३, ४८५, ४८८ से ४९०, ४९२ से ४९४, ४९६, ४९८, ४९९, ५०२, ५०५, ५०७ और ५०८ ४२८–५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४७३, ४७५, ४८२, ४८४, ४८६, ४८७, ४९१, ४९५, ४९७, ५००, ५०१, ५०३, ५०४, ५०६, ५०९ से ५३० ... ... ४५०–६०

अतारांकित प्रश्न संख्या २५४ से २९९ ४६०–७८

दैनिक संक्षेपिका ४७९–८१

अंक १४—बुधवार, ७ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५३३, ५३५, ५३६, ५३९, ५४०, ५४२, ५४४, ५४६, ५४७, ५५२ से ५५४, ५५६, ५५८, ५६०, ५२१, ५३७, ५३८... ... ४८२–५०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ५३२, ५३४, ५४१, ५४५, ५४८, ५४९, ५५१, ५५५ ५०१–०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०० से ३१९ ५०३–१०

दैनिक संक्षेपिका ... ५११–१२

अंक १५—गुरुवार, ८ मार्च, १९५६

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पदत्याग ५१३

अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति ५१३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६३ से ५६५, ५६७, ५६८, ५७१, ५७२, ५७३, ५७५, ५७६, ५८२, ५८५, ५८७, ५७० और ५८४ ५१३–२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५६२, ५६६, ५६९, ५७४, ५७७ से ५८१, ५८३, ५८६ और ५८८ ५२९–३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२० से ३२५ ५३३–३४

दैनिक संक्षेपिका ५३५–३६

अंक १६—शुक्रवार, ९ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५९० से ५९४, ५९९ से ६०१, ६०४ से ६०६, ६०८ से ६१०, ६१३ से ६१६, ५८९, ६०२, ६०३ और ६०७ ५३७–५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५९५ से ५९८, ६११, ६१२ और ६१७ ५५८–५९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२६ से ३४६ ५५९–६५

दैनिक संक्षेपिका ५६६–६७

अंक १७—सोमवार, १२ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६२०, ६२३, ६२४, ६२६, ६२८, ६३०, ६३२, ६३४ से ६३६, ६३८ से ६४५, ५५९, ६२१ ५६८–८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६१८, ६२२, ६२५, ६२७, ६३१, ६३३, ६३७ ... ... ५८९–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४७ से ३६२ ५९१–९७

दैनिक संक्षेपिका ५९८–९९

पृष्ठ

अंक १८—मंगलवार, १३ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६४६, ६४९, ६५०, ६५३, ६५२, ६५५, ६५६, ६५८, ६६०, ६६१, ६६३ से ६६५, ६६७ से ६७४ और ६७६ से ६७९ ६००–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६४७, ६४८, ६५१, ६५४, ६५७, ६५९, ६६२, ६६६, ६७५ और ६८० ६२१–२३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ३७९ ६२३–२८

दैनिक संक्षेपिका ६२९–३०

अंक १९—बुधवार, १४ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६८२, ६८४ से ६८७, ६८९, ६९१ से ६९३, ६९८ से ७०३, ७०७ से ७०९, ६८३, ६८८, ६८१, ६९५ ... ... ६३१–५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९४, ६९६, ६९७, ७०४ से ७०६ और ७१० ... ... ६५२–५५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८० से ४०८ ... ६५५–६४

दैनिक संक्षेपिका ६६५–६६

अंक २०—गुरुवार, १५ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७११ से ७१४, ७१६ से ७२०, ७२२, ७२३, ७२५ से ७२९, ७३१, ७३४, ७३२, ७१५, ७२१ और ७२४ ... ... ६६७–८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७३३ ... ६८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०९ से ४१८ ६८६–९०

दैनिक संक्षेपिका ... ६९१

M20LSD—190—7-3-58—GIPF.

लोक-सभा

मंगलवार, २८ फरवरी, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केन्द्रीय विधियां

†*२८५. **श्री श्री नारायण दास :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ में कितने मामलों में न्यायालयों ने केन्द्रीय सरकार के अधिनियमों अथवा उनके किन्हीं अंशों को अमान्य घोषित किया है ?

†**विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास):** राज्य सरकारों से यह सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी ।

†**श्री श्री नारायण दास :** क्या मंत्री महोदय उन मामलों के सम्बन्ध में बता सकते हैं जिनका निर्णय यहां उच्चतम न्यायालय ने किया है ?

†**श्री विश्वास:** मुझे कुछ मामलों का पता है । हमसे यह पूछा गया है कि १९५५ में कुल कितने मामलों का निर्णय किया गया था । मैं इनमें से कुछ मामलों के केवल नाम बता सकता हूं । मेरे पास यहां सूची है । संभवतः उनमें से कुछ का सम्बन्ध.....

†**उपाध्यक्ष महोदय :** जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, इसमें केवल सूचना मांगी गयी है । इसको तो अतारांकित प्रश्न होना चाहिये था, परन्तु किसी प्रकार यह यहां आ गया है । मंत्री महोदय को उस सूची को पढ़ कर सुनाने की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री श्री नारायण दास :** मुझ को केवल कुल संख्या चाहिये, सूची नहीं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कुल संख्या एकत्र नहीं की गयी है । उनको केवल थोड़े से मामले ज्ञात हैं ।

†**श्री विश्वास** : इस प्रश्न में केवल उच्चतम न्यायालय से सम्बन्धित मामलों के बारे में ही नहीं वरन् सभी न्यायालयों से सम्बन्धित मामलों के बारे में सूचना मांगी गयी थी इसलिये मुझ को सूचना एकत्र करनी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गोआ से आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध

*२८६. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि गोआ, डामन और ड्यू से आयात-निर्यात पर प्रतिबंध होने पर भी शराब, फाउन्टेन पेन, घड़ियां आदि अनेक प्रकार का सामान चोरी-छिपे भारत आ रहा है; और

(ख) सरकार इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही करेगी ?

***राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह)**: (क) और (ख). भारत स्थित पुर्तगाली अधिकृत क्षेत्रों में कम शुल्क और अधिक आसान आयात नीति होने के कारण उन क्षेत्रों से चौर्यानयन कई बरसों से चला आ रहा है। आशा है कि अब इन क्षेत्रों के साथ जो समुद्री और भूमि आमदोरफत (यातायात) हो रही है उस पर अधिकतर नियंत्रण लगाये जाने से, विशेषकर इन क्षेत्रों के आस-पास बहुत से कदम जो उठाये गये हैं, चौर्यानयन कम हो रहा है। अब गोआ और भारत के बीच कोई समुद्री संचारण नहीं है, इसलिये समुद्र के रास्ते चौर्यानयन के अवसर कम हो गये हैं। चौर्यानयन के रोकने के लिये भूमि सीमा पर अधिक कठोर पहरा रखने के कदम उठाये गये हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्रियों को मेरा यह सुझाव है कि जब उनको कठिनाई प्रतीत हो, या वह यह अनुभव करें कि अंग्रेजी में बोलकर वह अधिक आसानी से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और लोक-सभा पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं तो उनको यही करना चाहिये। यह उनके ऊपर ही निर्भर है। यहां हमारी अभिरुचि अधिक इस बात में है कि माननीय सदस्य लोक-सभा की कार्यवाही को समझ सकें, परीक्षा भवन की स्थिति ही भिन्न होती है क्योंकि वहां उत्तर अंग्रेजी अथवा हिन्दी में ही देना होता है। मैं यह माननीय मंत्रियों पर ही छोड़ता हूं। यदि वह अपने विचार अधिक स्वतन्त्रतापूर्वक व्यक्त करना चाहें तो वैसा कर सकते हैं।

†**श्री ए० सी० गुह** : कठिनाई प्रविधिक शब्दों के सम्बन्ध में होती है। उदाहरण के लिये, मैं नहीं समझता कि 'स्मगलिंग' या इम्पोर्ट के लिये मैं जिस शब्द का प्रयोग करूंगा वह सहज ही समझ में आ जायेगा।

†**रक्षा-संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : हिन्दी में 'स्मगलिंग' के लिये कोई शब्द नहीं है क्योंकि भारत में चौर्यानयन था ही नहीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि प्रविधिक शब्दों के लिये हिन्दी में कोई तत्संवादी शब्द नहीं तो अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या मंत्री महोदय इस तथ्य से अवगत हैं कि कभी-कभी सीमा-पदाधिकारी भी चौर्यानयन में लिप्त होते हैं ?

†**श्री ए० सी० गुह** : इस आशय के कुछ आरोप लगाये गये हैं। परन्तु मैं नहीं समझता कि यह सामान्यता ठीक है। ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं। संभव है कि इस के लिये कुछ पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया हो या उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी हो। ऐसी कोई भी घटना जब भी हमारे ध्यान में लायी जाती है हम उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करते हैं।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** : माननीय मंत्री ने कहा कि सीमान्त क्षेत्रों और समुद्री भागों पर भी काफी कड़ाई कर दी गयी है। छोटी छोटी डोंगियों और नावों को इस प्रयोजन के लिये काम में लाया जाता है और स्थल मार्ग से भी बड़ी मात्रा में शराब, फाउन्टेन पैन और घड़िया भारत में लायी और ले जायी जाती

---

†मूल अंग्रेजी में

हैं और बम्बई तथा अन्य स्थानों में इसके कारण बड़ी शिकायतें हैं। आप को बड़े परिमाण में यह चीजें आती मिलेंगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने हाल ही में मामले की जांच की है, और यदि नहीं, तो क्या वह कोई ऐसी जांच कराने का विचार कर रही है, और इन चौर्यानयन सम्बन्धी कार्यवाहियों को और भी कठोर करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री ए० सी० गुह** : इन सब बातों पर विचार किया जाता है और प्रत्येक अवसर पर मामले का सिंहावलोकन किया जाता है। हमें पता है कि कुछ देशी नावें गोआ और अन्य पुर्तगाली अधिकृत बस्तियों से भारत के अन्य स्थानों को विशेष रूप से बंबई आती हैं और इन देशी नावों द्वारा कुछ सीमा तक चौर्यानयन किया जाता है। हम प्रत्येक प्रकार की कार्यवाही करते रहे हैं और अपने नियंत्रण को और भी सख्त कर देंगे, परन्तु चाहे कोई भी कार्यवाही क्यों न की जाये, मैं आप को यह आश्वासन नहीं दे सकता हूं कि चौर्यानयन को पूर्णतया रोक दिया जायेगा। यह मानवीय रूप से प्राय असंभव है।

भारतीय-कम्पनियों में पाकिस्तानियों के शेयर

†*२८७. **श्री राधा रमण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने बिना पाकिस्तान के निवासियों के अधिकार में जो भारतीय समवायों के अंश हैं उन को पाकिस्तान के राज्य बैंक की अनुमति के बिना भारत को निर्यात करने का निषेध कर दिया है?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : जी हां। इस निधेष की अधिसूचना २ जनवरी, १९५६ को दी गयी थी।

†**श्री राधा रमण** : पाकिस्तानियों द्वारा इन अंशों में लगायी गयी पूंजी की प्राक्कलित राशि कितनी है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : मैं यह समझता हूं कि माननीय सदस्य पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय समवायों में लगायी गयी पूंजी के सम्बंध में पूछ रहे हैं। हमारे पास जो भी आंकड़े हैं वह भारत के रिजर्व बैंक द्वारा दिसम्बर १९५३ में किये सर्वेक्षण में एकत्र किये गये थे, और उन में पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय संयुक्त पूंजी समवायों में लगायी गयी पूंजी की राशि दी गयी है। साधारण अंशों और पूर्वाधिकार अंशों की कुल राशि ४,३५,००,००० रुपये है।

†**श्री राधा रमण** : क्या इस अधिसूचना के जारी किये जाने के पश्चात भारत सरकार ने इस विषय पर पाकिस्तान सरकार से कोई समझौता वार्ता की है, और यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : यह अधिसूचना २ जनवरी, १९५६ को ही जारी की गयी थी और मेरी समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान सरकार से क्या समझौता वार्ता की जा सकती थी। उसने एक एकपक्षीय निर्णय कर लिया है।

†**श्री श्री नारायण दास** : क्या इस बात का परिगणन किया गया है कि भारतीयों के पास विभिन्न पाकिस्तानी समवायों में कुल कितनी राशि के अंश हैं ?

†**श्री बी० आर० भगत** : जी हां। इस सर्वेक्षण में यह राशि भी दी गयी है। यह १,८२,००,००० रुपये है।

†**श्री कासलीवाल** : क्या सरकार यह बताने की स्थिति में है कि क्या विभाजन के बाद भी किसी पाकिस्तानी नागरिक ने भारतीय अंशों में कोई पूंजी लगायी है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : मुझे यह ज्ञात नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राधा रमण** : इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : कोई भी कार्यवाही करने की प्रस्थापना नहीं है, क्योंकि यह एक साधारण विधान है। कोई भी देश विदेशों को किये जाने वाले अपने भुगतानों पर विनिमय संबंधी प्रतिबंध लगा सकता है। और द्वितीयतः इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि प्रायः समान मूल्यों के पाकिस्तानी अंशों का भारतीय अंशों से विनिमय करने की निर्बाध अनुमति प्रदान की जायेगी। इसलिये इस अधिसूचना के फलस्वरूप मुझे किसी विषम कठिनाई की संभावना दिखाई नहीं देती है।

सुरक्षा-पुलिस

†*२८८. **श्री बी०डी० पांडे** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नयी दिल्ली में सुरक्षा पुलिस की स्थापना कब की गयी थी;

(ख) क्या इसको नियमित पुलिस से पृथक् किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) सुरक्षा पुलिस पदाली की स्थापना सितम्बर, १९५५ में की गयी थी।

(ख) जी नहीं, दिल्ली पुलिस में इसकी एक आत्मनिर्भर इकाई है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री बी० डी० पांडे** : क्या इन दो शाखाओं के पृथक् किये जाने के बाद पुरानी पदाली के कुछ कनिष्ठ पदाधिकारियों को नयी पदाली का वरिष्ठ पदाधिकारी बना दिया गया था ?

†**श्री दातार** : इस पृथक् पदाली की स्थापना करने का उद्देश्य ही यह था कि पदाधिकारियों का चुनाव ज्येष्ठता के आधार पर न किया जा कर किसी विशेष प्रकार के कार्य के लिये उनकी उपयुक्ता के आधार पर किया जाये, और इसलिये यह संभव है कि कुछ ज्येष्ठ पदाधिकारियों की अपेक्षा कुछ कनिष्ठ पदाधिकारी चुन लिये गये हैं।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या यह सच है कि इस सुरक्षा पुलिस में ऐसे अकुशल पदाधिकारी हैं जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार और अकुशलता की निश्चित शिकायतें हैं परन्तु फिर भी उनकी पदोन्नति की जा रही है ?

†**श्री दातार** : मुझे ऐसी कोई बात ज्ञात नहीं है। वास्तव में अधिकतम उपयुक्तता की आवश्यकता है। यदि ऐसे कोई मामले हैं तो उनकी जांच की जायेगी और इन पदाधिकारियों को दंड दिया जायेगा।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या यह सच है कि सुरक्षा पुलिस में जितने भी व्यक्ति भरती किये गये हैं वह सब कांग्रेस सेवा दल के ही हैं ?

†**श्री दातार** : वह सब दिल्ली पुलिस और पार्श्ववर्त्ती उत्तर प्रदेश तथा पंजाब राज्यों के हैं।

†**श्री एन० आर० मुनिस्वामी** : क्या इस दल और नियमित पुलिस दल के बीच कोई सहयोजन है ?

†**श्री दातार** : यह दिल्ली पुलिस का ही एक अंग है, परन्तु यह एक आत्मनिर्भर इकाई है। यह व्यक्ति कार्य के लिये उपयुक्तता के आधार पर चुने गये हैं, ज्येष्ठता क आधार पर नहीं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

विज्ञान-सम्बन्धी असैनिक सेवा

†*२८९. **श्री गिडवानी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक विज्ञान सम्बन्धी असैनिक सेवा की स्थापना करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)**: (क) और (ख). वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् एक विज्ञान-सम्बन्धी असैनिक सेवा की स्थापना करने की प्रस्थापना पर विचार कर रही है। संभव है कि आरम्भ में यह सेवा केवल वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् तथा सम्बंधित संगठनों तक ही सीमित रहे।

†**श्री गिडवानी** : क्या इन पदाधिकारियों का चयन और नियुक्ति करने के लिये किसी पृथक् अभिकरण की स्थापना की जायेगी अथवा यह कार्य संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के वैज्ञानिक कर्मचारियों के लिये किसी पृथक् अभिकरण की स्थापना करने का विचार नहीं किया गया है। इन सभी मामलों पर विचार किया जा रहा है और जैसे ही कोई निर्णय किया जायेगा मैं लोक-सभा को सूचित कर दूंगा।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, यह परिषद् कोई बिल्कुल सरकारी निकाय नहीं है। यह एक अर्द्ध सरकारी निकाय है; इस प्रकार के और भी अनेक निकाय हैं। निश्चय ही, सरकार इस को धन देती है, और एक वित्तीय परामर्शदाता इन के वित्त सम्बंधी मामलों की जांच पड़ताल करता हैं। शेष सब मामलों में, विभिन्न प्रयोजनों के लिये धन की स्वीकृति आदि देने के संबंध में इस को काफी स्वतन्त्रता प्राप्त है। विज्ञान सम्बंधी सेवा की स्थापना किस प्रकार से की जाये यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार किया जा रहा है और कोई भी उत्तर देना कठिन है। परन्तु, मोटे तौर पर, जिस प्रथा का इस समय अनुसरण किया जा रहा है वह यह है कि विशेष बोर्ड स्थापित किये जायें और विशेषज्ञों और प्रविधिविज्ञों इत्यादि का चयन करने के लिये संघ लोक-सेवा आयोग को उससे सम्बद्ध किया जा रहा है।

†**श्री गिडवानी** : इनके लिये जो वेतन-क्रम निर्धारित किया जाने को है क्या वह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई० ए० एस०) के पदाधिकारियों के वेतन-क्रम से भिन्न होगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह एक ऐसा मामला है जिस पर विचार किया जाना चाहिये। वास्तव में, योग्य वैज्ञानिकों और प्रविधिविज्ञों को पर्याप्त संख्या में भरती करने में हमें इस समय बड़ी कठिनाइयों का सामा करना पड़ रहा है, क्योंकि अन्य दिशाओं में भी मांगें इतनी अधिक हैं कि कभी कभी वह हमारी नौकरियों से खींच लिये जाते हैं।

रक्षा सेवाओं में मद्य-निषेध

†*२९०. **श्री डाभी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रक्षा-सेवाओं में क्रमशः मद्य-निषेध शुरू करने का विचार है, ताकि मद्य-निषेध जांच समिति की सिफ़ारिश के अनुसार, सेवाओं में १ अप्रैल, १९५८ तक पूर्ण रूप से मद्य-निषेध किया जा सके; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं।

†**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) और (ख). सरकार ने मद्य-निषेध जांच समिति की सिफ़ारिशों के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है। तथापि मैं यह बताना चाहता हूं कि रक्षा सेवायें इस सम्बन्ध में सरकार की सामान्य नीति से सहमत होंगी।

†**श्री डाभी**: इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

†**रक्षा मंत्री (डा० काटजू)**: यह मामला राज्यों के क्षेत्राधिकार में है। उन से परामर्श करना पड़ेगा और संभव है कि निर्णय करने में कुछ समय लगे।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या असैनिक सेवाओं में मद्य-निषेध को प्रोत्साहन देने के लिये इसी प्रकार का कोई आन्दोलन चलाया जा रहा है ?

†**डा० काटजू** : मुझे मालूम नहीं, किन्तु कभी किसी ने यह शिकायत नहीं की कि असैनिक सेवाओं के कर्मचारी भी मद्यपान के आदी हैं।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि हमारी सशस्त्र सेनाओं के अफ़सरों और सैनिकों में यह आम धारणा बन गई है कि जब तक वे थोड़ी सी मात्रा में ही सही, मादक द्रव्यों का सेवन न करें, तब तक वे अपनी ड्यूटी को पूरी तरह निभा नहीं सकते हैं ? यदि हां, तो सरकार इसके बारे में क्या कर रही है ?

†**डा० काटजू** : यह बिल्कुल ग़लत है। मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूं कि इसके बारे में कुछ ग़लत-फ़हमी फैली हुई है। हमारी सेनाओं में इसका रिवाज बहुत कम है, कम होता जाता है और मेरे ख्याल में इसे सब लोग जानते भी हैं।

†**श्री डाभी** : क्या यह सच है कि जब बंबई राज्य में मद्य-निषेध लागू किया गया था, तो केंद्रीय सरकार ने रक्षा सेवाओं पर मद्य-निषेध के लागू न किये जाने की इच्छा प्रकट की थी ?

†**डा० काटजू** : मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री एम० एम० थामस** : क्या रक्षा विभाग इस मामले में दिल्ली सरकार का साथ देने का विचार करता है ?

†**डा० काटजू** : इस मामले में वास्तव में प्रत्येक सरकार।

पोस्त की खेती

†***२९१. सरदार हुक्म सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अफीम सम्बंधी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय की सिफारिशों के अनुसरण में, १९५५ में पोस्त की खेती के अन्तर्गत भूमि क्षेत्र में कितनी कमी हुई है ?

†**राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह)** : विभिन्न अफीम सम्बंधी अभिसमय अफीम की खेती के भूमि क्षेत्र पर कोई परिसीमा नहीं लगाते हैं। उन का अभिप्राय केवल चिकित्सकीय और वैज्ञानिक प्रयोजनों को छोड़ कर अफीम के प्रयोग में क्रमशः कमी करना और अन्त में इस का प्रयोग बन्द ही कर देना होता है। इस दायित्व को भारत बड़ी सावधानी से पूरा करता रहा है। हम अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुसार निर्यात और आन्तरिक उपभोग सम्बंधी आवश्यकताओं के आधार पर अफीम की खेती को विनियमित करते रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार हुक्म सिंह** : क्या अन्य देशों ने भी, जो उस अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय में सम्मिलित थे, अपनी अफीम की खेती को घटाने के लिये उपाय किये हैं ?

श्री ए० सी० गुह : मेरे विचार में उक्त अभिसमय में भाग लेने वाले अन्य देशों ने भी निश्चय ही ऐसी कार्यवाहियां की होंगी । यह देश में चिकित्सा को छोड़ अन्य प्रयोग के लिये और अवैध प्रयोजनों के लिये अफीम के निर्यात के कम किये जाने की मांग है ।

†**श्रीमती खोंगमन** : क्या सरकार यह बता सकती है कि अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाये जाने से देश में अफीम का उपयोग कम होता जा रहा है ?

†**श्री ए० सी० गुह** : देश में अफीम का उपभोग वर्ष प्रति वर्ष कम होता जा रहा है और हमें आशा है कि १९५९ तक गैर औषधीय प्रयोजनों के लिये अफीम का उपभोग पूर्णतया बन्द हो जायेगा । हम इस कार्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : यदि अफीम तैयार न भी की जाये, तो क्या हम पोस्त के बीज को, जो कि एक निर्यात योग्य वस्तु है, उगा कर और उसका निर्यात कर के मुद्रा प्राप्त नहीं कर सकते हैं ?

†**श्री ए० सी० गुह** : मुझे पोस्त के बीज के निर्यात किये जाने की बात ज्ञात नहीं है ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या सरकार को मालूम है कि कई ऐसे स्थान भी हैं कि जहां पर दाल या तरकारी न मिलने के कारण लोगों के पास अफीम दाना ही ऐसी चीज रह जाती है जिस को कि वे काम में ला सकते हैं ? क्या ऐसे स्थानों के लोग यदि यह गारंटी (प्रत्याभूति) दे दें कि वे अफीम नहीं निकालेंगे, सरकार उनको पौपी सीड (पोस्त दाना) कल्टीवेट (उगाने) करने की इजाज़त देगी ?

श्री ए० सी० गुह : कई जिलों में जहां पोपी सीड अनाज के तौर पर इस्तेमाल होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स इसे चालू करने के लाइसेंस देती हैं ।

†**श्री कासलीवाल** : गत वर्ष एक और प्रश्न के उत्तर में, माननीय मंत्री ने कहा था कि गत वर्ष अफीम की खेती ४०,००० एकड़ भूमि में की गई थी । इस वर्ष कितने क्षेत्र में कृषि करने का विचार है ?

†**श्री ए० सी० गुह** : यह हमारी आवश्यकताओं के अनुमान पर निर्भर है । हमें कुछ रक्षित स्टाक भी रखना होता है और निर्यात की मांगें भी पूरी करनी होती हैं । हम कृषि क्षेत्र को आवश्यकताओं के अनुसार विनियमित करेंगे ।

†**सरदार हुक्म सिंह** : १९५४ में अफीम का कुल उत्पादन ४० प्रतिशत कम हो गया है । क्या उत्पादन की कमी की यह प्रवृत्ति १९५५ में भी जारी रखी जा सकेगी ?

†**श्री ए० सी० गुह** : जैसा कि मैंने कहा है, उत्पादन इन दो या तीन बातों पर निर्भर है—रक्षित स्टाक, मुख्यतया औषधीय प्रयोजनों के लिये आंतरिक उपभोग सम्बन्धी आवश्यकतायें और निर्यात । प्रत्येक वर्ष हम इन तीन बातों का एक प्राक्कलन तैयार करते हैं और तदनुसार उत्पादन को विनियमित करते हैं ।

†**डा० रामा राव** : अफीम के उत्पादन को कम करने के हेतु प्रयत्न करने की बजाये, सरकार भेषजीय जांच समिति की सिफारिश के अनुसार, इस अफीम को औषधीय वस्तुएं बनाने के लिये प्रयोग में लाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री ए० सी० गुह** : जहां तक सम्भव होता है हम अफीम का प्रयोग औषधीय प्रयोजनों के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

करते हैं परन्तु वह मांग पर निर्भर है। औषधीय और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिये हम अफीम का काफी स्टॉक रखते हैं।

अंदमान द्वीप समूह

†*२९२. **श्री इब्राहीम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्यभूमि से अन्दमान द्वीपों के विभिन्न भागों तक परिवहन के लिए उपलब्ध जहाजों की संख्या में वृद्धि करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : सरकार ने अंदमान मुख्य भूमि सर्विस के लिये एक और जहाज प्राप्त करने का निर्णय किया है। इस सर्विस को दो जहाजों से चलाने के लिये यथासंभव शीघ्र एक उपयुक्त जहाज खरीदने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

†**श्री ए० सी० सामन्त** : क्या रास्ता बदला जायेगा अर्थात् कलकत्ता से पोर्ट ब्लेयर तक और मद्रास से पोर्ट ब्लेयर के रास्तों में एक बीच का स्टेशन होगा, ताकि लांग आइलैंड और नार्थ आइलैंड के लोगों को लाभ हो ?

श्री दातार : यही उद्देश्य हमने अपने सामने रखा है। इस समय हमारी सर्विसों में १२ यात्रायें कलकत्ता से मुख्य भूमि तक और ६ यात्रायें मद्रास तक होती हैं। मद्रास में यात्रियों को कुछ असुविधा होती है। इसलिये सरकार इस प्रश्न को ले रही है और यथासंभव शीघ्र इसका समाधान कर देगी।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** : गत वर्ष, मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि इन जहाजों के अतिरिक्त, यात्रियों को विमानों द्वारा अन्दमान ले जाने का प्रबंध किया जायेगा। क्या यह प्रबंध शुरू हो गया है ?

†**श्री दातार** : यह प्रश्न संचार मंत्रालय के विचाराधीन है।

सम्पदा शुल्क

†*२९३. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पदाशुल्क अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत इस समय भारत में इंगलैंड के नागरिकों की निर्धारणीय सम्पत्ति कितनी है; और

(ख) इसी प्रकार इंगलैंड में भारतीय नागरिकों की निर्धारणीय सम्पत्ति कितनी है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : क्या सरकार ने इस जानकारी को प्राप्त करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : विदेशियों को चल तथा अचल सभी प्रकार की आस्तियों के सम्बंध में इस जानकारी को इकट्ठा करना संभव नहीं है। चल संपत्तियां हैं। यह जानकारी हमें युक्तियुक्त व्ययं करने पर प्राप्त नहीं हो सकती।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : क्या माननीय मंत्री के उत्तर का अर्थ यह है कि भारत में विदेशियों की आस्तियों पर सम्पदा शुल्क नहीं लगाया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एम० सी० शाह** : मृत्यु के समय विदेशियों द्वारा भारत में छोड़ी गई चल तथा अचल आस्तियां सम्पदा शुल्क के लिये निर्धारणीय होंगी ।

डा० रामा राव : माननीय मंत्री ने कहा था कि उन के पास जानकारी नहीं है । क्या सरकार ने उचित जानकारी के बिना ही एक समझौता कर लिया है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : हम सम्पदा शुल्क के दोहरे करारोपण से बचने के लिये इंगलैंड से एक समझौते की बातचीत कर रहे हैं ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या भारत के कुछ उच्च पदाधिकारियों ने पिछले तीन वर्षों में इंग्लैंड में अपनी आस्तियों में वृद्धि कर ली है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : हमारे पास कोई जानकारी नहीं है । किन्तु इन आस्तियों पर, यदि उन्होंने वहां उनकी वृद्धि की है, उन के मरने के बाद सम्पदाशुल्क लगाया जायेगा ।

१८५७ के स्वतंत्रता-संग्राम की शताब्दी

*२९४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २२ अगस्त १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९९२ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १८५७ के प्रथम स्वतन्त्रता-संग्राम की शताब्दी मनाने का तब से कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसके कार्यक्रम की एक प्रति सभा के टेबल पर रखी जायगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). चूंकि यह विषय अखिल भारतीय महत्व का है इसलिये राज्य सरकारों, सार्वजनिक संस्थाओं और संगठनों के साथ परामर्श करना आवश्यक है । इसमें समय लगेगा । अन्तिम निर्णय हो जाने पर कार्यक्रम की एक प्रति सभा पटल पर रखदी जायेगी ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यद्यपि अन्तिम निर्णय में अभी देर लगेगी लेकिन अभी तक इस सम्बंध में क्या कदम उठाये गये हैं और क्या प्रगति हुई है ?

श्री दातार : अभी राज्य सरकारों से परामर्श जारी है । पांच छः महीनों में इसका निर्णय होगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट ने इस सुझाव पर विचार किया है या कर रही है कि इस समारोह को मानने का सबसे अच्छा ढंग यह होगा कि सन् १८५७ के स्वाधीनता आन्दोलन में हमारे जिन वीर पुरुष और स्त्रियों ने प्रमुख भाग लिया था उनकी मूर्त्तियों का अनावरण किया जाये और जिन्होंने अंग्रेजों की ओर से दमन किया था उनकी मूर्त्तियां हटायी जायें ?

श्री दातार : सरकार इस पर विचार करेगी ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार के सामने कोई ऐसा सुझाव है कि हमारी सेना की कुछ टुकड़ियों का नाम सन् १८५७ के स्वाधीनता संग्राम के वीरों के नामों पर रखा जाये ?

श्री दातार : इस बारे में मेरे पास सूचना नहीं है । इस पर विचार किया जायेगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती** : क्या केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कुछ प्रस्ताव भेजे हैं या मदों के सुझाव देने का कार्य केवल राज्य सरकारों पर ही छोड़ दिया गया है ?

†**श्री दातार** : हमने उत्सव मनाने के लिये कुछ मदों का सुझाव दिया है । राज्य सरकारें कार्यक्रम की विभिन्न मदों पर विचार कर रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्रीनारायण दास** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सरकार १९५७ में उत्सव मनाना चाहती हैं, क्या सरकार का ध्यान ज्योतिषयों की इस भविष्य वाणी की ओर दिलाया गया है कि यह वर्ष अशुभ वर्ष होगा, और क्या सरकार ने इस प्रचार का प्रतिवाद करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : सरकार का ध्यान विशेष रूप से इस ओर नहीं दिलाया गया है। किन्तु उसे यह ज्ञात है कि काफी लोग इन कठवैधों में विश्वास करते है । जितनी जल्दी यह भावना उनके मन से दूर हो जाये, उतना ही अच्छा है। सरकार अपनी नीति सूर्य, चन्द्रमा और तारों को देख कर निर्धारित नहीं करती है ।

†**श्री कासलीवाल** : मैं माननीय मंत्री को याद दिलाऊंगा कि १८५७ में बदला लेने के लिये उस समय की सरकार ने इलाहाबाद और लखनऊ में हजारों निर्दोष व्यक्तियों को फांसी पर लटका दिया था। क्या सरकार उन के लिये कोई स्मारक बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी नहीं। मैंने ऐसे किसी प्रस्ताव के बारे में नहीं सुना है।

राष्ट्रीय आय

†*२९५. **श्री एस० सी० सिंघल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने यह जानने के लिये कोई पग उठाये हैं कि पहली पंच वर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से जन संख्या के विभिन्न वर्गों को किस प्रकार लाभ हुआ है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : जी, नहीं।

†**श्री एस० सी० सिंघल** : क्या मैं जान सकता हूं कि राष्ट्रीय आय में हुई इस वृद्धि से कौन से वर्गों को लाभ हुआ है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : जैसा कि मैंने राष्ट्रीय आय प्राक्कलन में कहा है, कि व्यावसायिक समूहों अथवा विभिन्न आर्थिक समूहों में हुई वृद्धि को जानना संभव नहीं है। उक्त वृद्धि उत्पादन के प्राक्कलन पर आधारित है और प्रत्येक समूह के लिये आय के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण अथवा पृथक्करण करना कठिन है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि प्रख्यात अर्थशास्त्रियों का यह कथन है कि राष्ट्रीय आय से हमारे देश की जनता के विभिन्न वर्गों के जीवन स्तर के उन्नयन का सही संकेत नहीं मिलता है, सरकार इस बात का पता लगाने के लिये क्या प्रस्थापना करती है कि कृषक श्रमिकों, कृषकों और श्रमजीवी वर्गों इत्यादि की राष्ट्रीय आय में किस प्रकार वृद्धि हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: नमूना सर्वेक्षणों से ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती** : परन्तु उनका तो कहना है, नहीं ।

छात्रों में अनुशासनहीनता

†*२९६. **श्री सी० डी० पांडे** : क्या **शिक्षा** मंत्री ४ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्यार्थियों में फैले असंतोष को रोकने और दूर करने के लिये कोई अग्रेतर कार्यवाहियां की हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) और (ख): एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १६]**

†**श्री सी० डी० पांडे** : विवरण में बेकारी का कोई उल्लेख नहीं है । विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का यही प्रमुख कारण है ।

†**डा० एम० एम० दास** : विद्यार्थियों में फैली अनुशासनहीनता के प्रश्न पर भारत सरकार द्वारा विचार किया गया है । भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कतिपय सुझाव दिये हैं और वह स्वयं कुछ आर्थिक कदम उठाने की प्रस्थापना करती है ।

†**श्री ए० एम० थामस** : क्या मैं जान सकता हूं कि जब कि विवरण में पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों और नैतिक संहिता आदि बातों सम्बन्धी अनुदेशों की जानकारी दी गई है तब क्या सरकार को इस बात का ज्ञान नहीं है कि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की अधिक संख्या होना और प्रत्येक शिक्षक की देखभाल में रखे गये विद्यार्थियों की संख्या का अधिक होना ही अनुशासन हीनता का एक प्रमुख कारण है ? यदि ऐसा है, तो क्या सरकार विद्यार्थियों की इस भीड़ को कम करने के लिये कोई ऐसी कार्यवाही कर रही है जो शिक्षा प्रसार की योजना से सुसंगत हो ?

†**डा० एम० एम० दास** : निस्संदेह यह बात सरकार के समक्ष है । माननीय सदस्य को स्मरण होगा कि जहां तक केंद्रीय सरकार का सम्बन्ध है, उसे शिक्षा संस्थाओं पर कोई प्रशासनिक आधिकार प्राप्त नहीं हैं । वह केवल परामर्श दे सकती है और राज्य सरकारों को कुछ प्रस्तावों को स्वीकार करने तथा उनको लागू करने के लिये राजी करने का प्रयत्न कर सकती है ।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** : बयान में यह दिया हुआ है कि जो विद्यार्थियों में अनुशासन हीनता की रोक-थाम के लिये कदम सुझाये गये उनको पांच साल तक अमल में नहीं लाया जा सका । मैं जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट इस काम को महत्वपूर्ण नहीं समझती और अगर समझती है तो इसे शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही क्या कर रही है ।

†**डा० एम० एम० दास** : भारत सरकार द्वारा जो प्रस्ताव किये गये हैं उन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है । एक तो वह जिन में कि कुछ व्यय होगा और दूसरे वह कि जिन में व्यय नहीं होगा । जहां तक दूसरी श्रेणी के प्रस्तावों का सम्बन्ध है राज्य सरकारों को सुझाव दिये जा चुके हैं । शिक्षकों के वेतन आदि में वृद्धि किये जाने के बारे में केंद्रीय शिक्षा, मंत्रालय ने कुछ प्रस्ताव द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समाविष्ट किये जाने के लिये दिये थे, किन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण, उन सभी प्रस्तावों को स्वीकार करना योजना आयोग के लिये संभव नहीं हो सका है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इसी सम्बन्ध में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर की गई सिफारिशों का और कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा पूर्वस्नातक जीवन यापन स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों का अध्ययन किया है और उनको क्रियान्वित किया है ?

†**डा० एम० एम० दास** : अनुशासनहीनता के सम्बन्ध में देश के विभिन्न संगठनों से प्राप्त हुई सभी सिफारिशों का अध्ययन केंद्रीय सरकार ने किया है और तब उसने अपने प्रस्ताव सूत्रित किये हैं ।

†**श्री वीर स्वामी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह देखने के लिये, कि, राजनीतिक दलों की सभाओं में और गतिविधियों में विद्यार्थियों को भाग लेने से रोका जाये । कोई कार्यवाही करना वांछनीय नहीं है ?

---

† मूल अंग्रेज़ी में

†**डा० एम० एंम० दास** : मैं इस प्रश्न की सूचना चाहता हूं ।

†**डा० रामा राव** : केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को दिये गये सुझावों में क्या विद्यार्थियों के-समक्ष प्रवचन करने के साथ-साथ उनकी कठिनाईयों और मांगों पर सहानुभूति के साथ विचार किये जाने का भी कोई सुझाव दिया गया है ?

†**डा० एम० एम० दास** : जी हां । राज्य सरकारों को दिये गये सुझावों में सभी बातें आ गई हैं । और इन सभी बातों के बारे में क्रियान्वित किये जाने के लिये हमने राज्य सरकारों को कतिपय सुझाव दिये हैं । इन प्रस्तावों की कार्यान्वित राज्य सरकारों पर निर्भर है ।

दैवी आपत्तियों के लिये सहायता संगठन

*२९८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दैवी आपत्तियों के समय सहायता करने के लिये सहायता संगठन स्थापित करने की योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) वह कब कार्यान्वित की जायेंगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार): (क) आपातिक सहायता संगठन योजना की विस्तृत रूप रेखा की एक कापी सभा पटल पर रख दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १७]**

(ख) योजना को अन्तिम रूप देने में लग-भग छः महीने लगेंगे ।

श्री विभूति मिश्र : यह जो सरकार की तरफ से सहायता संगठन का मस्विदा (प्रारूप) पेश किया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि इसके संगठन में सरकार कितना खर्च करेगी और साथ ही देश में इस तरह की दैवी आपत्ति के समय सहायता पहुंचाने के लिये बजट में क्या कोई एक अलग रकम रखने का विचार कर रही है ?

श्री दातार : सरकार ने इसके बारे में विचार किया है और इस सहायता कार्य के लिये एक अलग रकम रखी है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो सरकार ने अपना केंद्रीय आपत्तिक संगठन बनाया है, तो इसमें स्टेट्स के प्रतिनिधियों को क्यों नहीं रखा है ? क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि स्टेट्स के प्रतिनिधियों का रहना बहुत उपयोगी सिद्ध होगा क्योंकि जिस स्टेट में यह दैवी आपत्ति आयेगी उस स्टेट के प्रतिनिधि उसके सच्चे रूप को ठीक से बतला सकेंगे और ऐसी हालत में क्या सरकार ने स्टेट्स के प्रतिनिधियों को इस केंद्रीय संगठन में रखने पर विचार किया है ?

श्री दातार : केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच में इसके बारे में पत्र व्यवहार चला है । चूंकि यह केंद्रीय संगठन है इसलिये इसमें राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधि नहीं हैं ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार इस बात को सोच रही है कि जहां पर कोई आपत्ति आ जाती है वहां पर बहुत सी नान-आफिश्यल आर्गेनाईजेशंस (गैर-सरकारी संस्थायें) भी सहायता कार्य करती हैं, इसलिये ऐसी गैर-सरकारी संस्थाओं और सरकारी सहायता संगठन दोनों को मिला कर संयुक्त एजेंसी (अभिकरण) बनाने के लिये क्या सरकार विचार कर रही है ?

श्री दातार : इस विषय में सरकार ने सोचा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी

†*२९९. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय स्तर पर अंग्रेजी में पर्याप्त कुशलता प्राप्त करने के उपायों और साधनों की सिफारिश करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन का स्वरूप क्या है ?

†**शिक्षा मन्त्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री डी० सी० शर्मा :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने सामान्यतः शिक्षा के स्तरों में हो रही अवनति को रोकने के लिये कोई समिति नियुक्त की है ?

†**डा० एम० एम० दास :** जी, हां । जहां तक विश्वविद्यालयों की शिक्षा का सम्बंध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के प्रश्न की जांच करने और विश्वविद्यालय स्तर पर अंग्रेजी में पर्याप्त कुशलता प्राप्त करने के उपायों तथा साधनों की सिफारिश करने के लिये एक समिति की नियुक्ति की है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा :** क्या मैं जान सकता हूं कि उक्त समिति के सदस्य कौन हैं और अब तक उस समिति की कितनी बैठकें हुई हैं ?

†**डा० एम० एम० दास :** समिति का गठन इस प्रकार है: पंडित हृदयनाथ कुंजरू (सभापति), श्री एन० के० सिद्धांत, श्री वी० के० अध्यापन पिल्लई और श्री सैम्युअल मथाई (सचिव) । अब तक समिति की केवल एक बैठक हुई है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा :** क्या समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिये कोई समय सीमा निश्चित की गयी है ? यह समिति कितने समय से अस्तित्व में है ?

†**डा० एम० एम० दास :** जहां तक समय सीमा का सम्बन्ध है, इस समय मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या मैं जान सकती हूं कि क्या उक्त समिति माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी की शिक्षा के विभिन्न प्रमापों पर भी विचार करेगी ?

†**डा० एम० एम० दास :** जी हां । यह समिति पूरे देश का दौरा करेगी, और उसके सदस्य न केवल विश्वविद्यालय शिक्षा से सम्बंधित व्यक्तियों से ही परामर्श करेंगे वरन् माध्यमिक शिक्षा से सम्बंधित व्यक्तियों से भी परामर्श करेंगे ।

†**श्रीमती जयश्री :** क्या मैं जान सकती हूं कि क्या माननीय मंत्री का ध्यान अंग्रेजी में, विशेषकर प्रविधिक विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों द्वारा कुशलता प्राप्त किये जाने के बारे में अभी हाल में आगरा में श्री बी० जी० खेर द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर, आकर्षित किया गया है ?

†**डा० एम० एम० दास :** भारत सरकार को सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा की गई सिफारिशों पर ध्यान देना होता है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या देश में ऐसे भी कोई विश्वविद्यालय हैं जहां कोई व्यक्ति, अंग्रेजी की किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुये बिना, आर्टस अथवा विज्ञान की स्नातक की उपाधि अर्जित कर सकता है ? क्या समिति ऐसे मामलों पर भी विचार करेगी ?

†**डा० एम० एम० दास :** जहां तक केंद्रीय अथवा राज्य अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, मेरा ख्याल है कि विश्वविद्यालय स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री डी० सी० शर्मा :** मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री की जानकारी सही नहीं है ।

विदेशी पूंजी

†*३००. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में भारतीयों को हस्तांतरित की गई विदेशी कम्पनियों की संख्या कितनी है; और

(ख) देश के औद्योगिक विकास के लिये विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) दस ।

(ख) विदेशी पूंजी के निवेश के लिये कुछ प्रोत्साहन पहले ही विद्यमान हैं और भली भांति ज्ञात है । कोई अतिरिक्त कार्यवाही विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिये नहीं की जा रही है ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या यह बात सही है कि इस देश में व्यापार करने वाले विदेशी व्यापारियों की प्रवृत्ति अपना कारोबार बेच कर इस देश से चले जाने की है, यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**श्री एम० सी० शाह :** कुछ विदेशी व्यापारिक संस्थाओं का कार्यभार लिया जा रहा है, किन्तु साथ ही देश में विदेशी विनियोजन भी है । यदि वे यह सोचते हैं कि बेच देना ही उनके लिये लाभदायक है तो वे बेच देते हैं ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : १९५५ के साल में विदेशी कम्पनियों के कारोबार को खरीदने के लिये इस देश के वासियों को कितनी रकम चुकानी पड़ी है तथा इसी अर्से में कितनी नई विदेशी पूंजी देश में लगी है ?

†**श्री एम० सी० शाह :** वर्ष १९५५ में विप्रेषण की राशि २०५.३८ लाख रुपये थी । दस विदेशी साथों का स्वामित्व बदला गया । १९५५ में विदेशी विनियोजन २३४ लाख रुपये के थे ।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकीय संस्थायें

†*३०१. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सरकार से यह अनुरोध किया था कि तीन प्रस्तावित राष्ट्रीय औद्योगिकीय संस्थाओं में से एक कानपुर में स्थापित की जाये; और

(ख) यदि हो, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) :** (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार ने कानपुर में उक्त संस्था की स्थापना किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है जब भी कभी उक्त संस्था को स्थापित करने का निश्चय किया जाये ।

†**श्री एम० एल० अग्रवाल :** ऐसी संस्थाओं की स्थापना के लिये कितने स्थान सरकार के विचाराधीन हैं ?

†**डा० एम० एम० दास :** जहां तक कि उत्तरी क्षेत्र की उच्चतर प्रविधिक का सम्बन्ध है, भारत सरकार ने कानपुर का चुनाव किया है जहां पर कि यह संस्था स्थापित की जायेगी ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस इंस्टिट्यूट (संस्था) को स्थापित करने के

---

†मूल अंगेजी में

लिये कितना रुपया खर्च किया जायेगा, और वह सब रुपया केंद्रीय सरकार देगी या राज्य सरकार से भी कुछ रुपया लिया जायेगा ?

†**डा० एम० एम० दास :** द्वितीय पंच वर्षीय योजना अवधि में देश भर में इस प्रकार की तीन संस्थायें स्थापित की जानी हैं। एक पश्चिमी संस्था है, एक उत्तरी संस्था है और तीसरी दक्षिणी संस्था है, द्वितीय पंच वर्षीय योजना अवधि में इन तीन संस्थाओं के लिये ७.५ करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है ।

†**श्री० टी० एस० ए० चेट्टियार :** क्या दक्षिणी संस्था के लिये स्थान निश्चित कर लिया गया है ?

†**डा० एम० एम० दास :** अभी स्थान निश्चित नहीं किया गया है ।

तेल प्रौद्योगिकी

†*३०४. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रविधिविज्ञों के एक दल को विदेशों में तेल के कुएं आदि खोदने का प्रशिक्षण दिलाने की एक योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रविधिविज्ञों को किन-किन स्थानों पर भेजने का विचार है; और

(ग) प्रशिक्षण पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** (क) से (ग). तेल के कुएं खोदने और अन्य प्रविधियों का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये प्रविधिविज्ञों के एक या एक से अधिक दलों को विदेशों में भेजने का विचार किया गया है। प्रविधिविज्ञों की कुल संख्या और उनके वर्ग के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। संभवतः उन्हें रूस और रूमानिया के तेल क्षेत्रों और यदि आवश्यक हुआ तो अन्य स्थानों पर भी भेजा जायेगा। जब तक ब्यौरा निश्चित नहीं हो जाता तब तक खर्च का अनुमान नहीं बताया जा सकता है ।

†**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या किसी अखिल भारतीय प्राविधिक संस्था में तेल की खोज करने और तेल के कुएं बरमाने का प्रशिक्षण देने के कोई प्रबंध हैं ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** जी हां, खड़गपुर संस्था में और कुछ अन्य संस्थाओं में न केवल तेल की बल्कि अन्य धातुओं की खोज की भूतत्वीय तथा भूगौलिक प्रक्रियाओं का प्रारम्भिक सैद्धान्तिक प्रशिक्षण किये जाने की कुछ व्यवस्था है ।

†**श्री एस० सी० सामन्त :** जब तक वे लोग जिन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेजा गया है वापस नहीं आ जाते तब तक सरकार अपने निदेशालयों में किस प्रकार काम चलाने की प्रस्थापना करती है ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** इस विषय में परिस्थिति कुछ इस प्रकार है। हमने हाल ही में औद्योगिक प्रदर्शनी में से कुएं बरमाने के कुछ उपकरण और कुछ भू भौतिकीय सामान खरीदे हैं। उन करारों के अन्तर्गत जिन को कि अब अन्तिम रूप दिया जा रहा है, हमने केवल मशीनें स्थापित रखने के लिये ही नहीं बल्कि इन उपकरणों को और विशेष कर बरमाने की मशीन को चलाने के लिये भी प्रविधिविज्ञ प्राप्त करने की व्यवस्था की है। ज्यों ही यह बरमाने की मशीनें यहां पहुंच जायेंगी हमारे लोगों को प्रशिक्षित किया जायेगा और जब हमारे कर्मचारी प्रशिक्षित हो जायेंगे तो इन विदेशियों को वापस भेज दिया जायेगा ।

†**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ आदि जैसी किसी बाहरी संस्था से कोई सहायता मिलेगी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री के० डी० मालवीय :** जब हम अन्तर्राष्ट्रीय प्रविधिक सहायता निकायों से प्रविधिविज्ञों को बुलाना आवश्यक समझेंगे उस समय स्थिति पर विचार किया जायेगा ।

सोदपुर ग्लास वर्क्स

†*३०६. **श्री एस० वी० रामस्वामी :** क्या **वित्त** मंत्री सोदपुर ग्लास वर्क्स लिमिटेड की वर्तमान स्थिति को बताने की कृपा करेंगे ?

†**राजस्व और रक्षाव्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) :** औद्योगिक वित्त निगम ने एक प्रमुख जापानी सार्थ, मैसर्ज असाही ग्लास कम्पनी लिमिटेड, से एक भारतीय समवाय को स्थापित करने के लिये जो सोदपुर ग्लास वर्क्स को खरीद कर उसे चलायेगी एक करार किया है। भारतीय समवाय बनाने के लिये शर्तों पर बातचीत की जा रही है ।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी :** क्या यह समवाय को स्थापित करने के बारे में कोई प्रारम्भिक बातचीत हुई है, और यदि हां, तो वह क्या है ?

†**श्री ए० सी० गुह :** असाही ग्लास कम्पनी लिमिटेड के साथ हुये विलेख की यह शर्तें हैं कि वह इसे ६२ लाख रुपये में खरीद लेगी जो कि साढ़े तीन प्रतिशत ब्याज समेत १७ वर्ष में चुकाया जायेगा। अब यह भारतीय समवाय बनाया जाना है, और वह भारतीय समवाय इस दायित्व को सम्भाल लेगा । अब केवल पारिश्रमिक और अंश पूंजी के बांटने सम्बंधी शर्तों का तै होना ही बाकी है।

परीक्षात्मक रूप से, यह निश्चय किया गया है कि नये समवाय की ६५ लाख रुपये की अंश पूंजी में से, ३० लाख रुपया भारत में एंकत्र किया जायेगा और ३५ लाख रुपया असाही ग्लास वर्क्स देगा और इस समस्त राशि को औद्योगिक वित्त निगम से लिया गया ऋण समझा जायेगा ।

†**श्री झुनझुनवाला :** इस सौदे में निगम को कितनी हानि हुई है अर्थात कितना रुपया उस ने दिया है और कितना रुपया वह प्राप्त करेगा ?

†**श्री ए० सी० गुह :** १.१२ अथवा १.१३ करोड़ रुपये के लगभग का भुगतान किया गया था, निगम को साढ़े तीन प्रतिशत दर सहित ६२ लाख रुपया मिलेगा और कुल हानि कम से कम ५० लाख रुपये या इस के लगभग होगी ।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी :** यह समवाय किस प्रकार का उत्पादन प्रारम्भ करेगी और इस समवाय की सफलता की कहां तक संभावनायें हैं ?

†**श्री ए० सी० गुह :** असाही ग्लास कम्पनी लिमिटेड न केवल जापान में ही बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भी शीशे की चादरों का उत्पादन करने के लिये प्रसिद्ध है । मूल रूप से यह समवाय शीशे की चादरें तैयार करेगा और जहां तक संभव होगा दूसरी प्रकार के शीशे का उत्पादन भी करेगा, परन्तु पहले वह अधिक ध्यान शीशे की चादरों की ओर ही देगा ।

†**श्री बंसल :** क्या इस कारखाने में इस समय उत्पादन कार्य हो रहा है, अथवा यह कारखाना बन्द पड़ा है ? क्या यह नया समवाय संयत्र की संपूर्ण क्षमता सामर्थ्य का उपयोग करेगा अथवा वह इसके कुछ भाग ही चलायेगा ?

†**श्री ए० सी० गुह :** समवाय इस समय कार्य नहीं कर रहा है, परन्तु इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं है कि नया समवाय अधिक से अधिक संभव क्षमता का उपयोग नहीं करेगा । परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य को विदित है, कि किसी भी समवाय के लिये इसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग करना संभव नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

है । व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाये तो यह समवाय सब से पहले जहां तक संभव होगा चादर शीशा विभाग का उपयोग करेगा, और बाद में दूसरे दो विभागों का ।

†**श्री बंसल :** क्या किन्हीं भारतीय समवायों ने भी इस समवाय को चलाने के सुझाव दिये थे, और यदि हां तो किन आधारों पर उन सुझावों को अस्वीकृत किया गया ?

†**श्री ए० सी० गुह :** किन्हीं सुझावों का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता था । औद्योगिक वित्त निगम ने तो पहले इस कारखाने को बेच देने के लिये एक समझौता समिति नियुक्त की, परन्तु वह किसी से भी शर्तें तै नहीं कर सके ।

किसी भी भारतीय समवाय द्वारा रखा गया कोई भी प्रस्ताव गंभीरतापूर्वक विचार करने योग्य नहीं था । तब औद्योगिक वित्त निगम ने एक विज्ञपन जारी करके इच्छुक क्रेताओं से टेंडर मांगे । मैं समझता हूं कि केवल असाही ग्लास वर्क्स कम्पनी का टेंडर ही एक मात्र विचार करने योग्य टेंडर था । कुछ भारतीय टेंडर भी थे पर उनमें असाधारण और बहुत ही कम मूल्य कथन किये गये थे ।

†**श्री कामत :** मैंने माननीय मंत्री को यह कहते सुना कि संपूर्ण राशि को निगम द्वारा दिया गया एक ऋण समझा जायेगा । मैं नहीं जानता कि मैंने उनकी बात को ठीक से ही सुना । पर यदि मैंने ठीक ही सुना है, तो उनकी इस बात का क्या मतलब था कि संपूर्ण राशि को ऋण ही समझा जायेगा ? कौन सी राशि को ऋण समझा जायेगा ?

†**श्री ए० सी० गुह :** यह ६२ लाख रुपये जो औद्योगिक वित्त निगम को मिलने वाले हैं इस समय एक ऋण के रूप में समझे जायेंगे । चूंकि भुगतान १७ वार्षिक किस्तों में होगा इसलिये स्पष्टतया इसका मतलब यह है कि इसे तब तक ऋण समझा जायेगा जब तक कि सारी राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है ।

†**श्री कामत :** भूतकाल में चाहे कुछ भी हुआ हो, फिर भी ?

†**श्री झुनझुनवाला :** क्या बिहार सरकार ने कभी भी किसी अवसर पर इस संस्था को ले लेने का कोई प्रस्ताव किया था ?

†**श्री ए० सी० गुह :** जी, नहीं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या ३०७ ।

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत) :** मेरे विचार से प्रश्न संख्या ३१२ को भी इसी के साथ ले लिया जाय क्योंकि कि वह भी इसी विषय के सम्बन्ध में है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** जी, हां, दोनों का उत्तर साथ दिया जा सकता है ।

कच्चा लोहा

†***३०७. श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वित्त** मंत्री २२ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जापान के बीच उस योजना के सम्बन्ध में बातचीत को अन्तिम रूप दे दिया गया है जिस में एक बड़ी मात्रा में कच्चे लोहे का जापान को निर्यात करने भारत के पूर्वी तट पर पत्तनों का विकास करने और नयी रेलवे लाइनें और जिसके अन्तर्गत जापान भी पूंजी लगायेगा बिछाने की प्रस्थापना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना या करार की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जापान के साथ आर्थिक सहयोग

†*३१२. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में जापान के साथ आर्थिक सहयोग करने का निश्चय कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो किस हद तक और किन क्षेत्रों में ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : (क) और (ख). भारत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में जापान के साथ किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग करने का निश्चय नहीं किया है । फिर भी, सरकार के विचाराधीन अतिरिक्त परिवहन सुविधाओं सम्बन्धी एक परियोजना है जिसके अन्तर्गत जापान को बड़ी मात्रा में कच्चे लोहे का निर्यात करना संभव हो सकेगा। इस परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी २२-१२-५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ११३१ और उस पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों में दी जा चुकी है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या जापान ने इस बात का कोई संकेत किया है कि वह इस परियोजना में कहां तक सहयोग देगा ?

†**श्री बी० आर० भगत** : जी हां, जापान जिन योजनाओं में सम्मिलित है उनके बारे में उसने सहमति दे दी है । जापान ७५ रेल इंजिन देगा, जिनकी लागत ८० लाख डालर होगी ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या यह वार्ता सरकारी स्तर पर चल रही है, या जापान का कोई गैर-सरकारी अभिकरण इस सौदे के सम्बन्ध में बातचीत कर रहा है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : यह वार्ता सरकारी स्तर पर की जा रही है ।

†**श्री बंसल** : प्रश्न संख्या ३०७ के भाग (क) का उत्तर जी, नहीं है । क्या कच्चे लोहे और रेल की अतिरिक्त पटरियां बिछाने के सम्बन्ध में भी ऐसी कोई वार्ता की जा रही है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : इस वार्ता में तीन पक्ष सम्मिलित हैं—जापान सरकार, भारत सरकार और अमरीकी सरकार । जापान सरकार और भारत सरकार का संबंध है वह दोनों तो इस योजना पर सहमत हो गई हैं, और सहमति-प्राप्त योजना टी० सी० एम० (प्रविधिक सहयोग मिशन) द्वारा अमरीकी सरकार को भेज दी गयी है । अब हम उसके अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

†**श्री बंसल** : मैं प्रश्न संख्या ३१२ के सम्बन्ध में नहीं, प्रश्न संख्या ३०७ के सम्बन्ध में कह रहा था । प्रश्न संख्या ३०७ के भाग (क) के उत्तर में उन्होंने कहा था—'जी, नहीं' । मैं जानना चाहता हूं कि कोई वार्ता चल भी रही है ।

†**श्री बी० आर० भगत** : प्रश्न संख्या ३०७ के सम्बन्ध में उत्तर यह है कि उसे इस अर्थ में अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है कि जापान और भारत के बीच हुये समझौते को टी० सी० एम० के द्वारा अमरीकी सरकार को भेजा गया है ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : जहां तक जापान के साथ होने वाले इस सौदे का सम्बन्ध है, हम दक्षिण-पूर्वी एशिया के विकास के लिये रखी गयी अमरीकी राष्ट्रपति की प्रादेशिक निधि से किस प्रकार सम्बन्धित हैं ?

†**श्री बी० आर० भगत** : एक से अधिक देशों से सम्बन्धित एक परियोजना के बारे में यह दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के विकास के लिये एक विशेष बंटवारा है, और यह एक ऐसी परियोजना है

†मूल अंग्रेजी में

जिससे कि देश में परिवहन सुविधाओं का विकास होगा । इससे जापान को भी कच्चा लोहा मिल जायेगा । इसलिये इससे भारत और जापान दोनों ही को लाभ होगा ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या व्यापार आदि से सम्बन्धित मामलों में जापान को भारत की ओर से कोई भी रियायतें मिलती रही हैं, और यदि हां, तो क्या भविष्य में भी जापान के साथ यह रियायती बर्ताव होता रहेगा ?

†**श्री बी० आर० भगत** : प्रश्न व्यापार का नहीं है, और रियायती बर्ताव का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । यह तो प्रादेशिक विकास के लिये बंटवारे का प्रश्न है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस प्रश्न के अन्तर्गत जापान को निर्यात किये जाने वाले कच्चे लोहे का कुल परिमाण कितना है, और वह इस देश से निर्यात किये जाने वाले कच्चे लोहे के कुल परिमाण का कितना प्रतिशत होगा ?

†**श्री बी० आर० भगत** : २० लाख टन कच्चा लोहा निर्यात किया जायेगा । जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है मुझे खेद है कि मैं इसी समय उसकी प्रतिशतता नहीं बता सकता हूं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : अभी माननीय उपमंत्री ने कहा कि प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । क्या मैं इसका यह अर्थ लगाऊं कि प्रश्न संख्या ३१२ का सम्बन्ध द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में आर्थिक सहयोग से है, और वह एक काफी विस्तृत प्रश्न है ? क्या मुझे उसका कोई निश्चित उत्तर मिल सकता है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : जहां तक जापान के साथ आर्थिक सहयोग करने का सम्बन्ध है, हम कोई समझौता करने , या इसी प्रकार की कोई और बात करने का विचार नहीं कर रहे हैं । इसलिये, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पुस्तकों के सम्बन्ध में आंकड़ों का संग्रह

†*३०८. **श्री राधा रमण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि देश में प्रकाशित पुस्तकों के बारे में प्रमाणिक आंकड़े संग्रह करने का प्रयास किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो यह जानकारी किस अभिकरण के द्वारा एकत्रित की जाने को है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित आंकड़ों सम्बन्धी सामग्री से भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के द्वारा ।

†**श्री राधा रमण** : इन आंकड़ों को सुलभ बनाने में अनुमानत: कितना समय लग जायेगा ?

†**डा० एम० एम० दास** : ये आंकड़े इन सभी वर्षों में भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के पास उपलब्ध थे किन्तु, दुर्भाग्य से राज्य सरकारें, जो अपने-अपने राज्यों में प्रकाशित पुस्तकों के आंकड़े भेजने के लिये उत्तरदायी हैं, अपने प्रतिवेदन समय पर नहीं भेज रही हैं । इसलिये, यदि माननीय सदस्य पिछले वर्ष के प्रतिवेदन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ देर लग सकती है । वैसे तो, वे प्रतिवेदन भेज रही हैं ।

†**श्री राधा रमण** : क्या सरकार, आधुनिकतम और प्रामाणिक आंकड़े रखने के लिये, राज्य सरकारों पर यह जोर डालती रही है कि वे समय पर सूचना भेजने के उसके अनुरोध का पालन करें ?

†**डा० एम० एम० दास** : प्रश्न भारत सरकार की ओर से अनुरोध किये जाने का नहीं है । मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम, १८६७ इन प्रतिवेदनों को भेजने का दायित्व राज्य सरकारों पर डालता

---

†मूल अंग्रेजी में

है। हम इस मामले को ले रहे हैं। अभिलेखागार के निदेशक को प्रतिवेदन न भेजने वाली राज्य सरकारों से इस मामले पर लिखा-पढ़ी करने का आदेश दिया गया है ।

दिल्ली की जामा मस्जिद की मरम्मत

†*३०९. **श्री बी० डी० पांडे** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ सरकार द्वारा दिल्ली की जामा मस्जिद की मरम्मत के लिये कितने धन की मंजूरी दी गई है;

(ख) क्या मरम्मत का काम पूरा हो चुका है; और

(ग) यदि हां, तो किस के द्वारा ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)**: (क) १,१३,८०० रुपये।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) इस काम को पुरातत्व विभाग करेगा ।

†**श्री बी० डी० पांडे** : मैं इसे नीति के तौर पर जानना चाहता हूं कि हमारी जैसी धर्म-निरपेक्ष सरकार इस प्रकार की एक साम्प्रदायिक संस्था को अनुदान क्यों देती है ?

†**डा० एम० एम० दास** : माननीय सदस्य को कृपया स्मरण रखना चाहिये कि यह कार्य शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा किया जायेगा। इसे हम एक मस्जिद की मरम्मत के कार्य के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय महत के एक स्मारक की एक पुरातात्विक नमूने की मरम्मत के लिये जिस पर भारत को गर्व है। मरम्मत क लिये यह कार्य कर रहे हैं।

†**श्री बी० डी० पांडे** : क्या यह उदारता देश की अन्य साम्प्रदायिक संस्थाओं के प्रति भी दिखाई जायेगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यही उदारता कलात्मक, सुरुचिपूर्ण और पुरातात्विक महत्व के अन्य स्थानों के प्रति भी दिखाई जायेगी।

†**श्री कामत** : ऐतिहासिक महत्व के भी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: जी, हां, ऐतिहासिक महत्व के भी, और किसी प्रकार के नहीं। वास्तव में, यदि माननीय सदस्य को भारत के अतीत या वर्तमान की कुछ भी जानकारी हो, तो उनको यह अनुभव करना चाहिये कि सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश हमारे प्राय: सभी स्मारक किसी न किसी धर्म से सम्बन्ध रखते हैं। वे ऐतिहासिक स्मारक हैं। अजन्ता हो या एलौरा, और चाहे यहां की जामा मस्जिद हो, या और अन्य स्थान हो, ये सभी महान राष्ट्रीय स्मारक हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के क्यों न हों।

†**श्री राधा रमण**: ऐतिहासिक महत्व के स्मारक, इस जामा मस्जिद के आसपास ही बहुत सी छोटी छोटी दूकानें हैं, जो बहुत ही भद्दी हैं और जिन को हटा देने से ही जामा मस्जिद का दृश्य अधिक अच्छा लगने लगेगा। क्या सरकार उनको वहां से हटाने के लिये कुछ कर रही है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का सम्बन्ध मरम्मत से है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस मामले को दिल्ली के लिये बनाये गये नये प्राधिकार से पूछा जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यापकों के वेतन क्रम

†*३१०. **श्री डाभी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में अध्यापकों की वेतन क्रमों में सुधार करने की कोई प्रस्थापना है;

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार की है, और

(ग) केंद्र का उसमें क्या अंशदान होगा ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) से (ग). प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन क्रमों में सुधार करने की बात सिद्धांत के रूप में तो मान ली गई है । अब उसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

†**श्री डाभी** : क्या उस प्रस्थापना में प्राथमिक और माध्यमिक दोनों ही प्रकार के स्कूलों के अध्यापकों के वेतन क्रमों के सुधारने के कार्य को सम्मिलित किया जायेगा ?

†**डा० एम० एम० दास**: भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के मूल प्रस्ताव में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय स्तर के तीनों वर्गों के सभी अध्यापकों को सम्मिलित किया गया था । लेकिन, केवल प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन क्रमों में वृद्धि किये जाने की बात को सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है ।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : शिक्षा मंत्रालय के उच्च पदाधिकारियों ने कई बार सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि अध्यापकों के वेतनों में वृद्धि होगी । क्या केवल सैद्धांतिक रूप से ही इसका अनुमोदन कर देने मात्र से यह कार्यान्वित हो जाती है ?

†**डा० एम० एम० दास** : मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि सरकार ने प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनों में वृद्धि करने की बात को सिद्धांत के रूप में मान लिया है ।

†**सेठ गोविन्द दास** : क्या यह बात सही है कि भिन्न-भिन्न राज्यों में इन शिक्षकों की तनख्वाहें अलग अलग ढंग की हैं, कही अधिक हैं और कहीं कम हैं ? क्या इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि यह तनख्वाहें करीब-करीब बराबर कर दी जायें ?

†**डा० एम० एम० दास** : यह सही है कि भारत के विभिन्न राज्यों के वर्तमान वेतन क्रमों में अन्तर है । सरकार ने इसी लिये इस प्रस्ताव को स्वीकार करते समय कुछ सिफारिशें भी की थीं । उनमें से एक सिफारिश यह थी कि विभिन्न राज्यों में पाई जाने वाली विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुये, उन पर अलग अलग ही विचार किया जाना चाहिये ।

†**श्री एच० जी० वैष्णव** : अध्यापकों के वेतन किस राज्य में सबसे अधिक और किस राज्य में सबसे कम हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : मेरा विचार है कि दिल्ली राज्य में सबसे अधिक ह । मैं अभी बिलकुल ठीक नहीं कह सकता । सबसे कम वेतन के बारे में, मुझे खेद है कि मेरे पास अभी कोई सूचना नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के एक रूप वेतन क्रमों के सम्बंध में की गई सिफारिश में बेसिक स्कूलों के अध्यापकों तथा शिल्प अध्यापकों को भी सम्मिलित किया जायेगा?

†**डा० एम० एम० दास** : अभी इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत** : क्या शिक्षा मंत्री का कुछ वर्ष पहले का यह कथन सत्य है कि जहां तक प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों के वेतन का प्रश्न है उत्तर प्रदेश में ही सबसे कम वेतन मिलता है, ३५ या ३० रुपये प्रति माह ?

†**डा० एम० एम० दास** : मुझे उसके बारे में कोई सूचना नहीं है ।

†**श्री कामत** : उनके मंत्री ही ने यही कहा था ।

पुरातत्वीय महत्व की वस्तुएं

†*३११. **श्री गिडवानी**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बंबई राज्य के थाना जिले के भुईगाम गांव में कुछ पुरातत्वीय महत्व की वस्तुयें मिली हैं, जिनके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि वह अशोक के प्रसिद्ध शिला-लेखों का ही एक अंश है;

(ख) क्या वहां कोई छान बीन की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)**: (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) लेख अपूर्ण हैं और वह अशोक के नवें शिला-लेख का एक अंश है ।

†**श्री गिडवानी** : क्या आसपास के क्षेत्र में अन्य शिलायें भी पायी गयी हैं जिन पर कि महात्मा बुद्ध के उपदेश अंकित हैं, और यदि हों, तो क्या इन शिलालेखों को पढ़ लिया गया है ? यदि पढ़ लिया गया है, तो वे क्या हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के पुरातत्व विभाग के अधीक्षक से इस क्षेत्र में अनुसंधान करने की प्रार्थना की गयी है, विशेषकर उस टीले पर जहां कि यह शिलालेख पाया गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

स्काईमास्टर हवाई जहाज

*२४६. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ मार्गों पर स्काईमास्टर हवाई जहाज के स्थान पर वाईकिंग अथवा अन्य प्रकार के हवाई जहाज चलाये जाने लगे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) उड़ाने में और वाणिज्यिक रूप से चलाने में वाईकिंग, डकोटा, और स्काईमास्टरों के सापेक्ष लाभ और हानि क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, केवल दो मार्गों पर वाईकिंग विमान चलाये जाने लगे हैं ।

(ख) एक स्थिति में सवारियों की इच्छा पूर्ति के लिये पुनः स्थापन किया गया, तथा दूसरी स्थिति में अल्प प्रत्युत्तर के कारण ऐसा करने की आवश्यकता हुई ।

(ग) एक विवरण, जिस में अपेक्षित सूचना दी गई है लोक-सभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या १८**]

---

†मूल अंग्रेजी में

इलाहाबाद रेलवे स्टेशन

†*२४७. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का कार्य योजनानुसार आगे बढ़ रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो धीमी प्रगति के क्या कारण हैं;

(ग) अब तक कितनी प्रगति की गई है; और

(घ) क्या योजना तथा डिजाइन में कोई परिवर्तन किया गया है अथवा किया जाने वाला है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)**: (क) से (ग). कार्य की प्रगति इसलिये धीमी रही है कि पहली बार किसी ठेकेदार ने काम का ठेका नहीं लिया और फिर से टेंडर बुलाने पड़े। मिट्टी सम्बंधी खोज भी विस्तृत रूप से की जानी थी। मिट्टी सम्बंधी खोज पूरी कर ली गयी है, काम का ठेका दे दिया गया है तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

(घ) जी, नहीं।

राष्ट्रीय जल प्रदाय योजना

†*२४८. **श्री झूलन सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) राष्ट्रीय जल प्रदाय योजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) अब तक किन राज्यों में केंद्रीय सरकार की यह योजना हाथ में ली गयी है तथा उसमें क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना दर्शाते हुये एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या १९]**

डालमिया जैन एयरवेज

†*२४९. **श्री फीरोज गांधी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा अपने निर्माण के समय डालमिया-जन एयरवेज से कितने वायुयान खरीदे गये;

(ख) ये वायुयान किस कम्पनी से खरीदे गये; और

(ग) जब डालमिया एयरवेज द्वारा दिल्ली-श्रीनगर सर्विस चलायी जा रही थी तो क्या कम्पनी में चालक, संचालन, यातायात या इंजीनियरिंग कर्मचारी थे ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) कारपोरेशन के निर्माण के समय कोई नहीं खरीदा गया, किन्तु बाद को फरवरी, १९५५ में एक वायुयान खरीदा गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

*२५०. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री जी० एल० चौधरी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना से अभी तक कितने प्रतिशत कर्मचारियों को लाभ हुआ है; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) जिन व्यक्तियों का बीमा हुआ है, उनके परिवारों को चिकित्सा सहायता देने के बारे में क्या अभी तक कोई निर्णय किया गया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा ऐक्ट, कारखानों में काम करने वाले लगभग बाईस लाख पचास हजार कर्मचारियों पर लागू होता है। अब तक इनमें से करीब आधे कर्मचारी योजना में लाये जा चुके हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

कोयला खान भविष्य-निधि योजना, १९४८

†*२५१. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **श्रम** मंत्री १ दिसम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ३६९ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से मालिकों के अंशदान की जब्ती सम्बन्धी उपबन्धों को कोयला खदान भविष्य निधि योजना, १९४८ के अन्तर्गत कर्मचारियों के पक्ष में उदार करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके कारण ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). मामला विचाराधीन है तथा इस पर शीघ्र ही निर्णय लिय जाने की आशा है ।

मीन-क्षेत्र

†*२५२. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ट्रावनकोर-कोचीन राज्य के तट से परे 'वाडेगे बैंक' का इस दृष्टि से विस्तृत सर्वेक्षण किया है कि वहां नियमित रूप से मछली निकालने की संभावना मालूम की जायें;

(ख) क्या सरकार ने यह हिसाब लगाया है कि इस में कार्य करने के लिये कितने लोगों को लगाना पडेगा तथा मछली का कितना उत्पादन होगा; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नौवहन

†*२५३. **श्री बंसल** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहाजों के भाड़े की दरों में पक्षपात सम्बंधी जो आरोप लगाये गये हैं क्या उनकी जांच करने के लिये कोई विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच पूरी हो चुकी है; और

(ग) जांच के परिणाम क्या रहे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री श्री अलगेशन** : (क) जी, हां । डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग के एक पदाधिकारी को समुद्र पार व्यापार की जहाजरानी के भाड़े की दरों के सम्बंध में पक्षपात अथवा असमानता के आरोपों की जांच के लिये नियुक्त किया गया है ।

(ख) और (ग). कुछ मदों के सम्बंध में जांच पूरी हो चुकी है तथा अन्य के सम्बंध में अभी जारी है। इस जांच के परिणामों के कारण सम्बंधित सम्मेलनों ने कुछ मामलों में भाड़े की दरों में उपयुक्त परिवर्तन कर दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

भारत-अमरीकी विमान-परिवहन समझौता

†*२५४. **श्री केशव अय्यंगार :**
श्री एम० एस० गुरपादस्वामी :
श्री डी० सी० शर्मा :
श्री एस० वी० रामस्वामी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल में भारत तथा अमेरिका के बीच हुये विमान-परिवहन समझौते की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : अपेक्षित सूचना दर्शाते हुये एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २०]**

भेषजीय जांच समिति का प्रतिवेदन

†*२५५. **श्री गिडवानी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ३ मार्च, १९५५ को दिये गये, अतारांकित प्रश्न संख्या १११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भेषज नियंत्रण के प्रशासन के केंद्रीय-करण के सम्बन्ध में भेषजीय जांच समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में क्या प्रगति की हुई है?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : समिति की यह विशिष्ट सिफारिश अब भी विचाराधीन है ।

डाक टिकट प्रतियोगिता

†*२५६. **श्री डाभी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महात्मा बुद्ध की २५००वीं जयन्ती के समारोह के अवसर पर निकलने वाली विशेष डाक टिकटों की प्रतियोगिता के नियमानुसार कलाकार बुद्ध जी की व्यक्तिमत्ता का कोई प्रतिरूप चुनने से प्रतिबंधित हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) बौद्ध अनुयायी भावना सामान्यतया डाक टिकटों पर भगवान बुद्ध के व्यक्तिगत रूप को अंकित करने के विरुद्ध है ।

अमरीका द्वारा गेहूं की भेंट

†*२५७. **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हाल में अमेरिका द्वारा उड़ीसा के बाढ़ ग्रस्त लोगों के लिये गेहूं देने का एक प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया था; और

(ख) सन् १९५५-५६ में अमेरिका अथवा किसी अन्य विदेश द्वारा नकदी या जिन्स में प्रस्तुत कोई सहायता अस्वीकृत की गयी थी ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) और (ख). जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अमरावती तथा नागार्जुनकोंडा

†*२५८. **डा० रामा राव :**
श्री मोहन राव :

क्या **परिवहन** मंत्री १७ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार ने आंध्र के पुरातन बौद्ध केंद्र अमरावती तथा नागार्जुनकोंडा में पर्यटक सुविधाओं में सुधार करने के लिये अब तक क्या कदम उठाये हैं;

(ख) आगामी बुद्ध जयन्ती समारोह के अवसर पर इन दोनों ऐतिहासिक स्थानों के लिये सरकार का क्या करने का विचार है; और

(ग) क्या इन दोनों पुरातन केंद्रों की कलात्मक, ऐतिहासिक तथा शैक्षिक महत्ता दर्शाते हुये कोई सचित्र पुस्तक सरकार द्वारा तैयार की जा रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). बुद्ध जयन्ती समारोह के अवसर पर विकसित किये जाने वाले पर्यटक केंद्रों की सूची में ये स्थान सम्मिलित नहीं किये गये हैं। किन्तु इन स्थानों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकसित करने पर विचार हो रहा है।

(ग) परिवहन मंत्रालय द्वारा मार्च, १९५४ में प्रकाशित 'दि गाइड टु साउथ इंडिया (मद्रास और आंध्र)' में इन स्थानों के महत्व पर एक पैरा है।

सुदूर पूर्व जाने के लिए वायुमार्ग

†*२५९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया इन्टरनेशनल द्वारा टोक्यो के लिये द्वितीय सर्विस का उद्घाटन करने के बाद क्या सुदूर पूर्व के लिये नये मार्ग पर विमान चलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ये कब खोले जायेंगे ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). एयर इंडिया इंटरनेशनल ने टोक्यो को अपनी सर्विस ५ जनवरी, १९५६ से दोहरी कर दी है। उसका अपनी बंबई मद्रास-सिंगापुर सर्विस को आस्ट्रेलिया तक बढ़ाने का विचार है किन्तु यह कहना संभव नहीं है कि यह कब क्रियान्वित होगा क्योंकि प्रस्ताव अभी विचाराधीन ही है तथा विभिन्न पहलुओं जैसे यातायात का सम्भावित विस्तार, वायुयान तथा चालकों की उपलब्धि आदि पर सावधानीपूर्वक ग़ौर किया जाना है।

अंतर्देशीय जल परिवहन

†*२६०. **श्री एम० इस्लामुद्दीन :**
श्री एस० सी० सामन्त :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊपरी गंगा पर अन्तर्देशीय परिवहन के विकास के लिये नौकाओं का निर्माण अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण; और

(ग) गंगा पर पटना से इलाहाबाद तक तथा घाघरा पर पटना से भारनघाट तक यंत्र-परिचालित नौवहन कब तक प्रारम्भ किया जायगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). जी नहीं। नौका का निर्माण हो रहा है तथा इसके लगभग एक वर्ष में तैयार हो जाने की आशा है।

(ग) नौका के उपलब्ध होते ही।

आर० एम० एस० हेडक्वार्टर्स "सी" डिवीजन

†*२६१. **श्री जी० पी० सिन्हा :**
श्री के० के० दास :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आर० एम० एस० "सी" डिवीजन हेडक्वार्टर्स को कलकत्ते से बिहार में गया में ले जाने का विचार है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : जी हां।

ग्रामीण प्रसूति केन्द्र

†*२६२. **पंडित डी० एन० तिवारी :**
श्री इब्राहीम :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्यों को ये निदेश भेजे गये हैं कि ऐसे महत्व पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अन्य चिकित्सा सुविधायें अत्यन्त न्यून हैं प्रसूति केंद्र खोले जायें ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूति व शिशु कल्याण सेवाओं में सुधार करने के लिये राज्य सरकारों को सन् १९५४ में यह सुझाव दिया गया था कि वे अपने पिछड़े हुये क्षेत्रों में जितने अधिक प्रसूति व शिशु कल्याण केंद्र खोल सकें खोलें। इस कार्य के लिये केंद्र की आर्थिक सहायता प्रस्तुत की गयी थी।

भ्रष्टाचार विरोधी विभाग

*२६३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों के विभिन्न खंडों में भ्रष्टाचार विरोधी विभाग खोले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन खंडों में भ्रष्टाचार विरोधी विभाग खोले गये हैं; और

(ग) इस कार्य को चलाने के लिये इन विभागों ने कौन-सा तरीका अपनाया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या २१**]

(ग) भ्रष्टाचार के जो मामले इन संगठनों के नोटिस में आते हैं स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट के सहयोग से उनकी जांच की जाती है। इन संगठनों के कर्मचारी भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाने के लिये अक्सर दौरा भी करते हैं। भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिये इन संगठनों को मजबूत किया जा रहा है, जिससे वे उन कामों का पता लगा सकें जिनमें भ्रष्टाचार की अधिक संभावना रहती है और उनकी कार्य-विधि की छान-बीन करके उसकी त्रुटियों को दूर कर सकें ताकि अनियमित काम करने का मौका कम मिले।

सफेद चीनी का निर्माण

†*२६४. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश में सफेद चीनी तैयार करने की एक ऐसी प्रक्रिया विकसित की गयी है जिसमें गंधक का प्रयोग नहीं किया जाता ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : जी हां। पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डा० एन०

†मूल अंग्रेजी में

घोष द्वारा आविष्कृत चीनी निर्माण की एक नई विद्युत प्रक्रिया का चीनी प्रौद्योगिक संस्था, कानपुर में इस समय,परीक्षण मात्रा पर प्रयोग किया जा रहा है ।

मक्खियां

†*२६५. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार दिल्ली नगर में मक्खियों के विरुद्ध प्रयोगात्मक उपाय के रूप में चीनी प्रणाली पर आन्दोलन कब शुरू करेगी और इस कार्य में क्या लागत लगेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : स्थानीय प्राधिकारी यह महसूस करते हैं कि चीनी प्रणाली दिल्ली में व्यवहार्य नहीं होगी । अतः वह दिल्ली में परीक्षणात्मक आन्दोलन करने के लिये तैयार नहीं हैं ।

भूमि-परिरक्षण

†*२६६. **श्री हेमराज** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की भूमि परिरक्षण समिति ने गत वर्ष अपने वार्षिक अधिवेशन में क्या मुख्य-मुख्य सिफारिशें की थीं; और

(ख) सरकार उनमें से किन-किन को स्वीकार करना चाहती है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) समिति ने अभी तक भारत सरकार के पास सिफारिशें नहीं भेजी हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जहाजों के भाड़े

†*२६७. **श्री पी० सी० बोस** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कुछ नौवहन समवायों ने मार्च १९५६ से भाड़े की दर में १० प्रतिशत बढ़ाने का निश्चय कर लिया है और इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : जी हां । यह सच है कि कुछ समुद्रपार नौवहन सम्मेलनों ने अपने संघटकों द्वारा लिये जाने वाले भाड़े की दरों में मार्च १९५६ से १० प्रतिशत की वृद्धि करने का निश्चय कर लिया है । इसका कारण संचालन व्यय में वृद्धि बताया जाता है ।

रेलवे में डिवीजन प्रणाली

†*२६८. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :**
श्री वेलायुधन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे में प्रशासन की डिवीजनल प्रणाली को जारी करने के प्रश्न को आगे बढ़ाने का निश्चय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रणाली अधिक कुशलता तथा सभी स्तरों पर अच्छे समन्वय के लिये लाभदायक पायी गयी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह प्रणाली विशेषतया बड़ी रेलवे पर अधिक कुशलता के लिये लाभदायक है क्योंकि इससे उस स्तर पर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय होता है जिस स्तर पर कार्य किया जाता है ।

मद्रास पत्तन

†*२६९. **श्री सी० आर० नरसिंहन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में बड़े पत्तनों के विकास के लिये जिन योजनाओं की रूपरेखा दी गयी थी उनके निष्पादन में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि मद्रास पत्तन में विकास कार्य की प्रगति निश्चित लक्ष्य से पीछे है; और

(ग) यदि हां, तो किस हद तक और उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २२]**

(ख) और (ग). मद्रास पत्तन में पश्चिमी गोदी योजना का काम निश्चित लक्ष्य से कुछ पीछे है । ऐसे विशाल समुद्रीय निर्माण योजना में विशेष विवरणों तथा रूपांकनों की तैयारी में और ठेके देने में निश्चय ही समय लगता है क्योंकि उनके अन्तिम निश्चय के लिये विस्तृत जांच और अध्ययन करना आवश्यक होता है ।

'अपना टेलीफोन' योजना

†*२७०. **श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमंदाबाद में 'अपना टेलीफोन' योजना के अन्तर्गत आये आवेदन पत्रों में अभी कितने आवेदकों को कनक्शन नहीं दिया गया है;

(ख) वे कितने समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का इरादा उन्हें कोई प्रतिकर देने का है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) अहमदाबाद में ६३ आवेदक जो निक्षेप जमा कर चुके हैं, टेलीफोन कनेक्शन लगने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

(ख) छः महीने से कम समय से ।

(ग) जी नहीं, निक्षेपों पर ब्याज दिया जाता है यदि भुगतान के छः महीने के भीतर ही कनेक्शन नहीं दिया जाता ।

चीनी का आयात

†*२७१. **श्री तुलसी दास** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान चीनी के आयात के हिसाब में प्रतिवर्ष कुल कितने विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ी; और

(ख) इन में से प्रत्येक वर्ष चीनी के विक्रय से सरकार को कुल कितना लाभ हुआ ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान चीनी के आयात के लिये प्रति वर्ष जितने विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ी, वह निम्न प्रकार हैं :

१९५१-५२	कुछ नहीं
१९५२-५३	कुछ नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

१९५३-५४	५·७६ करोड़ रुपये
१९५४-५५	३४·४३ करोड़ रुपये
१९५५-५६	९·२१ करोड़ रुपये ।

(ख) चूंकि एक विशेष वर्ष में खरीदी गयी सभी मात्रा का उसी वर्ष में आयात और विक्रय नहीं किया जा सका अतः प्रत्येक वर्ष के लाभ के आंकड़े अलग-अलग नहीं निकाले गये हैं । आयात की गयी चीनी में से लगभग एक लाख टन चीनी अभी भी पड़ी हुई है । कुल चीनी के बिक जाने पर कुल लाभ लगभग ८ करोड़ रुपये हो जायेगा ।

टेलीफोन सूचना-सेवा

†*२७२. **श्री वोडयार** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन एक्सचेंजों में सूचना-सेवा शुरू करने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो यह मामला किस अवस्था में है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां, कुछ बड़े एक्सचेंजों में ।

(ख) मामला अभी विचाराधीन है ।

रेलों में कार्यकुशलता टुकड़ियां

†*२७३ { **श्री गार्डिलिगन गौड़ :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न रेलों में कार्यकुशलता टुकड़ियों का कार्य कब प्रारम्भ होगा और उसमें अनुमानतः क्या खर्च होगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : मामला विभिन्न रेलवे के विचाराधीन है ।

नलकूप

†*२७४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समन्वेषी नलकूपों सम्बंधी 'स्थान प्रवरण समिति' ने पंजाब और पेप्सू राज्यों का दौरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कौन-कौन से स्थान चुने गये ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बौद्ध यात्रियों को यात्रा सम्बन्धी सुविधायें

†*२७५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी बौद्ध यात्रियों को यहां दी जाने वाली यात्रा सम्बन्धी सुविधाओं का प्रचार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है, ताकि उन्हें इस प्रकार की सुविधाओं का पता चल जाये ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : जिन रियायतों के देने का फैसला किया गया है उनकी घोषणा कुछ दिन पहले एक प्रेस नोट द्वारा कर दी गयी थी । इस प्रेस नोट की प्रतियां दिल्ली में रहने वाले विदेशी प्रेस प्रतिनिधियों को दी गयी थीं । इनमें उन देशों के कुछ प्रेस प्रतिनिधि भी शामिल हैं जहां बौद्ध अधिक संख्या में रहते हैं । दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में प्रचार के लिये इस प्रेस नोट की सूचना इन देशों के भारतीय दूतावास के सूचना-केंद्रों को भी भेज दी गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

हावड़ा और बर्दवान के बीच बिजली से रेल चलाने की योजना

†*२७६. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री १ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डावड़ा-बंडल-बर्दवान खंड में बिजली द्वारा रेल चलाने के कार्य में अभी तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने इस बात को ध्यान में रख कर कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बिहार/बंगाल की कोयले की खानों को अपना कोयले का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, इस कार्य की प्रगति की रफ्तार बढ़ाने के औचित्य पर विचार कर लिया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)**: (क) बिजली के इंजनों, बिजली के डिब्बों, सबस्टेशनों, उपरि-सामान पारेषक लाइनों तथा संरचना के ठेके दे दिये गये हैं। उपरि संरचना के सम्बन्ध में नींव का कार्य प्रारम्भ हो गया है जिसमें से लगभग ३ मील पूरा भी हो चुका है ।

(ख) प्रगति की रफ्तार बढ़ाना संभव नहीं है क्योंकि भंडार तथा सामान का आयात करना पड़ेगा और अच्छे से अच्छा सामान मंगाया जा चुका है ।

डाक के संस्मरण टिकट

†*२७७. **श्री डाभी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि क्या यह सच है कि सरकार १८५७ के स्वतन्त्रता संग्राम का संस्मरण मनाने के लिये १८५७ के शहीदों के चित्रांकित विशेष डाक टिकट निकालने का विचार रखती है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर)**: मामला सरकार के विचाराधीन है ।

तेज चलने वाली रेल गाड़ियों की व्यवस्था

†*२७८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में कुछ मुख्य रास्तों पर अधिक रफ्तार से चलने वाली रेलों के चालू करने का विचार रखती है; और

(ख) वह कौन से मुख्य रास्ते हैं जिन पर अधिक रफ्तार से चलाने वाली गाड़ियां चालू की जायेंगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली-हावड़ा, दिल्ली-बंबई और दिल्ली-मद्रास तीनों मुख्य रास्तों में से प्रत्येक पर ज्यादा रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों की सेवा चालू करने की एक दीर्घकालीन योजना है ।

डालमिया-जैन एवियेशन, लिमिटेड

†*२७९. **श्री फीरोज गांधी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डालमिया-जैन एवियेशन लिमिटेड के पास कितने विमान थे;

(ख) इंडियन एअरलाइन्स कारपोरेशन ने डालमिया-जैन एवियेशन लिमिटेड से कितने विमान खरीदे; और

(ग) डालमिया–जैन एवियेशन लिमिटेड द्वारा कितनी अनुसूचित या गैर-अनुसूचित विमान सेवायें चलाई जाती थीं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर)**: (क) इस संस्था के नाम एक समय १८ विमान दर्ज थे पर इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण के समय इस संस्था के पास केवल ४ विमान थे ।

(ख) एक ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) समवाय १९४८-४९ में दिल्ली-श्रीनगर मार्ग पर अनुसूचित विमान सेवा चलाता था। इस समवाय द्वारा अधिकांश गैर-अनुसूचित सेवायें बंगाल-आसाम क्षेत्र में की जाती थीं । १९४७ के उत्तरार्ध और १९४८ के प्रारंभ में इस समवाय ने जम्मू और काश्मीर राज्य से तथा जम्मू और काश्मीर राज्य को बड़े पैमाने पर अपने विमान चलाये और विभाजन के बाद की अवधि में निष्क्रांतों के लाने के काम में भी विमान चलाये। समवाय ने ३०-६-१९४९ के बाद कोई भी अनुसचित सेवा तथा १८ फरवरी १९५२ के बाद कोई भी गैर अनुसूचित सेवा नहीं चलाई। अनुसूचित सेवा के लिये उसकी अनुज्ञप्ति ३०-६-४९ को और गैर अनुसूचित सेवा के लिये उसकी अनुज्ञा ३०-९-१९५३ को समाप्त हो गयी।

बेगुन में तारघर

†*२८०. **श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर १९५४ तक बेगुन में तारघर खोलने का वादा पूरा कर दिया गया है; और

(ख) १९५०-५५ के बीच चित्तौड़गढ़ जिले में कितने नये तारघर खोले गये हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) अभी नहीं, बाद में टेलीफोन सुविधाओं की भी व्यवस्था करने के लिये प्रस्थापना का संशोधन करना पड़ा था।

(ख) २।

तिलहन

†*२८१. **श्री तुलसीदास** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २१ दिसम्बर, १९५५ को पछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११०८ के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहन पेरना उद्योग समिति ने अपना प्रतिवेदन तब से प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मांस उत्पादन

†*२८२. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री वोडयार :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गोश्त उत्पादन और बिक्री के सम्बन्ध में सरकार को विज्ञान तथा निरीक्षण निदेशालय से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जायगी ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)**: (क) जी हां।

(ख) प्रतिवेदन की छपी हुई प्रतियां माननीय सदस्यों के उपयोग के लिये लोक-सभा के पुस्तकालय में पहले ही रख दी गयी हैं।

दूर-संचार गवेषणा केन्द्र

†*२८३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर संचार गवेषणा केन्द्र चालू हो गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वहां किस प्रकार की गवेषणा की जायगी ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) हां ।

(ख) चूंकि वह केंद्र करीब एक महीना पहले ही खोला गया था, अब तक केवल प्रारम्भिक काम ही से सामग्री मंगाना और सुलझायी जाने वाली समस्याओं की प्राथमिकता निर्धारित करना, प्रारम्भ किये गये हैं ।

रेल दुर्घटना

†*२८४. **श्री यू० एम० त्रिवेदी :**
श्री डी० सी० शर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फतेहाबाद-चन्द्रावतीगंज में दो रेल गाड़ियों के आमने सामने टक्कर के कारणों की कोई जांच की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) तारीख २-१-५६ को फतेहाबाद-चन्द्रावतीगंज स्टेशन पर लगभग १८-३३ बजे ४४८ डाउन फास्ट पैसेंजर और ४३५ अप पैसेंजर गाड़ियों में हुई टक्कर के सम्बन्ध में रेलवे के सरकारी निरीक्षक, बंबई, ने जांच की है ।

(ख) सरकारी निरीक्षण का तात्कालिक निर्णय यह है कि ४४८ डाउन गाड़ी जिस लाइन पर पहले से खड़ी थी उसी लाइन पर ४३५ अप गाड़ी के आगमन के सिलसिले में ठहरने की जगह गलत लगायी जाने के कारण टक्कर हुई ।

तेल खोजने के यंत्र

†*२९७. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने तेल खोजने के वे यंत्र खरीद लिये हैं जो नई दिल्ली में भारतीय उद्योग मेले के रूसी मंडप में प्रदर्शन के लिये रखे गये थे; और

(ख) यदि हां, तो वे किस प्रकार के हैं और उनका क्या कार्य है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) नहीं, श्रीमान् । केवल एक इकाई अर्थात् भूकम्पीय उपकरण की खरीद विचाराधीन है ।

(ख) यदि उपकरण खरीदा जायगा तो वह भूकम्पीय खोज के काम में लाया जायगा ।

हिन्दी उड़िया शब्दकोष

***३०२. श्री जी० एल० चौधरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्कल राष्ट्र भाषा प्रचार समिति द्वारा हिन्दी-उड़िया शब्द कोष बनाने के लिये भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार को अभी तक कितनी सहायता दी है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : राज्य सरकार को आर्थिक सहायता देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

विदेशों में भारतीय बैंकों की शाखाएं

†*३०३. **श्री तुलसीदास** : क्या **वित्त** मंत्री पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) १९५१ से विदेशों में भारतीय बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गयी हैं और उसके क्या सविस्तार विवरण हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में रक्षित (रिजर्व) बैंक ने संचालन और समन्वय का क्या कार्य किया है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये भारत सरकार और रक्षित (रिजर्व) बैंक ने किस प्रकार की सुविधाएं दी हैं ?

†**राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह)**: (क) १९५१ से विदेशों में भारतीय बैंकों द्वारा खोली गयी शाखाओं की संख्या दिखाने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २३]**

(ख) बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ की धारा २३ में उल्लिखित बातों पर उचित विचार करने के बाद ही रक्षित बैंक शाखाएं खोलने की अनुज्ञा देता है। भारत का रक्षित बैंक स्वत: इस बात में संतुष्ट होकर, कि शाखाएं खोलने से सार्वजनिक हित में लाभ होगा, समन्वय करता है। फिर भी, भारत का रक्षित बैंक, किन्हीं विशेष कारणों से, किसी बैंक को किसी खास जगह शाखा खोलने के लिये नहीं कहता।

(ग) सरकार और भारत का रक्षित बैंक सभी संभव सहायता देने के लिये उत्सुक है किन्तु किस प्रकार की सुविधाएं दी जायेंगी यह प्रत्येक विशिष्ट मामले की परिस्थितियों पर निर्भर होता है।

राष्ट्रीय एटलस

*३१३. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री ३ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १४०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एटलस तैयार करने के लिये एक संगठन बनाने के बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यक्रम तथा कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी देने वाला एक विवरण टेबल पर रखा जायेगा ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी विवरण पत्र के रूप में सभापटल पर प्रस्तुत की जाती है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २४]**

गांवों का विकास

†*३१४. **श्री सी० डी० पांडे** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विश्वविद्यालयों के कुछ चुने हुये विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को ग्रामविकास के लिये शिक्षणात्मक वृत्ति (एपरिंटिसशिप) देने की योजना बनाने का विचार कर रही है;

(ख) विभिन्न विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों ने योजना के प्रारूप के बारे में क्या राय दी है; और

(ग) यह योजना कब कार्यान्वित की जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी, हां। योजना को अन्तिम रूप देकर विश्वविद्यालयों के पास भेजा जा चुका है।

(ख) विश्वविद्यालयों ने सामान्यत: इस योजना का स्वागत किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९५६ की गर्मियों की छुट्टियों में इस योजना को कार्यान्वित किया जायेगा ।

सोने के भाव

†*३१५. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दिसम्बर में सोने का भाव बहुत अधिक गिर गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : (क) अक्तूबर २१ और नवम्बर २५ के बीच भाव ३·६ प्रतिशत बढ़ गये और नवम्बर २५ से दिसम्बर १३ के बीच ३·९ प्रतिशत गिर गये । यह अपनी-अपनी राय का विषय है कि ये उतार बहुत अधिक थे या नहीं ।

(ख) बंबई सोना चांदी बाजार में भावों के उतार चढ़ाव के बिलकुल ठीक-ठीक कारण बताना संभव नहीं है ।

नैट जेट विमान

†*३१७. **श्री राधा रमण** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नैट जेट विमानों की खरीद के लिये इंग्लिश एयरक्राफ्ट फैक्टरी से अभी बातचीत कर रही है;

(ख) क्या देश में उन्हें बनाने की सम्भावनाओं पर चर्चा करने के लिये सरकार वहां एक शिष्ट-मंडल भेजने का विचार करती है; और

(ग) यदि हां, तो सम्बंधित विमान फैक्टरी के साथ बातचीत किस दशा तक पहुंची है ?

†**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) और (ख) हां । सरकार नैट विमान की खरीद के लिये और यथासमय अनुज्ञप्ति के अधीन उनके निर्माण के बारे में भी बातचीत कर रही है ।

(ग) संविदा मसविदों पर चर्चा की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश सशस्त्र पुलिस

†*३१८. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को जनवरी १९५६ में बंबई में अपनी सशस्त्र पुलिस सेना भेजने का आदेश दिया था; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रयोजन के लिये और किन परिस्थितियों में ऐसे आदेश जारी किये गये थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) राज्यों के प्रस्थापित पुनर्गठन से उत्पन्न, शांति तथा व्यवस्था की गंभीर स्थिति का मुस्तैदी से सामना करने के लिये ऐसा किया गया ।

भारत इलेक्ट्रानिक्स फैक्टरी

†*८१. **श्री केशव अय्यंगार** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इलेक्ट्रानिक्स फैक्टरी, बंगलौर की इमारतों का निर्माण कार्य सर्वप्रथम एम० ई० एस० को सौंप दिया गया था;

(ख) क्या उसमें कोई परिवर्तन किया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) हां ।

(ख) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने एम० ई० एस० से कुछ काम वापस ले लिया था लेकिन अधिकांश काम एम० ई० एस० द्वारा ही किया जा रहा है ।

(ग) अप्रैल, १९५४ में भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के कंपनी के तौर पर पंजीकृत किये जाने के पूर्व, फैक्टरी की स्थापना के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य की देख-भाल रक्षा मंत्रालय करता था जिसने भवन निर्माण कार्य एम० ई० एस० को सौंप दिया था । कंपनी के लिये संचालक बोर्ड बनाये जाने पर, बोर्ड ने कुछ काम अपने यांत्रिक कर्मचारियों से कराना अधिक अच्छा समझा क्योंकि उसका यह विचार था कि अपने प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन काम कराना लाभदायक होगा और साथ ही उससे एम० ई० एस० विभागीय व्यय की बचत होगी ।

प्रकाशस्तम्भ

†**१०९. श्री इब्राहीम** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५५-५६ के दौरान में देश के प्रकाशस्तम्भों में सुधार और विकास में क्या प्रगति हुई है;

(ख) उस अवधि में इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गयी है;

(ग) उस धनराशि में से कितना खर्च हुआ है;

(घ) कितने मूल्य के प्रकाशस्तम्भ उपकरण के लिये विदेशों में आर्डर दिये जा चुके हैं; और

(ङ) वह उपकरण संभवतः कब तक यहां पहुंचेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) २५ नये प्रकाशस्तम्भों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और १९५५-५६ में आठ विद्यमान प्रकाशस्तम्भों में सुधार किया गया है ।

(ख) ५६·४८ लाख रुपये ।

(ग) जनवरी १९५६ के अन्त तक २५·२२ लाख रुपये ।

(घ) १९ लाख रुपये ।

(ङ) २५ प्रकाश और पीपे स्टेशनों के लिये यंत्र और सामग्री पहले ही प्राप्त हो चुकी है और शेष सामग्री फरवरी १९५७ के अन्त के पूर्व संभवतः आ जायगी ।

तारघर

†**११०. श्री इब्राहीम** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९५५ को भारत में कितने तारघर थे;

(ख) उस तारीख को बिहार में कितने तारघर थे; और

(ग) क्या सरकार ५ हजार से अधिक जन-संख्या वाले नगरों में तारघर खोलने का विचार करती है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) ५,००८ ।

(ख) ४०७ ।

(ग) हां, जहां कहीं सालाना ५०० रुपये से अधिक नुकसान न हो और पांच मील के भीतर कोई दूसरा तारघर न हो; जहां नुकसान अधिक होगा वहां प्रत्याभूति आधार पर वह सुविधा दी जायगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टेलीफोन लाइनें

†१११. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन विभाग, मद्रास नगर के विभिन्न क्षेत्रों में, ऊपर की, टेलीफोन लाइनों को हटा कर उन्हें जमीन के अन्दर से ले जाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या नगर के विभिन्न एक्सचेंजों में निवारक साधारण पद्धति (प्रिवैन्टिव मेनटेनैन्स सिस्टम) लागू की जा चुकी है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) विभाग का उद्देश्य बड़े नगरों तथा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कम से कम टेलीफोन लाइनों के खंभे पर लगाकर, अधिकांश टेलीफोन कनेक्शन जमीन के अन्दर से तार ले जाकर देने की है ।

(ख) इसका मुख्य कारण यह है कि इससे तारों में बाधायें तथा दोष कम होते हैं ।

(ग) निवारक संधारण पद्धति (प्रिवेन्टिव मैनटेनैन्स सिस्ट्स) विभाग के लिये नवीन नहीं है । इसका उपयोग सदैव इसलिये किया जाता है कि टेलीफोन तथा टेलीग्राफ के तारों में कम से कम दोष आयें ।

रोहतक-गोहाना रेल सम्पर्क

†११२. **श्री आर०के० गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रोहतक गोहाना रेल कडी को फिर बहाल करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: जी हां ।

यंत्रों द्वारा खेती

†११३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लंका में अभ्पाराइ के स्थान पर खाद्य तथा कृषि संघठन के तत्वाधान में, यंत्रों द्वारा खेती के प्रशिक्षण केंद्र तथा प्रविधिक बैठक में हुये प्रशिक्षण के ब्यौरे क्या हैं;

(ख) इस प्रशिक्षण के लिये चुने गये व्यक्तियों के नाम तथा विवरण क्या हैं; और

(ग) इन व्यक्तियों का चुनाव किस आधार पर किया गया है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)**: (क) उपकरण के चुनाव, प्रवर्तन की प्रविधि, मूल तथा क्षेत्रीय कारखानों, देख-भाल, प्रबंध, कृषि के यंत्रों की मरम्मत तथा अर्थ व्यवस्था, का प्रशिक्षण, केंद्र में दिया गया ।

(ख) निम्न तीन पदाधिकारी इस प्रशिक्षण के लिये चुने गये थे :

(१) श्री पी० एल० गोयल, भांडार निदेशक (डायरैक्टर आफ स्टोर्स) केंद्रीय ट्रैक्टर संस्था, नई दिल्ली ।

(२) मेजर एच० एस० सांधू, उपनिदेशक, तराई प्रक्षेत्र, रुद्रपुर, उत्तर-प्रदेश ।

(३) श्री बी० सुब्बाराजू, कृषि इंजीनियर, हैदराबाद सरकार ।

मेजर सांधू नहीं शामिल हो सके क्योंकि राज्य सरकार ने उन्हें नहीं जाने दिया ।

(ग) इस प्रशिक्षण के लिये अभ्यार्थी खाद्य तथा कृषि संघठन द्वारा निर्धारित अर्हताओं के आधार पर चुने गये थे । जिनकी प्रस्तुत प्रशिक्षण में दिलचस्पी रखने वाले कुछ राज्य सरकारों तथा केंद्रीय ट्रैक्टर संस्था से प्रार्थना की गई थी कि वह अपेक्षित अर्हताओं वाले अभ्यार्थियों के नाम निर्दिष्ट करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मलेरिया की रोकथाम

†११४. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) प्रत्येक राष्ट्रीय मलेरिया की रोक-थाम करने वाले एकव्य को चलाने पर वार्षिक व्यय क्या है; और

(ख) डी० डी० टी० को चीरी से बाजार में ले जाये जाने पर क्या नियंत्रण लगाया जा रहा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) औसत वार्षिक व्यय ४·६७ लाख रुपये है ।

(ख) अभी तक डी० डी० टी० का चोरी से बाजार में ले जाने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

भारतीय फसलों का क्रम

†११५. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय फसलों के क्रम के प्रकाशन का क्या प्रयोजन है; और

(ख) क्या इस पत्री को लोकप्रिय बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) इस प्रकाशन से, भारत की मुख्य फसलों के सम्बन्ध में भूमि, वर्षा, बुवाई तथा कटाई के समय फसल की बीमारी, जलवायु की दशा आदि, की उचित जानकारी के साथ, विभिन्न राज्यों में होने वाले कृषि कार्यों के सम्बन्ध में जनता को जानकारी कराने का विचार है ।

(ख) फसली पत्री के अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं तथा समाचारपत्रों में विज्ञापन और 'प्रेस नोट' द्वारा इसकी सूचना, जैसा मूल्य वाले प्रकाशनों के सम्बन्ध में होता है, जनता को दे दी गई है ।

जयपुर स्टेशन

†११६. **श्री राधा रमण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार जयपुर रेलवे स्टेशन के नव-निर्माण का विचार करती है; और

(ख) यदि हां, तो वहां किन नई सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां ।

(ख) (१) बड़े-बड़े प्रतीक्षालय तथा प्रतीक्षा कक्षा जिन में ठहरने की सुविधा के साथ-साथ आधुनिक स्वच्छता सम्बन्धी (सैनिटरी) सुविधायें भी होंगी ।

(२) यात्रियों को टिकट दिलाने, स्थान आरक्षण तथा जांच की अच्छी सुविधायें ।

(३) पर्यटकों के लिये विश्राम का कमरा ।

(४) सामान रखने की सुविधायें ।

(५) पार्सल तथा सामान सम्बन्धी अधिक सुविधायें

(६) उपाहार स्टाल ।

डाक तथा तार कर्मचारी

†११७. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ से अब तक समस्त भारत में अतिरिक्त विभाग कार्यालयों को विभाग कार्यालय बनाने के परिणामस्वरूप कितने अतिरिक्त विभाग कर्मचारियों को सेवा-मुक्त कर दिया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस प्रकार के कितने कर्मचारियों को रखा गया अथवा सेवा में पुनः लिया गया है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) ९४२;

(ख) ११६

सड़कें

†११८. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सड़कों के सुधार के लिये १९५५-५६ में राज्य सरकारों को कितना अनुदान दिया गया ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगशन)** : ६९१·११ लाख रुपये

रेल दुर्घटनायें

*११९. **चौधरी मुहम्मद शफी :**
श्री डी० सी० शर्मा :
श्री सी० आर० अय्युण्णि :
श्री एम० एल० अग्रवाल :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अक्तूबर, १९५५ से ३१ जनवरी, १९५६ तक की अवधि में भारतीय रेलों में खंडवार, कितनी दुर्घटनायें हुईं;

(ख) कुल कितनी सम्पत्ति तथा जनहानि हुई;

(ग) इनके कारण क्या थे; और

(घ) प्रतिकर के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) इस अवधि में हुई, रेल* दुर्घटनाओं की कुल संख्या यह है :

रेलवे	रेल दुर्घटनाओं की संख्या
मध्य	१७५
पूर्व	२१७
उत्तर	२३१
पूर्वोत्तर	२०२
दक्षिण	१९६
दक्षिण पूर्व	१४५
पश्चिम	१३५
जोड़	१३०१

*रेल दुर्घटनायें इस प्रकार की हुई हैं :

रेल का पटरी से उतर जाना, टक्कर, बचाई गई टक्कर बन्द अथवा गलत लाइनों पर रेलगाड़ी

†मूल अंग्रेजी में

का आना, गाड़ियों का स्वतः चल पड़ना, गाड़ियों का अलग-अलग हो जाना, गाड़ियों का 'लैवल क्रासिंग' पर टकराओ, गाड़ियों में आग लग जाना, सही 'लाइन क्लीयर' अथवा बिना 'लाइन क्लीयर' मिले गाड़ियों का चलना।

(ख) (१) रेल दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप मरे व्यक्तियों की कुल संख्या यह है :

रेलवे	मरे हुये व्यक्तियों की संख्या
मध्य	११
पूर्व	१
उत्तर	५
पूर्वोत्तर	१४
दक्षिण	कोई नहीं
दक्षिण-पूर्व	३
पश्चिम	५
जोड़	३९

(२) दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप रेलवे सम्पत्ति को हुई हानि का अनुमानित व्यय यह है :

रेलवे	रेलवे सम्पत्ति को हानि
	रुपये
मध्य	१,००,५२२
पूर्व	३,३७,७६९
उत्तर	८९,२०९
पूर्वोत्तर	९५,३३४
दक्षिण	१,३६,२८८
दक्षिण पूर्व	२,५०,६८८
पश्चिम	८८,३५८
जोड़	१०,९८,१६८

गैर सरकारी सम्पत्ति की हानि के व्यय की जानकारी नहीं है।

(ग) इन रेल दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण नीचे दिया जाता है।

कारण	रेलवे							
	मध्य	पूर्व	उत्तर	पूर्वोत्तर	दक्षिण	दक्षिण-पूर्व	पश्चिम	जोड़
रेलवे कर्मचारियों की गलती	६२	१३३	१०५	४८	८८	२२	२२	४८०
रेलवे कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की गलती	२	३	६	५	२	१	३	२२
रेल की पटरी की खराबी	२	१	१	६	—	१३	२	२५
यांत्रिक उपकरण इंजन, डिब्बे आदि की खराबी	३७	६७	८०	७२	४५	१०२	७४	४७७
रेल की पटरी से छेड़छाड़	१	—	—	२	—	१	—	४
अन्य कारण	६४	४	९	४	२८	४	१६	१२९
जांच के आधीन	७	९	३०	६५	३३	२	१८	१६४
जोड़	१७५	२१७	२३१	२०२	१९६	१४५	१३५	१३०१

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा बाद में लोक सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

काकिनाडा-कोटिपल्ली लाइन

†१२०. { **डा० रामा राव** :
श्री मोहन राव :

क्या **रेलवे** मंत्री २९ जनवरी, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने उखाड़ी गई काकिनाडा-कोटिपल्ली रेलवे लाइन (दक्षिण रेलवे) को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पुनः बनाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनने वाली लाइनों के सम्बन्ध में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टर

†१२१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान वित्तीय वर्ष में रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के सम्बंध में अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय हुई है;

(ख) वर्तमान वर्ष में अब तक कितने क्वार्टरों का निर्माण हुआ है; और

(ग) ये क्वार्टर किन वर्ग के कर्मचारियों के लिये बनाये गये हैं?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग ४·१६ करोड़ रुपया व्यय होने की आशा है ।

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष में ११,००७ क्वार्टर पूर्णतः बन जाने की आशा है ।

प्रथम तथा द्वितीय वर्ग के कर्मचारियों के लिये ६० तथा १,०९४७ तृतीय तथा चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के लिये १,०९४६ ।

पायदानों पर यात्रा

†१२२. **श्री डी० सी० शर्मा**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ में भिन्न-भिन्न रेलवे में रेल गाड़ियों के पायदानों पर यात्रा करने वाले कितने यात्रियों की मृत्यु हुई हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** :

रेलवे	मरने वालों की संख्या
पश्चिमी	२१
पूर्वोत्तर	कोई नहीं
मध्य	३८
उत्तर	१३
दक्षिण-पूर्वी	३
पूर्वी	४
दक्षिणी	कोई नहीं

†मूल अंग्रेजी में

सर्प-दंश द्वारा मृत्युएं

†१२३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि १९५० से १९५५ तक सर्प-दंश से मरने वाले व्यक्तियों की प्रतिवर्ष संख्या कितनी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : भारतवर्ष में सर्प-दंश से होने वाली मृत्युओं का कोई विश्वस्त अनुमान नहीं लगाया गया है। १९५० से १९५३ के बीच सर्प-दंश से होने वाली जितनी मृत्युओं को विभिन्न राज्यों के पंजीयन क्षेत्रों में दर्ज किया गया है उनकी संख्या नीचे दी जाती है (बाद के वर्षों की सूचना उपलब्ध नहीं है) :—

	सर्प-दंश के कारण मृत्युएं			
राज्य	**१९५०**	**१९५१**	**१९५२**	**१९५३**
आसाम*	५८	७७	४५	—
बिहार	—	—	—	—
बम्बई	९५५	१,३२६	९८४	१,०४८
मध्य प्रदेश	४६८	४६३	—	—
मद्रास*	१४७९	१०६८	—	—
उड़ीसा*	५८४	५०८	९६२	—
पंजाब	१२२	२०८	२१९	२१९
उत्तर प्रदेश	१,१८९	२,०४७	१,४२६	१,५४२
पश्चिमी बंगाल	१,४१५	१,४५३	१,४७१	—
अजमेर*	१५	१८	१९	—
कुर्ग	—	—	—	—
दिल्ली	—	—	—	—
योग	६,२८५	७,१६८	५,१२६	२,८०९

*ये आंकड़े सर्प-दंश तथा जंगली जानवरों के आक्रमण के कारण हुई मृत्युओं के सम्बंध में हैं।

सूचना उपलब्ध नहीं है ।

खजूरियाघाट-मालदा लाइन

†१२४. **श्री एस० एम० घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खजूरियाघाट-मालदा लाईन का परिमाप पूर्ण हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो अभी कहां तक पहुंचा है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

इंजन, डिब्बे, आदि

†१२५. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैट्रोल, मिट्टी का तेल और खाने का तेल लाने, ले जाने के लिये भारतीय रेलों पर बड़ी लाइन और छोटी लाइन के विशेष प्रकार के अभी कितने टैंक वैगन ह;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या तेल उद्योग की वर्तमान आवश्यकताओं के लिये ये डिब्बे पर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो कितने और किस प्रकार के अतिरिक्त डिब्बों की आवश्यकता है;

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष तक ऐसे कितने डिब्बे और अधिक बढ़ाये जायेंगे;

(ङ) क्या ये डिब्बे भारत में बनाये जाते हैं; और

(च) यदि हां, तो कितने डिब्बों के लिये आर्डर दे दिये गये हैं, या दिये जाने वाले हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) सूचना नीचे दी गयी है:—

	६-२-१९५६ को टैंक वैगनों की संख्या	
	बड़ी लाइन	**मीटर लाइन**
पैट्रोल के टैंक वैगन	१,६८२	६९५
मिट्टी के तेल के टैंक वैगन	१,११४	४१६
जलाने के तेल के टैंक वैगन	८५६	६४८
वनस्पति तेल के टैंक वैगन	५५३	५८
जोड़	४,२०५	१,८१७

इनमें बहुत से डिब्बे पैट्रोल टाइप के टैंक वैगन हैं; इसलिये इन में ऊपर लिखे सब तरह के तेल भेजे जा सकते हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जैसा कि इस समय अनुमान है, भाग (क) में बताये गये टैंक वैगनों की संख्या इस प्रकार बढ़ाने की ज़रूरत है :—

	टैंक वैगनों की संख्या	
	बड़ी लांइन	**मीटर लाइन**
पैट्रोल के टैंक वैगन (पैट्रोल, मिट्टी का तेल और जलाने का तेल भेजने के लिये)	१,१२९	५९०
वनस्पति तेल के टैंक वैगन (खाने के और दूसरे काम में आने वाले तेल भेजने के लिये)	३४५	१००
जोड़	१,४७४	६९०

ये सब डिब्बे पैट्रोल टाइप के टैंक वैगन हैं, जिन में ऊपर लिखे सब तरह के तेल भेजे जा सकते हैं ।

(घ) आशा है कि जितने टैंक वैगनों के आर्डर दिये गये हैं उनसे:—

(१) पैट्रोल उद्योग की आज तक की प्रगति को देखते हुये, १९५७ के अन्त तक पैट्रोल यातायात की जरूरतें पूरी हो जायेंगी; और

(२) जहां तक अनुमान है, वनस्पति तेल के यातायात की ज़रूरतें भी पूरी हो जायेंगी। आगे जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी, और भी टैंक वैगनों का प्रबंध किया जायेगा।

(ङ) जी हां, ये डिब्बे भारत में बनते हैं और बाहर से भी मंगाये जाते हैं।

(च) सूचना नीचे दी गयी है :—

डिब्बे, इंजन आदि का कार्यक्रम	**बड़ी लाइन**	**मीटर लाइन**
(१) जिन का आर्डर भारत में दिया गया है :		
१९५४–५५	७००*	३००**
१९५५–५६	१००	२०५
१९५६-५७	५५०	१९६
(इतने माल का आर्डर भारतीय निर्माताओं को दिया गया)		
(२) जिनका आर्डर बाहर भेज दिया गया है :		
१९५५–५६	१५७	कोई नहीं
१९५६–५७	३७६	कोई नहीं
(अभी आर्डर देना बाकी है)		
जोड़	१,८८३	७०१

इन में भाग (ग) के उत्तर में बताये गये टैंक वैगनों के अलावा बदलाव के वैगन भी शामिल हैं।

नोट— *इन ७०० टैंक वैगनों में से ५५५ वैगन मिल गये हैं जो प्रश्न के भाग (क) के उत्तर से सम्बन्धित आँकड़ों में शामिल हैं।

**इन ३०० टैंक वैगनों में से ९५ मिल गये हैं जो प्रश्न के भाग (क) के उत्तर से सम्बन्धित आँकड़ों में शामिल हैं।

१९५५-५६ में नई रेलवे लाइनें

१२६. श्री बलवंत सिंह मेहता : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में देश में कौन-कौन सी नई रेलवे लाइनें बिछाई जायेंगी; और

(ख) क्या १९५६-५७ में राजस्थान में किसी नई रेलवे लाइन का निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा ?

रलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगशन) : (क) जो लाइनें बनायी जा रही हैं या १९५५-५६ में जिन के बनाने की मंजूरी दी गयी है, उनके नाम इस प्रकार हैं :—

१. चम्पा-कोरबा
२. नौमुंडी-बांसपाणी
३. क्विलन-एर्नाक्यूलम
४. एटा-बरहन
५. खंडवा हिंगोली

६. फतेहपुर-चुरू
७. इंदौर-देवास-उज्जैन
८. गोप-कटकोला
९. राणीवाडा-भीलादी
१०. पठानकोट-माधोपुर

(ख) अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है ।

मेहसाना में टेलीफोन

†१२७. **श्री तुलसीदास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मेहसाना ज़िले में टेलीफोन की सुविधाओं का कितना विस्तार किया गया है;

(ख) इस समय कार्यान्वित की जा रही योजना का विवरण;

(ग) कार्यान्वित योजनाओं का विवरण;

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस ज़िले में टेलीफोन के विस्तार के सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम है; और

(ङ) उक्त कार्यक्रम का प्राक्कलित व्यय क्या है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ग).

(एक) खोले गये एक्सचेंज

(१) पटन
(२) सिद्धपुर
(३) विसनगर

(दो) खोले गये जनता टेलीफोन कार्यालय

(१) हरीज
(२) चना समा
(३) विषनगर (बाद में एक्सचेंज में परिवर्तन कर दिया गया)
(४) वादनगर
(५) राधनपुर

(तीन) अन्य प्रकार का विस्तार

(१) सिंगल चेनल केरियर सिस्टम
अहमदाबाद-कलोल

(२) सिंगल चेनल केरियर सिस्टम,
अहमदाबाद-मेहसाना

(३) एडीशनल ट्रंक सरकट
अहमदाबाद-उनझा

(४) एडीशनल ट्रंक सरकट
उनझा-मेहसाना

†मूल अंग्रेजी में

(५) मेहसाना में ट्रंक स्विच बोर्ड का लगाना।

(ख) (१) काडी में ५० लाइन का एक्सचेंज खोलना,

(२) मेहसाना से हरीज जनता टेलीफोन कार्यालय तक एक पृथक ट्रंक सरकट लगवाना,

(३) अहमदाबाद से मेहसाना तक एक अतिरिक्त ट्रंक सरकट बनवाना ।

(घ) और (ङ). द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मेहसाना ज़िले के लिये अभी विस्तृत योजना नहीं तैयार हुई है। ये सभी लगभग छोटे छोटे कार्य ह। जब इनका विस्तृत परीक्षण किया जायगा तभी उनका व्यय पता लगेगा। आशा है कि कुछ और स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज तथा जनता टेलीफोन कार्यालय भी बनाये जायेंगे।

डाक तथा तार घर

†१२८. **श्री तुलसी दास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मेहसाना ज़िले में प्रतिवर्ष कितने (१) डाक खाने तथा (२) तार घर खोले गये हैं;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस जिले में डाक विभाग सम्बन्धी सेवाओं तथा सुविधाओं के विस्तार की क्या योजना है; और

(ग) उसका विवरण ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क)

वर्ष	जितने डाकखाने खोले गये	जितने तार घर खोले गये
१९५१–५२	१२	—
१९५२–५३	४	२
१९५३–५४	६	१
१९५४–५५	३	२
१९५५–५६	१	१
(३१-१-५६ तक)		
३१-३-५६ तक खोले जाने वालों की संख्या	४	—

(ख) और (ग). द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दो और नये डाकखाने खोलने की प्रस्थापना है।

बहिर्विभागीय पोस्टमास्टर

†१२९. **डा० युगल किशोर सिंह :**
श्री अस्थाना :
बाबू रामनारायण सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहिर्विभागीय पोस्टमास्टरों की कार्यवृद्धि की तुलना में उनके वेतन किस दर से बढ़ाये जाते हैं; और

(ख) क्या ऐसे डाकघरों के वितरण अभिकर्ताओं के वेतनों में भी उसी अनुपात में कोई वृद्धि हुई है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : विभागातिरिक्त ब्रांच पोस्टमास्टरों का मूल

†मूल अंग्रेज़ी में

भत्ता "प्वाइन्ट सिस्टम" के अनुसार निश्चित किया जाता है। उस सम्बन्ध में सरकारी आदेश की एक प्रति लोक-सभा के पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २५]**। इस मूल भत्ते के अतिरिक्त उन्हें १० रुपये का मंहगाई भत्ता भी मिलता है।

(ख) जी नहीं

खेलें

†**१३०. श्री गार्डलिंगन गौड़** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) राजकुमारी क्रीड़ा प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रसिद्ध विदेशी खिलाड़ियों ने १९५५-५६ में कितने स्थानों का भ्रमण किया है; और

(ख) उनके पर्यटन पर कुल कितना रुपया व्यय हुआ है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : इस योजना के अन्तर्गत १९५५-५६ के दौरान में अभी तक विदेशी खिलाड़ियों द्वारा १२ स्थानों का भ्रमण किया गया है जिनके नाम इस प्रकार हैं:—

नई दिल्ली, कलकत्ता, बंगलौर, अर्नाकुलम, बंबई, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, अजमेर, मद्रास, पटियाला, लखनऊ और जबलपुर।

(ख) ४८,००० रुपये (प्राक्कलित)

बचत बैंक लेखा

१३१. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में डाकघरों के बचत बैंकों में कुल कितनी राशि जमा की गई थी; और

(ख) उस राशि पर कितना ब्याज दिया गया था ?

संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १,४५,४८,४६,००० रुपये।

(ख) यह सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जमा की गयी धनराशि पर ब्याज का हिसाब वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लगाया जाता है।

दिल्ली में सड़कों के नये नाम रखना

†**१३२.** { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री डी० सी० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ५ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निश्चित हो गया है कि दिल्ली तथा नई दिल्ली की कुछ और मुख्य सड़कों को भारतीय नाम दिये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो भिन्न-भिन्न सड़कों के लिये कौन-कौन से नाम चुने गये हैं;

(ग) इन नये नामों के चुनाव का क्या आधार रखा गया है; और

(घ) ये नाम किस तिथि से प्रवर्तन में आयेंगे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)**: (क) जी हां।

(ख) नई दिल्ली स्थित सड़क का

पुराना नाम	**नया नाम**
१. अलबुकर्क रोड	तीस जनवरी मार्ग
दिल्ली	
१. औरिजीनल रोड	देशबन्धु गुप्त रोड
२. एजर्टन रोड	नई सड़क
३. जी० बी० और बी० बी० रोड	श्रद्धानन्द बाज़ार
४. पूसा रोड (भूरी भटयार के महल से पूसा इंस्टीच्यूट के दरवाजे तक)	शंकर लाल रोड

†मूल अंग्रेजी में

(ग) दिल्ली और नई दिल्ली में सड़कों के पुनर्नामकरण के लिये क्रमश: दिल्ली और नई दिल्ली की नगरपालिकायें सक्षम प्राधिकार हैं। इन समितियों द्वारा पारित किये गये संकल्पों के अनुसार ही इन सड़कों के नाम बदले गये हैं।

(घ) ये सब नाम पहले से ही चल रहे हैं।

पंजाब में डाक तथा तार घर

†**१३३. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक पंजाब में खोले गये तथा इस वर्ष खोले जाने वाले तार व जनता टेलीफोन कार्यालयों पर कुल कितनी राशि व्यय की गयी तथा व्यय की जायगी।

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** :

	३१ जनवरी, १९५६ तक व्यय की गई राशि	३१ मार्च १९५६ तक व्यय की जाने वाली राशि
१. तार घर	४३,२७५ रुपये	२५,२३७ रुपये
२. टेलीफोन एक्सचेंज	१८,०२१ रुपये	१९,३४३ रुपये
३. जनता टेलीफोन कार्यालय	१,१५,३९१ रुपये	१,१९,८०२ रुपये

स्टेशनों पर हमले

†**१३४. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५५ में उत्तर रेलवे के कितने स्टेशनों पर सशस्त्र डाकुओं के दलों द्वारा हमले किये गये या उन्हें लूटा गया; और

(ख) इन स्टेशनों के नाम क्या हैं तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) दो।

(ख) पखना तथा आरसेनी।

इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही की जानी है वह सर्वथा राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। किन्तु ऐसा समझा जाता है कि पहले स्टेशन के सम्बन्ध में संदेहास्पद दल को पकड़ने के प्रयत्न जारी हैं जब कि दूसरे स्टेशन का मामला अब ऐसा समझ लिया गया है जिसमें अपराधियों का पता नहीं लगाया जा सकता। सरकारी, रेलवे तथा ज़िला पुलिस द्वारा आवश्यक निगरानी भी रखी जा रही है जिस से ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन, रोका जा सके।

तारों में विलम्ब

†**१३५. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५५ में पंजाब सर्किल से साधारण तथा एक्सप्रेस दोनों प्रकार के तारों के देर से मिलन सम्बन्धी कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) कितने मामलों में जांच की गयी; और

(ग) कितने मामलों में डाक कर्मचारियों को दोषी पाया गया तथा दंड दिया गया ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). अप्रैल, १९५५ और जनवरी, १९५६ के बीच ८९४.

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) निश्चित सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। यथासमय प्राप्त होने पर यह लोक-सभा पटल पर रखी जायेगी।

माल गाड़ी के डिब्बे

†**१३६. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में विभिन्न रुई केंद्रों को सन् १९५५ में कितने माल डिब्बे दिये गये; और

(ख) उक्त काल में कुल कितने माल-डिब्बों की मांग की गयी थी तथा कितने दिये गये ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) उत्तर रेलवे पर सन् १९५५-५६ में, जनवरी, १९५६ के अन्त तक, विभिन्न रुई केंद्रों को दिये गये माल डिब्बों की संख्या इस प्रकार है:—

बीकानेर डिवीज़न (एम० जी०) के स्टेशनों को	२,२०९
फीरोज़पुर डिवीज़न (बी० जी०) के स्टेशनों को	३,११३
दिल्ली डिवीनज़ (बी० जी०) के स्टेशनों को	१,७९७
(ख) (१) इसी काल में मांगे गये माल डिब्बों की संख्या	८,९६७
(२) इसी काल में दिये गये माल डिब्बों की संख्या	७,११९

शेष हम इसलिये नहीं दे सके कि अक्तूबर, १९५५ में दिल्ली और फीरोज़पुर डिवीज़नों पर लाइन टूटने के कारण बड़ी लाइन पर लदान में प्रभाव पड़ गया था।

दिल्ली परिवहन सेवा

†**१३७. श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५५ में कितनी डी० टी० एस० बसों का परित्याग किया गया।

(ख) कितनी बसें ऐसी हैं जिन्हें शीघ्र बदलने की आवश्यकता है; और

(ग) इन्हें बदलने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) १८;

(ख) कोई नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पैसेंजर गाईड

१३८. श्री एम० एन० सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के पैसेंजर गाइडों के लिये कोई वेतन क्रम निश्चित किया गया है; और

(ख) उनकी नियुक्ति के लिये किन-किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां, वेतन क्रम ६०-१५० रुपये है।

(ख) यात्री सहायकों की सीधी भर्ती नहीं की जाती। टिकट क्लेक्टरों को तरक्की देकर इस पद पर रखा जाता है।

पश्चिम रेलवे पर चोरी

१३९. श्री अमर सिंह डामर : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माल डिब्बों में चोरी होने के कारण ३१ दिसम्बर, १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष में पश्चिम रेलवे को कुल कितनी हानि उठानी पड़ी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) रेलवे पुलिस ने कितने मामलों में चोरी का पता लगाया और कितने मामलों में अपराधियों को दंड दिया गया ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १,१५,७५६ रुपये ।

(ख) सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आय-कर जांच आयोग

†**१४०. श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा, जिससे कि आय-कर करारोपण (जांच आयोग) अधिनियम, १९४७, की धारा ५ (१) प्रभावशून्य घोषित कर दी गई है, प्रभावित ऐसे मामलों की संख्या २६ जनवरी, १९५० को कितनी थी जोकि आय कर जांच आयोग के सम्मुख विचाराधीन थे एवं जो सम्बन्धित आय कर पदाधिकारियों के समक्ष कर-निर्धारण व पुनः कर निर्धारण के सम्बन्ध में विचाराधीन थे; और

(ख) उपरोक्त मामलों की विभिन्न श्रेणियों में कितनी-कितनी राशियां सन्निहित थीं ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)**:(क) और (ख). आय करारोपण (जांच आयोग) अधिनियम, १९४७ की धारा ५ (१) को प्रभावशून्य करने वाले उच्चतम न्यायालय के निर्णय से प्रभावित मामलों की संख्या :

	मामलों की संख्या	गुप्त रखी गयी राशि	कर
(१) २६-१-५० को आयोग के विचाराधीन	७४५	३७ करोड़ रुपये	२२ करोड़ रुपये
(२) आयोग द्वारा २६-१-५० तक निर्णीत किन्तु जिनके सम्बन्ध में कर-निर्धारण या पुनः कर निर्धारण उस तिथि को विचाराधीन था	६०	१·८४ करोड़ रुपये	·४९ करोड़ रुपये

छोटी बचत योजना

१४१. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छोटी बचत योजना के संबंध में एजेंट नियुक्त करने की पद्धति में कितनी सफलता मिली;

(ख) पंचवर्षीय योजना के अधीन छोटी बचत के लिये इस तरह कितने एजेंट नियुक्त किये गये, और उन्हें कुल कितना कमीशन दिया गया; और

(ग) क्या इस योजना को और अधिक सफल बनाने के लिये कोई नये प्रस्ताव हैं, और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह): (क) छोटी बचतों से और अधिक रुपया इकट्ठा करने क सम्बन्ध में हम कह सकते हैं कि यह पद्धति संतोषजनक रही ।

(ग) १ अप्रैल १९५२ से नवम्बर १९५५ के अन्त तक नियुक्त किये गये एजेंटों और एजेंट संगठनों की कुल संख्या १५,७७४ थी । इनमें वे पंचायतें, पंचायतों के पदाधिकारी, म्यूनिसपैलिटियों

†मूल अंग्रेजी में

के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधान तथा उप-प्रधान और वे अन्य व्यक्ति शामिल नहीं हैं, जो ग्रामीण एजेंसी पद्धति के अधीन प्रयोग रूप में एजेन्ट नियुक्त किये गये हैं। इकट्ठा की गयी रकम पर १। प्रतिशत की दर से नवम्बर १९५५ के अन्त तक कुल लगभग ३३·६४ लाख रुपया कमीशन दिया गया।

(ग) बचत आन्दोलन को बढ़ाने पर बराबर ध्यान दिया जाता है और जो उपाय विचाराधीन है उनमें बचत ग्रुपों का संगठन, एजेंसी पद्धति का विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार, अधिक व्यापक प्रचार, उपहार पर्चियां जैसी नयी योजनाओं का समारम्भ तथा सार्वजनिक सहयोग सम्मिलित है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

१४२. श्री भागवत झा आजाद : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधीन दिसम्बर, १९५५ तक विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के लिये केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की ; और

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना की कालावधि के दौरान में केंद्रीय समाज सेवा कल्याण बोर्ड ने देश के कितने ज़िलों में कल्याणकारी योजनायें आरम्भ कीं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) १,५३,५२,१२३ रुपये।

(ख) २७०।

अलमोड़ा छावनी

†**१४३. श्री बी० डी० पांडे** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलमोड़ा छावनी के सफाई नियंत्रण क्षेत्र के निवासियों ने छावनी बोर्ड के सफाई नियंत्रण से लगभग १०० एकड़ भूमि के एक क्षेत्र को मुक्त करने की सरकार से प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) जी हां। यह सच है कि अलमोड़ा छावनी बोर्ड को यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ था कि अलमोड़ा छावनी से लगी हुई लगभग ७५ एकड़ ज़मीन को इस शर्त पर छावनी अधिनियम के कुछ उपबंधों से मुक्त कर दिया जाय कि नगरपालिका इस क्षेत्र की सफाई रखेगी।

(ख) प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा कुछेक सप्ताह में निर्णीत किया जायेगा।

बहरों तथा गूंगों की शिक्षा

†**१४४. श्री भागवत झा आजाद :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत में बहरों तथा गूगों की शिक्षा के लिये क्या उपबंध किये जा रहे हैं ?

†**शिक्षा मन्त्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)**: अपेक्षित सूचना प्रदर्शित करते हुये एक विवरण संलग्न किया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २६]**

टैक्नीकल शिक्षा

†**१४५.** { **श्री राधा रमण :**
श्री एम० एल० द्विवेदी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिल्पी (टैक्नीकल) शिक्षा के विकास के मामले में सलाह तथा मार्ग-दर्शन के लिये सरकार ने कानपुर में एक प्रादेशिक समिति स्थापित की है; और

(ख) यदि हां, तो इसका काम किस प्रकृति का है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)**: (क) जी हां।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अपेक्षित सूचना प्रदर्शित करते हुये एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या २७]**

एम० ई० एस० (सैनिक इंजीनियरिंग सेवा) कर्मचारी

†१४६. **श्री केशव आय्यंगार** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० ई० एस० के कर्मचारियों को कोई चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें प्रदान की जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

†**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी हां।

(ख) चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के लिये एम० ई० एस० के कर्मचारी दिल्ली तथा नई दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों में, भारत की सेना की चिकित्सा सेवा के नियमों के अन्तर्गत आते हैं। इस चिकित्सा सुविधा में ये चीजें समिलित हैं : (१) सैनिक अस्पतालों, सैनिक परिवार अस्पतालों, चिकित्सा निरीक्षण कक्षों तथा अधिकृत डाक्टरों द्वारा अपने निवास स्थानों पर वाह्य रोगियों के रूप में, बीमारी या चोट की दशा में, चिकित्सा सहायता के अधिकारी व्यक्तियों को व्यावसायिक परामर्श तथा इलाज की व्यवस्था (२) निर्धारित दरों पर अस्पतालों में रहने के शुल्क की वसूली के अधीन, अस्पतालों में इलाज।

२. एम० ई० एस० के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के अधिकार इस प्रकार हैं :

असैनिक गजटेड पदाधिकारी तथा असैनिक गैर-गजटेड कर्मचारी : साधारणतया चिकित्सा सुविधायें वाह्य रोगियों के रूप में अथवा उनके निवास स्थानों पर प्रदान की जाती हैं। ज्यादा बीमारी की दशा में, अस्पतालों में स्थान उपलब्ध होने पर, अस्पताल में रहने का शुल्क लेकर सैनिक अस्पताल में रखकर भी इलाज की अनुमति है। किसी सैनिक अस्पताल में भरती होने पर असैनिक गजटेड पदाधिकारियों से चार रुपये प्रतिदिन की दर से और गैर-गजटेड असैनिक पदाधिकारियों से १ रुपया प्रति दिन की दर से, पर अस्पताल में उनकी दवा होने की अवधि में उनको जो वेतन तथा भत्ता प्राप्त होगा उसके आधे से अधिक नहीं, अस्पताल में रहने का खर्च लिया जाता है। ऐसे अस्पतालों में जिन में अस्पताल की ओर से भोजन नहीं दिया जाता, इन खर्चों से आधा खर्च लिया जाता है। विशेष परिचर्या की अनुमति नहीं है। सभी गजटेड पदाधिकारियों तथा ऐसे गैर-गजटेड कर्मचारियों से जिन का मूल वेतन १५० रुपये मासिक या इससे अधिक हो, प्रति आलर्क रक्षाणुलस (एंटी रैबिक वैक्सीन) का खर्च लिया जाता है।

(दो) अस्थायी तथा आकस्मिक कर्मचारी : उन्हें वाह्य रोगी के रूप में या सैनिक अस्पताल में दवा कराने का अधिकार है। अस्पताल में भरती होने पर चार आने प्रतिदिन की दर से उनसे अस्पताल में ठहरने का खर्च लिया जाता है। अस्पताल में विशेष परिचर्या की अनुमति नहीं है।

(तीन) चौथी श्रेणी के सरकारी कर्मचारी : उक्त (२) की भांति, केवल इस बात को छोड़ कर कि उन्हें अस्पताल में रहने का कोई खर्च नहीं देना पड़ता बशर्ते कि रोग चोट का कारण स्वयं उनका कुआचरण या ग़लती न हो अन्यथा अवस्था में उनको चार आने प्रतिदिन के हिसाब से खर्चे देने पड़ते हैं।

(चार) एम० ई० एस० या ठेकेदारों के मजदूर : राज्य द्वारा चिकित्सा का प्रबंध किया जाता है और सम्बन्धित कार्य में खर्च का विकलन कर दिया जाता है। इसके अलावा.

†मूल अंग्रेजी में

सभी बड़ी परियोजनाओं के लिये जहां सामान्य चिकित्सकीय सुविधायें नहीं होती या पर्याप्त नहीं होती हैं, सम्बन्धित कमान निर्माण इंजीनियर को कार्मिकों के लिये पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधाओं के प्रबंध का ध्यान रखना पड़ता है । इसके लिये सामान्यत: पूरे समय काम करने वाला एक असैनिक डाक्टर (असिस्टेंट सर्जन) नियुक्त किया जाता है ।

३. जिन एम० ई० एस० कर्मचारियों के मुख्यालय दिल्ली और नई दिल्ली में हैं उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत चिकित्सकीय सुविधायें मिलती हैं ।

एम० ई० एस० (सैनिक इंजीनियरिंग सेवा) कर्मचारी

†१४७. **श्री केशव अय्यंगार** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी कमान के सभी वर्गों के एम० ई० एस० कर्मचारियों क लिये रहने के क्वार्टर बनवाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

एम० ई० एस० (सैनिक इंजीनियरिंग सेवा)

†१४८. **श्री केशव अय्यंगार** : क्या **रक्षा** मंत्री गृह-कार्य उपमंत्री द्वारा दिये गये इस आशय वक्तव्य कि वित्त मंत्रालय केंद्रीय सरकार के स्थायी संस्थापनों के ८० प्रतिशत कर्मचारियों को स्थायी बनाने के प्रस्ताव से सहमत हो गया है, के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह प्रस्ताव सामान्य रूप से एम० ई० एस० में और विशेष रूप से मद्रास क्षेत्र में किस हद तक लागू किया जा रहा है; और

(ख) क्या एम० ई० एस० के औद्योगिक संस्थापनों के ४० प्रतिशत लोगों को स्थायी बनाने वाली वर्तमान योजना को ८० प्रतिशत तक बढ़ा दिया जायेगा ?

†**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** :(क) और (ख). मैं लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखता हूँ । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या २८]**

चीन को विद्यार्थियों का प्रतिनिधि-मंडल

१४९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री २० सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १९५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विद्यार्थियों का जो प्रतिनिधि-मंडल चीन को गया था, क्या वह वापस आ गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह चीन में कितने समय रहा और उसने कौन-कौन से स्थान देखे ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) हां जी ।

(ख) लगभग पांच सप्ताह । प्रतिनिधि मंडल ने केंटन, पीकिंग, मुक्डेन, शंघाई, अनशान, फुशयोन, नानकिंग और हांगचु का दौरा किया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टैकनिकल शिक्षा

†१५०. **श्री एम० एल० द्विवेदी :**
श्री सी० डी० पाण्डे :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्न के सम्बन्ध में सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है :

(१) शिल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में गतिविधियों का समन्वय करने के लिये शिल्पिक शिक्षा के राज्य निदेशालयों का संस्थापन; और

(२) परीक्षा नियमों का पुनरावलोकन करने और ९ जून, १९५५ को नई दिल्ली में होने वाली शिल्पिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् की समन्वयकारी समिति की २१वीं बैठक की सिफारिशों के अनुसार उनका संशोधन करने के लिये एक उपसमिति की नियुक्ति;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है और यदि हां, तो किस प्रकार की;

(ग) क्या सरकार इस प्रश्न के भाग (क) में आये प्रस्ताव से सहमत हो गयी है और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय को किस आधार पर दिखाया जायेगा ?

†**शिक्षा मन्त्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) से (घ). मांगी गई जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या २९]**

विज्ञान मन्दिर

†१५१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में कितने विज्ञान मंदिर स्थापित किये जायेंगे और वे कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे ।

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)**: भारत के चुने हुये ग्रामों में १९५६–६१ के दौरान में ९० से १०० तक विज्ञान मंदिर स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

†*१५२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केंद्रीय सामाज कल्याण बोर्ड द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दो लाख से अधिक महिलाओं को नौकरी देने का विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो किन व्यवसायों में उनको नौकरी दी जायेगी और उनको क्या सुविधायें दी जायेंगी ?

†**शिक्षा मन्त्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बहुप्रयोजनीय स्कूल

†१५३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक स्कूलों को बहुप्रयोजनीय स्कूलों में बदलने के लिये अभी तक भारत के विभिन्न राज्यों को १९५५-५६ में कितनी राशि (राज्यवार) अनुदान में दी गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ३०]**

चूना-पत्थर की खानें तथा मिट्टी का तेल

†१५४. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

† मुल अंग्रेजी में

(क) क्या यह सच है कि बिहार के चम्पारन जिले में चूना पत्थर की खानें और मिटटी का तेल पाया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार सरकार ने प्रारम्भिक अनुसंधान करा लिया है और केंद्रीय सरकार से उस क्षेत्र में अग्रेतर खोज के लिये भी मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) से (ग) मांगी गयी जानकारी का एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३१]**

चीफ़ आफ़ आर्मी स्टाफ़ का उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण का दौरा

†**१५५. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टॉफ (सेनाबलाधिकरणिक) ने जनवरी १९५६ में उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का उद्देश्य क्या था; और

(ग) वह किन-किन स्थानों पर गये ?

†**रक्षा मंत्री (डा० काटजू)**: (क) जी हां ।

(ख) उस क्षेत्र में स्थित सैनिक एककों का निरीक्षण करना ।

(ग) जोरहाट, मोकोकचंग और च्वेनसांग ।

आयकर से छूट

†**१५६. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत में ऐसे विदेशियों की संख्या लगभग कितनी है जिन्हें आयकर से छूट दे दी गयी है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : शायद, मांगी गयी जानकारी उन व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में है जिन्होंने भारतीय आयकर अधिनियम की धारा ४ (३) (१४क) का लाभ उठाया है जो इस सम्बन्ध में है कि कुछ परिस्थितियों में विदेशी शिल्पिकों के वेतनों पर कर नहीं लिया जायेगा । आयकर कार्यालयों द्वारा रखे जाने वाले किन्हीं आंकड़ों से यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

धारा ४ (३) (१४ क) अभी हाल में ही लागू की गयी है और इस सम्बन्ध में कुछ समय बाद ही सांख्यकीय सर्वेक्षण कराना उचित होगा ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए रक्षित स्थान

†**१५७.** { **श्री तिम्मय्या :**
श्री बी० एस० मूर्ति :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविहित निकायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की नियुक्तियों सम्बन्धी रक्षण आदेशों को लागू करने में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) क्या सरकार विभिन्न संविहित निकायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या बताने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) सिद्धांत रूप से यह बात मान ली गयी है कि

†मूल अंग्रेज़ी में

रिक्त स्थानों के रक्षा संबंधी आदेश संविहित निकायों और अर्ध सरकारी संस्थाओं पर भी लागू होंगे। फिर भी सुसंगत संविधि के आधार पर इस बात की जांच करनी है कि क्या भारत सरकार एक निदेश दे सकती है कि रक्षण आदेश संबंधित संविहित निकाय पर लागू होगा। यदि संविधि सरकार को इस प्रकार का निदेश देने की अनुमति नहीं देती, तो केवल यही उपाय शेष रहेगा कि इस सम्बन्ध में सरकार की नीति को संविहित प्राधिकार के सामने रखा जाय और उसे सुझाव दिया जाय कि वह इस नीति के अनुसार अपने विद्यमान नियमों का संशोधन करें या नियम बनायें। संलग्न विवरण में भारत सरकार से संबंधित या उसके नियंत्रण के अन्तर्गत विभिन्न संविहित निकायों और अर्ध-सरकारी संस्थाओं द्वारा आदेशों के पालन करने के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति बतायी गई है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३२]**

(क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और कालान्तर में लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

औद्योगिक वित्त निगम

†१५८. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
श्री अस्थाना :
बाबू राम नारायण सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी औद्योगिक संस्थायें औद्योगिक वित्त निगम द्वारा स्वीकृत ऋणों का भुगतान नहीं ले पाई हैं; और

(ख) ऐसे ऋणों का उपयोग न करने का क्या कारण है ?

†**राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह)** : (क) और (ख). यह जानकारी बताना लोकहित में नहीं होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

†१५९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के दौरान विभिन्न मदों के अन्तर्गत व्यय करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिये कुल कितनी राशि रखी गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (श्री एम० एम० दास)** : केवल २,४३,१५,००० रुपये (दो करोड़, तैंतालीस लाख, पन्द्रह हजार रुपये)।

भारतीय वायु सैना के विमानों की दुर्घटनाएं

†१६०. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५६ से भारतीय विमान बल के विमानों की कितनी दुर्घटनायें हुईं;
(ख) किन कारणों से वे दुर्घटनायें हुईं;
(ग) हताहतों की संख्या कितनी है और उसमें कितनी हानि हुई;
(घ) कुल और प्रति व्यक्ति को कितना प्रतिकर दिया गया;
(ङ) कितने मामलों में प्रतिकर देने के सम्बध में अभी तक निश्चय नहीं किया गया है; और
(च) यदि प्रतिकर नहीं दिया गया तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) १४ फरवरी को एक घातक दुघटना हुई ।

(ख) जांच न्यायालय दुर्घटना के कारणों का अनुसंधान कर रही है ।

(ग) हताहितों की संख्या २ है । १ लाख रुपये की हानि का अनुमान है ।

(घ) से (च). ऐसे मामलों में कोई प्रतिकर नहीं दिया जाता किन्तु विधवा को विशेष परिवार निवृत्ति वेतन और उपदान तथा बच्चों को कुछ भत्ते दिये जाने का नियम है । यदि पदाधिकारी अविवाहित हो, तो आश्रित का निवृत्तिवेतन उसके माता पिता या भाइयों या बहनों को, जो उस पर आश्रित हों और यदि उनकी परिस्थितियां ऐसी हों कि वैसा भुगतान आवश्यक हो, दिया जा सकता है ।

इन पदाधिकारियों के सम्बन्ध में निवृत्तिवेतनों के लिये अब तक कोई दावे प्राप्त नहीं हुये हैं । मृत पदाधिकारियों में एक विवाहित था और उसकी विधवा को मरण उपदान का ७५ प्रतिशत भाग अन्तकालीन भुगतान के रूप में देने के लिये आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

औद्योगिक वित्त निगम

†**१६१. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ दिसम्बर, १९५५ से औद्योगिक वित्त निगम ने कितने ऋण मंजूर किये हैं;

(ख) किन-किन उद्योगों के लिये ये ऋण मंजूर किये गये थे; और

(ग) अभी कुल कितने आवेदनपत्रों का निबटाना बाकी है ?

†**राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह)** : (क) और (ख). १ दिसम्बर, १९५५ से १५ फरवरी, १९५६ की अवधि में १४ कंपनियों को ऋण मंजूर किये गये थे । सम्बन्धित उद्योग ये थे : सूती वस्त्र, चीनी कुम्भकारी और कांच, रासायन, लोहा और इस्पात (लाइट इंजीनियरिंग), यांत्रिक इंजीनियरी, और कागज़

(ग) १५ फरवरी, १९५६ को २१ ।

विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां

†**१६२. श्री वीरस्वामी** : क्या **शिक्षा** मंत्री १५ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि किन पाठयक्रमों के लिये १९५५ में अनुसूचित जाति के छात्रों को विदेशों में अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां दी गयी हैं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एन० एम० दास)** : प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि १९५५ में अनुसूचित जाति का कोई भी छात्र विदेश में पढ़ाई के लिये नहीं चुना गया था ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी

†**१६३. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० सी० एस०, आई० ए० एस० अथवा आई० पी० । आई० पी० एस० के कितने पदाधिकारी १९५५ में सरकारी सेवा से, पदत्याग करने के बाद गैर-सरकारी औद्योगिक संस्थाओं में चले गये हैं; और

(ख) उसी अवधि में कितने पदाधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद औद्योगिक संस्थाओं में चले गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) कोई नहीं ।

(ख) छः पदाधिकारियों को सेवावृत्ति के बाद वाणिज्यिक काम काज स्वीकार करने की अनुमति दी गयी थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अफ़ीम का चोरी छिपे लाना ले जाना

†**१६४. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १८ नवम्बर, १९५५ से अफीम चोरी छिपे ले आने ले जाने के कितने मामले पकड़े गये ?

†**राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह)** : १८ नवम्बर, १९५५ से १५ फरवरी, १९५६ की अवधि में अफीम चोरी छिपे ले आने ले जाने के १,६६६ मामले पकड़े गये ।

भारत में अवैध प्रवेश

†**१६५. सरदार इकबाल सिंह**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अगस्त, १९५५ से ३१ जनवरी, १९५६ की अवधि में भारत पाकिस्तान सीमा पर मान्य यात्रा प्रलेखों के बिना भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के कितने मामले पकड़े गये;

(ख) कितने व्यक्तियों को दंड दिया गया; और

(ग) कितने व्यक्तियों ने उनके कारावास की अवधि समाप्त होने के बाद पाकिस्तान वापस जाने से इन्कार कर दिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग), जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी ।

कल्याण विस्तार परियोजनाएं

†**१६६. ठाकुर लक्ष्मन सिंह चाडक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में किन-किन राज्यों में नयी कल्याण विस्तार परियोजनायें खोली जायेंगी; और

(ख) प्रत्येक परियोजना पर कितना खर्च किया जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री के सचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३३**]

(ख) वर्ष १९५५-५६ की शेष अवधि में प्रत्येक परियोजना पर लगभग ३,५०० रुपये ।

जीवन बीमा कम्पनियां

†**१६७. श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन जीवन बीमा कंपनियों को सरकार ने ले लिया है, उनकी कुल आस्तियां कितनी हैं ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : १९-१-५६ को अर्थात् जिस दिन सरकार ने इन कंपनियों का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया था, जीवन बीमा कंपनियों की आस्तियां कितनी थीं इसको अभी निर्धारित करना बाकी है, किन्तु ३१-१२-१९५४ को वह लगभग ३५४ करोड़ रुपये थीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, २८ फरवरी, १९५६]

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर ...	२१९–४०
२८५	केंद्रीय विधियां	२१९
२८६	गोआ से आयात निर्यात पर प्रतिबंध ...	२२०–२१
२८७	भारतीय कम्पनियों में पाकिस्तानियों के शेयर	२२१–२२
२८८	सुरक्षा पुलिस	२२२
२८९	विज्ञान सम्बन्धी असैनिक सेवा	२२३
२९०	रक्षा सेवाओं में मद्य-निषेध	२२३–२४
२९१	पोस्त की खेती ...	२२४–२६
२९२	अन्दमान द्वीप समूह	२२६
२९३	सम्पदा शुल्क	२२६–२७
२९४	१८५७ के स्वतन्त्रता संग्राम की शताब्दी	२२७–२८
२९५	राष्ट्रीय आय	२२८
२९६	छात्रों में अनुशासनहीनता	२२८–३०
२९८	दैवी आपत्तियों के लिये सहायता संगठन	२३०
२९९	विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी	२३१–३२
३००	विदेशी पूंजी	२३२
३०१	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकीय संस्थायें	२३२–३३
३०४	तेल प्रौद्योगकी	२३३–३४
३०६	सोदपुर ग्लास वर्क्स	२३४–३५
३०७	कच्चा लोहा	२३५–३६
३१२	जापान के साथ आर्थिक सहयो	२३६–३७
३०८	पुस्तकों के सम्बन्ध में आंकड़ों का संग्रह	२३७–३८
३०९	दिल्ली की जामा मस्जिद की मरम्मत	२३८
३१०	अध्यापकों के वेतनक्रम	२३९–४०
३११	पुरातत्वीय महत्व की वस्तुएं	२४०
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	२४०–७६

तारांकित प्रश्न संख्या		
२४६	स्काईमास्टर हवाई जहाज	२४०
२४७	इलाहाबाद रेलवे स्टेशन	२४१
२४८	राष्ट्रीय जल प्रदाय योजना	२४१
२४९	डालमिया जैन एयरवेज़	२४१

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
२५०	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	२४१–४२
२५१	कोयला खान भविष्य निधि योजना, १९४८	२४२
२५२	मीन-क्षेत्र	२४२
२५३	नौवहन	२४२
२५४	भारत-अमरीकी विमान परिवहन समझौता	२४३
२५५	भेषजीय जांच समिति का प्रतिवेदन	२४३
२५६	डाक टिकट प्रतियोगिता	२४३
२५७	अमरीका द्वारा गेहूं की भेंट	२४३
२५८	अमरावती तथा नागार्जुनकोंडा	२४४
२५९	सुदूर पूर्व जाने के वायु मार्ग	२४४
२६०	अन्तर्देशीय जल परिवहन	२४४–४५
२६१	आर० एम० एस० हैडक्वार्टर्स, 'सी' डिवीज़न ...	२४५
२६२	ग्रामीण प्रसूति केंद्र ...	२४५
२६३	भ्रष्टाचार विरोधी विभाग	२४५
२६४	सफेद चीनी का निर्माण	२४५–४६
२६५	मक्खियां	२४६
२६६	भूमि परिरक्षण	२४६
२६७	जहाजों के भाड़े	२४६
२६८	रेलवे में डिवीजन प्रणाली ...	२४६–४७
२६९	मद्रास पत्तन ...	२४७
२७०	'अपना टेलीफोन' योजना	२४७
२७१	चीनी का आयात	२४७–४८
२७२	टेलीफोन सूचना सेवा ...	२४८
२७३	रेलवे में कार्यकुशलता टुकड़ियां	२४८
२७४	नलकूप	२४८
२७५	बौद्ध यात्रियों को यात्रा की सुविधायें	२४८
२७६	हावड़ा और बर्दवान के बीच बिजली से रेल चलाने की योजना	२४९
२७७	डाक के संस्मरण टिकट	२४९
२७८	तेज चलने वाली रेलगाड़ियों की व्यवस्था	२४९
२७९	डालमिया जैन एवियेशन लिमिटेड ...	२४९–५०
२८०	बेगुन में तारघर	२५०
२८१	तिलहन	२५०
२८२	मांस उत्पादन	२५०
२८३	दूर-संचार गवेषणा केंद्र	२५०–५१
२८४	रेल दुर्घटना	२५१
२९७	तेल खोजने के यंत्र	२५१
३०२	हिन्दी-उड़िया शब्दकोष	२५१

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)	
३०३	विदेशों में भारतीय बैंकों की शाखाएं	२५१–५२
३१३	राष्ट्रीय एटलस	२५२
३१४	गांवों का विकास	२५२–५३
३१५	सोने के भाव	२५३
३१७	नैट जेट विमान	२५३
३१८	उत्तर प्रदेश सशस्त्र पुलिस	२५३
८१	भारत इलेक्ट्रानिक्स फैक्टरी	२५३–५४
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१०९	प्रकाशस्तम्भ	२५४
११०	तारघर	२५४
१११	टेलीफोन लाइनें	२५५
११२	रोहतक-गोहाना रेल सम्पर्क	२५५
११३	यंत्रों द्वारा खेती	२५५
११४	मलेरिया की रोकथाम	२५६
११५	भारतीय फसलों का क्रम	२५६
११६	जयपुर स्टेशन	२५६
११७	डाक तथा तार कर्मचारी	२५६–५७
११८	सड़कें	२५७
११९	रेल दुर्घटनायें	२५७–५९
१२०	काकिनाडा कोटिपल्ली लाइन ...	२५९
१२१	रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टर	२५९
१२२	पायदानों पर यात्रा करना ...	२५९
१२३	सर्प-दंश द्वारा मृत्युएं	२६०
१२४	खजूरियाघाट-मालदा लाइन	२६०
१२५	इंजन, डिब्बे, आदि	२६०–६२
१२६	१९५५-५६ में नई रेलवे लाइनें	२६२–६३
१२७	मेहसाना में टेलीफोन	२६३–६४
१२८	डाक तथा तार घर	२६४
१२९	बहिर्विभागीय पोस्टमास्टर	२६४–६५
१३०	खेलें	२६५
१३१	बचत बैंक लेखा	२६५
१३२	दिल्ली में सड़कों के नये नाम रखना	२६५–६६
१३३	पंजाब में डाक व तार घर	२६६
१३४	स्टेशनों पर हमले	२६६
१३५	तारों में विलम्ब	२६६–६७

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमश:)	
१३६	मालगाड़ी के डिब्बे	२६७
१३७	दिल्ली परिवहन सेवा	२६७
१३८	पैसेंजर गाइड	२६७
१३९	पश्चिम रेलवे पर चोरी ...	२६७–६८
१४०	आय-कर जांच आयोग	२६८
१४१	छोटी बचत योजना ...	२६८–६९
१४२	केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड	२६९
१४३	अल्मोड़ा छावनी	२६९
१४४	बहरों तथा गुंगों की शिक्षा ...	२६९
१४५	टेक्नीकल शिक्षा	२६९–७०
१४६	एम० ई० एस० (सैनिक इंजीनियरिंग सेवा) कर्मचारी ..	२७०–७१
१४७	एम० ई० एस० (सैनिक इंजीनियरिंग सेवा) कर्मचारी	२७१
१४८	एम० ई० एस० (सैनिक इंजीनियरिंग सेवा)	२७१
१४९	चीन को विद्यार्थियों का प्रतिनिधि मंडल	२७१
१५०	टेक्निकल शिक्षा	२७२
१५१	विज्ञान मंदिर	२७२
१५२	केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड	२७२
१५३	बहुप्रयोजनीय स्कूल	२७२
१५४	चूना-पत्थर की खानें तथा मिट्टी का तेल	२७२–७३
१५५	चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण का दौरा	२७३
१५६	आय-कर से छूट	२७३
१५७	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित स्थान	२७३–७४
१५८	औद्योगिक वित्त निगम	२७४
१५९	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ...	२७४
१६०	भारतीय वायु सेना के विमानों की दुर्घटनाएं	२७४–७५
१६१	औद्योगिक वित्त निगम ...	२७५
१६२	विदेशों में अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां	२७५
१६३	भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी	२७५
१६४	अफीम का चोरी छिपे लाना ले जाना	२७६
१६५	भारत में अवैध प्रवेश	२७६
१६६	कल्याण विस्तार परियोजनायें ...	२७६
१६७	जीवन बीमा कम्पनियां ...	२७६

M7LSD—190—30-4-57—GIPF

खण्ड १ — अंक ११
२८ फरवरी, १९५६, (मंगलवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(खण्ड १ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

छः आने या ३७ नये पैसे (देश में) दो शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

[खंड १—१५ फरवरी, १९५६ से ३ मार्च, १९५६ तक]

	पृष्ठ
संख्या १—बुधवार, १५ फरवरी, १९५६	
राष्ट्रपति का अभिभाषण	१–५
अध्यक्ष महोदय से सन्देश	६
श्री नटेशन का निधन	६
विशेषाधिकार प्रश्न ...	६–७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ...	७
स्थान प्रस्ताव—	
पुर्तगाली सशस्त्र सेना द्वारा भारतीय राज्यक्षेत्र का अतिक्रमण	८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	८–१०
लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक	१०
प्रतिभूति संविदायें (विनियमन) विधेयक	११
नौवहन नियंत्रण (जारी रखना) विधेयक	११
दैनिक संक्षेपिका ...	१२–१५
संख्या २—गुरुवार, १६ फरवरी, १९५६	
श्री मेधनाद साहा का निधन	१७
दैनिक संक्षपिका ...	१८
संख्या ३—शुक्रवार, १७ फरवरी, १९५६	
स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर राज्य में गोली चलाना –	१९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२०–२२, २३
ग़ैर-सकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ...	२१, ४६–४७
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक	२१
बिक्री-कर विधियां मान्यीकरण विधेयक	२१–२२
पूंजी निर्गम (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक	२२
जीवन बीमा निगम विधेयक ...	२२
लोक-सभा का कार्य	२३, ४६
विशेषाधिकार का प्रश्न ...	२३
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, ...	२४–४२
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	४३–४६
औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प	४७–६४
दैनिक संक्षेपिका	६५–६६

संख्या ४--शनिवार, १८ फरवरी, १९५६

	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन	६८
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	६७–७०
खंड १--२९	७०–९७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	९७
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विधि जीवी परिषद् (राज्य विधियों का मान्यीकरण) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	९७–१०४
खंड १--२ और अनुसूची ...	१०४–०५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ...	१०५
स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१०५–०६
खंड १--२	१०६–०७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	१०७
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—	
राज्य-सभा के संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव	१०७–१०
भारतीय रेडक्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	११०–१३
खंड १--९ और अनुसूची १--३ ...	११३–१४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	११४–१५
सेंट जान एम्बूलेंस एसोशिएसन (भारत) विधियों का स्थानान्तरण विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	११५–१९
खंड १--२ और अनुसूची ...	११६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	११६–१७
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	११७–२५
दैनिक संक्षेपिका ...	१२६
संख्या ५--सोमवार, २० फरवरी, १९५६	
आचार्य नरेन्द्र देव का निधन	१२७–२८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१२९
कार्य मंत्रणा समिति--	
इकतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१२९
दो सदस्यों की नज़रबन्दी से रिहाई ...	१२९
राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव ...	१३०–७०
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१७०–८३
खंडों पर विचार	१८३–८७
दैनिक संक्षेपिका	१८८

पृष्ठ

संख्या ६---मंगलवार, २१ फरवरी, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... १८९–९०
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक--रायें १९०
राज्य-सभा से संदेश १९०
बहु-एकक सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, १९५६ १९१
प्राक्कलन समिति
उन्नीसवां प्रतिवेदन १९१
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक--
खण्ड १९१–९३
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १९३–९६
राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव १९६–२३५
दैनिक संक्षेपिका ... २३६–३७

संख्या ७---बुधवार, २२ फरवरी, १९५६

स्थगन प्रस्ताव--
कच्छ की खाड़ी के छाड़बेट में पाकिस्तानी सेना का बलात् प्रवेश २३९–४१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र २४१–४२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चालीसवां प्रतिवेदन ... २४२
समिति के लिये निर्वाचन--
दिल्ली विकास अस्थायी प्राधिकार ... २४३
राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव २४३–९१
दैनिक संक्षेपिका ... २९२–९३

संख्या ८---गुरुवार, २३ फरवरी, १९५६

सदस्य की गिरफ्तारी के लिये वारण्ट ... २९५
रेलवे आय-व्ययक का उपस्थापन ... २९५–३१३
राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव ३१३–५६
दैनिक संक्षेपिका ... ३५७

संख्या ९---शुक्रवार, २४ फरवरी, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३५९
राज्य-सभा से सन्देश ३५९
भारत लाख उपकर (संशोधन) विधेयक ... ३५९
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में याचिकाएं ३५९–६०
नौवहन नियंत्रण (जारी रखना) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... ३६०–७७
खण्ड २ और १ ... ३७७
पारित करने का प्रस्ताव ३७७–७८
पूंजी निर्गम (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३७८–८५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चवालीसवां प्रतिवेदन ३८५
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा १७०क का रखा जाना) ३८५
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा ४२७क का रखा जाना) ३८६
विधान-मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन-संरक्षण) विधेयक ... ३८६
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक (धारा ६५, आदि के स्थान पर नई धारा रखना)--
विचार करने का प्रस्ताव ३८६-४०१
अनुपूरक अनुदानों की मांगें ४०१
श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४०१-०६
दैनिक संक्षेपिका ४०७-०८

संख्या १०--सोमवार, २७ फरवरी, १९५६

श्री जी० वी० मावलंकर का निधन ४०९-१६
दैनिक संक्षेपिका ४१७

संख्या ११--मंगलवार, २८ फरवरी, १९५६

श्री लालचन्द नवलराय का निधन ४१९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४१९-२०
राष्ट्रपति से सन्देश ४२०
राज्य-सभा से सन्देश ४२०
भारतीय रुई उपकर (संशोधन) विधेयक ४२१
एक सदस्य की गिरफ्तारी ४२१
प्राक्कलन समिति--
बीसवां प्रतिवेदन ४२१
समिति के लिये निर्वाचन
राष्ट्रीय सेना छात्र दल की केन्द्रीय मंत्रणा समिति ४२१
कृषिउत्पाद (विकास तथा गोदामों में रखने की व्यवस्था) निर्गम विधेयक ४२१-२२
पूंजी निर्गन (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४२२-२३
खण्ड २, ३ और १ ... ... ४४३
पारित करने का प्रस्ताव ... ४४३
बिक्री कर विधियां मान्यीकरण विधेयक
विचार करने का प्रस्ताव ४४४-६३
दैनिक संक्षेपिका ४६४-६५

संख्या १२--बुधवार, २९ फरवरी, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ४६७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ४६७

प्रतिभूति संविदायें (विनियमन) विधेयक ४६७
विक्री-कर विधियाँ मान्यीकरण विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४६८-८८
खण्ड २, ३ और १ ४८९-९२
पारित करने का प्रस्ताव ४९२
सभा का कार्य ४९२
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४९२-५१०
१९५६-५७ के सामान्य आय-व्ययक का उपस्थापन ५१०-३२
वित्त विधेयक ५३२
दैनिक संक्षेपिका ५३३

संख्या १३--गुरुवार, १ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ५३५
प्राक्कलन समिति--
इक्कीसवां प्रतिवेदन ५३५
सभा का कार्य--
बैठक का समय ५३५
१९५५-५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें ५३६...७६
विनियोग विधेयक ५७६
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ५७६-९१
दैनिक संक्षेपिका ५९२

संख्या १४--शुक्रवार, २ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ५९३-९४
राज्य-सभा से सन्देश ५९४
विनियोग विधेयक ... ५९४
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ५९५-६१२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ६१२
सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं
की जांच के लिये समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प ६१३-३५
मद्य निषेध के लिये अंतिम तिथि निश्चित करने के बारे में संकल्प ६३५
दैनिक संक्षेपिका ६३६

संख्या १५--शनिवार, ३ मार्च, १९५६

स्थगन प्रस्ताव ६३७-३८
सभा-पटल पर रखा गया पत्र ६३९

वित्त विधेयक में छपाई की गलतियों के बारे में वक्तव्य ... ६३९

जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक——

विचार करने का प्रस्ताव ६३९–६८

खण्ड २ से १६ और १ ६६८–७७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ६७७–७८

दैनिक संक्षेपिका ६७९

M87LSD—190—21-3-58—GIPF

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २ प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

मंगलवार, २८ फरवरी, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये भाग १**)

१२ बजे मध्याह्न

श्री लाल चन्द नवलराय का निधन

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे लोक-सभा को, श्री लालचन्द नवलराय, जो कई वर्षों तक केन्द्रीय विधान-सभा के सदस्य रहे थे, के देहान्त की सूचना देनी है। हम श्री लालचन्द नवलराय के देहावसान पर शोक प्रकट करते हैं तथा मुझे विश्वास है कि लोक-सभा, उनके परिवार, के प्रति समवेदना प्रकट करने में मेरा साथ देगी।

लोक-सभा के सदस्य शोक प्रकट करने के लिये एक मिनट के लिये खड़े होंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा के सदस्य एक मिनट के लिये मौन खड़े रहे।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखाने वाले विवरण

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं विभिन्न सत्रों में, मंत्रियों द्वारा दिये गये विविध आश्वासनों, वचनों, तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्न विवरण पटल पर रखता हूं।

(१) अनुपूरक विवरण संख्या २, लोक-सभा का ग्यारहवां सत्र, १९५५ [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३४**]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ६, लोक-सभा का दसवां सत्र, १९५५ [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३५**]

†मूल अंग्रेजी में

M83LSD—1

[श्री सत्य नारायण सिंह]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १२ लोक-सभा का नवां सत्र, १९५५ **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३६]**

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १६, लोक-सभा का आठवां सत्र, १९५४ **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३७]**

(५) अनुपूरक विवरण संख्या १९, लोक-सभा का सातवां सत्र, १९५४ **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३८]**

(६) अनुपूरक विवरण संख्या २६, लोक-सभा का छठा सत्र, १९५४ **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३९]**

(७) अनुपूरक विवरण संख्या ३१, लोक-सभा का पांचवां सत्र, १९५३ **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४०]**

(८) अनुपूरक विवरण संख्या ३५, लोक-सभा का चौथा सत्र, १९५३ **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४१]**

(९) अनुपूरक विवरण संख्या ४१, लोक-सभा का तीसरा सत्र, १९५३ **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४२]**

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वार्षिक प्रतिवेदन तथा परीक्षित लेखे

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ की धारा ३६ के अधीन निम्न पत्रों की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(१) कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वित्तीय वर्ष १९५३–५४ का वार्षिक प्रतिवेदन,

(२) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के परीक्षित लेखे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–५६/५६]

सम्पत्ति शुल्क नियमों का संशोधन

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : मैं सम्पत्ति शुल्क अधिनियम १९५३ की धारा ८५ की उपधारा (३) के अधीन, सम्पत्ति शुल्क नियम, १९५३ में अग्रेतर संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या १५/एफ० एन० ओ० १/ १६/५५-ई० डी० दिनांक १३ फरवरी, १९५६ की एक प्रति पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–६९/५६]**

राष्ट्रपति से सन्देश

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे राष्ट्रपति से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है:—

"मुझे, लोक-सभा सदस्यों द्वारा १५ फरवरी, १९५६ को एक साथ एकत्रित संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष दिये गये अभिभाषण के सम्बन्ध में प्राप्त धन्यवाद से बहुत संतोष हुआ है।"

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव** : श्रीमान्, मुझे राज्य सभा के सचिव से यह संदेश प्राप्त हुआ है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ९७ के उपबन्धों के अनुसार, मैं, भारतीय कपास उपकर (संशोधन) विधेयक १९५५, जो राज्य सभा ने १७ फरवरी, १९५६ को हुई अपनी बैठक में पारित किया, की एक प्रति संलग्न करता हूं।"

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय रुई उपकर (संशोधन) विधेयक

†**सचिव :** श्रीमान्, मैं भारतीय रुई उपकर (संशोधन) विधेयक, १९५६ को राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, सभा-पटल पर रखता हूं ।

एक सदस्य की गिरफ्तारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे लोक-सभा को यह सूचना देनी है कि मुझे दिल्ली के जिलाधीश से दिनांक २५ फरवरी, १९५६ का निम्न पत्र प्राप्त हुआ है :

"मुझे आप को यह सूचित करना है कि लोक-सभा सदस्य, पंडित भगवती चरण शुक्ल के विरुद्ध चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये गये बिना जमानती गिरफ्तारी के वारंट के अनुसार, मैंने यह अपना कर्त्तव्य समझा है कि लोक-सभा सदस्य पंडित भगवती चरण शुक्ल की गिरफ्तारी के आदेश दूं ।

इसी लिये २२–२–५६ को १ म० प० पंडित भगवती चरण शुक्ल को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनको बम्बई के प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने की व्यवस्था कर दी गई है ।

प्राक्कलन समिति

बीसवां प्रतिवेदन

†**श्री बी० जी० मेहता** : उपाध्यक्ष जी, मैं रेलवे मंत्रालय सम्बन्धी एस्टीमेट समिति की बीसवीं रिपोर्ट सभा की मेज पर रखता हूं ।

समिति के लिये निर्वाचन

राष्ट्रीय सेना छात्र दल की केन्द्रीय मंत्रणा समिति

†**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय सेना छात्र दल (संशोधन) अधिनियम (१९५२ का अधिनियम ५७) के द्वारा संशोधित राष्ट्रीय सेना छात्र दल अधिनियम (१९४८ के अधिनियम ३१) की धारा १२ के खण्ड (१) के अनुसार, इस सभा के सदस्य, अध्यक्ष महोदय के निदेश के अनुसार, समस्त सदस्यों में से सदस्यों का निर्वाचन करें जो एक वर्ष की कालावधि के लिये राष्ट्रीय सेना छात्र दल की केन्द्रीय मंत्रणा समिति के सदस्य होंगे ।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ

कृषि उत्पाद (विकास तथा गोदामों में रखने की व्यवस्था) निगम विधेयक*

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)**: मैं प्रस्ताव करता हूं कि सहकारी सिद्धान्तों पर कृषि उत्पाद के विकास तथा उसे गोदामों में रखने की व्यवस्था सम्बन्धी निगमों के निगमन तथा विनियमन की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ

†**श्री ए० पी० जैन** : मैं विधेयक** को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत के असाधारण गजट, दिनांक २८ फरवरी, १९५६ में प्रकाशित हुआ ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित किया गया ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि गत अवसर पर भी आप को सूचित किया गया था कि विधेयक की पुर:स्थापना के पूर्व ही सदस्यों को विधेयक मिल जाना चाहिये परन्तु यह विधेयक पहले नहीं मिल सका।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वे प्रकाशन काउन्टर पर मिल सकते हैं। जब भी माननीय सदस्यों को विधेयकों की पुर:स्थापना की सूचना मिले वे कृपा करके सभा कक्ष अथवा जन काउन्टर से उनकी प्रति ले लिया करें।

पूंजी निर्गम (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक समाप्त

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा में अब पूंजी निर्गम (नियन्त्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक पर विचार जारी होगा।

इस विधेयक के लिये आवण्टित चार घण्टों में से, ५५ मिनट समाप्त हो चुके हैं।

†**श्री बंसल** (झज्जर-रेवाड़ी): मैं यह सुझाव दे रहा था कि यह विधेयक इतना व्यापक नहीं है जितना मेरे मित्र श्री अशोक मेहता ने बताया है। मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि अलग अलग क्षेत्रों में विनियोजन नीति के विनियमन के लिये अलग अलग अधिनियम, जैसे उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, बैंकिंग अधिनियम, बीमा समवाय अधिनियम आदि हैं। परन्तु इस विधेयक का उद्देश्य, सीमित है। १९५४ में २२० समवायों में से, १४० औद्योगिक संस्थायें थी। इनकी पूंजी ११० करोड़ में से ९३·८६ करोड़ थी। इससे ज्ञात होता है कि लगभग ८० प्रतिशत पूंजी औद्योगिक क्षेत्र की है तथा यही उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम के अधीन आता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अधिनियम का उपयोग इस प्रकार किया जा रहा है जिसकी जानकारी इसके लागू करते समय नहीं थी। इसका प्रयोग इस प्रकार भी किया जा सकता है। मैं जानता हूं कि वित्त मंत्रालय की मंत्रणा समिति ही वह सिद्धान्त बनाती है जिनके अनुसार अनुमति दी जाती है। परन्तु मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या ये निर्बन्धन इस अधिनियम में रखे जायेंगे। उदाहरणतया एक शर्त यह है कि समन्याय तथा अधिमान अंश पूंजी में एक विशेष अनुपात रहना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि यह किस सिद्धान्त के आधार पर किया गया है।

दूसरी शर्त यह है कि किसी सार्वजनिक संस्था के लिये अनुमति देने से पूर्व कुछ न्यूनतम, प्रतिशत पूंजी प्राइवेट अंशदान द्वारा एकत्रित की जानी चाहिये। मैं मानता हूं कि कुछ मामलों में यह आवश्यक है। परन्तु मुझे संदेह है कि क्या किसी अधिनियम के अधीन सरकार को ऐसा करने के अधिकार हैं। यह इस लिये भी महत्वपूर्ण है। मान लीजिये एक इंजीनियरिंग संस्था ५ करोड़ रुपये की लागत से एक समवाय बनाती है परन्तु यदि सरकार २० प्रतिशत प्राइवेट अंशदान से एकत्रित करने को बाध्य करती है तो समवाय बनाने वाले व्यक्ति को अपने निजी संसाधनों से १ करोड़ रुपया एकत्रित करना पड़ेगा। इसका दुष्प्रभाव इंजीनियरों, प्रविधिकों आदि पर ही पड़ेगा।

सभा को ज्ञात है कि बोनस शेयर के आवेदन पत्र दीर्घकाल तक लम्बित रखे गये। अधिनियम के निर्वचन से यह जानकारी होती है कि इनके नियन्त्रण की आवश्यकता थी परन्तु इसमें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं दिया गया है। अधिनियम में यह नहीं दिया है कि सरकार बोनस शेयरों का नियन्त्रण करेगी। मैं यही चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस पर विचार करें तथा यदि उनके मतानुसार मेरा कहना ठीक है तो सम्भवतया इस अधिनियम में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है।

१९४९ में एक अधिसूचना वित्त मंत्रालय ने जारी की थी। उस आदेश के द्वारा बोनस शेयर को छूट नहीं दी गई थी वरन् उसमें यह बताया गया था कि बोनस शेयर पांच लाख रुपये की छूट

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमा में नहीं आ सकते। माननीय वित्त मंत्री से मेरा सुझाव है कि वह इस अधिसूचना के सम्बन्ध में कुछ कानूनी सलाह लें।

इस अधिनियम की धारा ३५ के अनुसार, सरकार आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने के कारण बतायेगी। परन्तु मुझे ज्ञात हुआ है कि कुछ मामलों में अस्वीकृति के कारण नहीं बताये गये हैं। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री यह कह सकते हैं कि क्योंकि २० जनवरी, १९४९ की अधिसूचना धारा ३,४ तथा ५ पर भी लागू होती है और इसी लिये धारा ३ की उपधारा (५) भी इसके अन्तर्गत आ जाती है। परन्तु मेरे विचार से यह कारण उचित नहीं है और सरकार को इन आवेदन पत्रों की अस्वीकृति के कारण अवश्य बताने चाहिये।

मेरा विचार है कि सरकार को अभ्यर्थियों के सूचनार्थ उन सभी मूल सिद्धान्तों को जनता को बता दना चाहिये जिन के आधार पर इन आवेदन पत्रों पर विचार किया जाता है। इससे जनता को बहुत सुविधा होगी।

श्री अशोक मेहता ने यह कहा कि यह अधिनियम सम्पूर्ण गैर-सरकारी विनियोगों पर लागू नहीं होता है। प्रथमतः इससे ५ लाख रुपये से कम के मामलों को छूट मिल जाती है। इसके अतिरिक्त और भी कई अधिनियम हैं जिन के द्वारा विनियोग नीति का संरक्षण होता है। उन्होंने यह भी बताया कि हमारे देश में लगभग ४५ प्रतिशत आवेदन पत्र पूर्वस्थापित संस्थाओं के होते हैं जिस से आर्थिक शक्ति एक ही स्थान पर एकत्रित हो रही है।

मैं एक पिछड़े प्रदेश का निवासी हूं तथा यही चाहता हूं कि मेरे प्रदेश का औद्योगिक विकास हो। परन्तु उद्योगों को वहीं स्थापित किया जा सकता है जहां परिवहन तथा अन्य सुविधायें हों और परिवहन की उन्नति तभी हो सकती है जब वहां उद्योगों का विकास हो।

मेरा विचार है कि श्री अशोक मेहता का यह कहना ठीक नहीं है। मेरी राय में यह अधिनियम इसी उद्देश्य से बनाया गया है। तथा यह उद्देश्य उद्योग विकास तथा विनियमन विधेयक से पूर्ण होगा जिस में अनुवादिक समिति उद्योगों को स्थापित करने के स्थानों का निश्चय करेगी और इस प्रकार वह तनाव कम हो जायेगा जिस की ओर श्री अशोक मेहता ने निर्देश किया है। परन्तु मैं श्री अशोक मेहता के इस विचार से एक दम सहमत नहीं हूं कि आर्थिक शक्ति कुछ ही व्यक्तियों के हाथों का खिलौना बन जायेगी। श्रीमान्, जैसा कि आप को ज्ञात है पूंजी निर्गम नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत १९५४ में २५७ आवेदन पत्र प्राप्त हुये जिस में से २२० स्वीकृत हुये। इनमें उद्योगपति १५६ तथा १४० थे। परन्तु उद्योग (विकास तथा विनियमन) विधेयक के अधीन १९५४ में इससे बहुत अधिक आवेदन पत्र थे। जितना मुझे याद है १९५४ में ५४० तथा १९५५ में ८०० आवेदन पत्र यें जिन में से क्रमशः ४५० तथा ५८० स्वीकार किये गये थे।

यदि इन आवेदन पत्रों पर विचार किया जाये तो श्री अशोक मेहता उचित निर्णय कर सकेंगे। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह अभ्यर्थियों की सूचियों का अध्ययन करें तथा देखें कि औद्योगिक विकास का झुकाव किस ओर है। उनको इससे जानकारी होगी कि उद्योगों में नये व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं। यह एक अच्छी बात है कि नये लोग क्षेत्र में आ रहे हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि कोई आरोप लगाने से पहले यह देखना चाहिये कि देश के औद्योगिक क्षेत्र में किस तरह नई बातें हो रही हैं। सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इस तरह की बातों का अधिक प्रचार करें।

†**श्री मुरारका** (गंगानगर झुंझुनू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पूंजी निर्गम नियन्त्रण अधिनियम का स्वागत करता हूं। एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक विचार प्रकट किया है कि हम अकेले इसी विधेयक से राष्ट्रीय विनियोजन की नीति बना सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अशोक मेहता** (भंडारा): श्रीमान् मेरे बारे में कुछ गलतफहमी उत्पन्न हुई है। मैंने केवल यह कहा था कि इस अधिनियम का तथा इस प्रकार के अन्य अधिनियमों का प्रभाव एक खास दिशा में रहा है। मैंने कभी यह नहीं कहा कि केवल इसी एक विधान द्वारा हम राष्ट्रीय विनियोजन नीति का निर्माण कर सकते हैं।

†**श्री मुरारका** : मेरा विचार है कि जिस उद्देश्य के लिये यह विधेयक बना था वह पूरा हो गया है। यह विधेयक १९४३ में पुर:स्थापित किया गया था। उस समय इसके दो उद्देश्य बताये गये थे। युद्ध हेतु संसाधनों का संरक्षण करना तथा मुद्रास्फीति का मुकाबला करना। १९५० में डा० जान मथाई ने इसके तीन उद्देश्य बताये थे। एक, विनियोजनीय निधियों को राष्ट्रीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य कहीं लगाने से रोकना, दूसरे, राष्ट्रीय नियोजन नीति का निर्माण करना, और तीसरे, भारत में लगी हुई विदेशी पूंजी की छानबीन करना। १९५२ में श्री सी० डी० देशमुख ने लोक-सभा को बतलाया था कि इस विधेयक का यह उद्देश्य है कि भारत के सीमित साधनों को राष्ट्रीय हितों की विपरीत दिशा में लगाये जाने से रोका जाय। अब फिर इस विधेयक को रखते समय उन्होंने इसी उद्देश्य को दोहराया है।

श्री अशोक मेहता ने इस विधेयक की आलोचना करते हुये कहा है कि इस विधेयक के अन्तर्गत पिछले कुछ वर्षों में निजी कम्पनियों को अधिक स्वीकृतियां दी गई हैं और पब्लिक कम्पनियों को कम। दूसरे वर्तमान कम्पनियों को नई कम्पनियों की अपेक्षा अधिक स्वीकृतियां दी गई हैं। इसी प्रकार कृषि सम्बन्धी कम्पनियों की अपेक्षा औद्योगिक कम्पनियों को अधिक महत्व दिया गया है तथा छोटे शहरों की अपेक्षा बड़े नगरों की कम्पनियों को अधिक मान्यतायें दी गई हैं आदि। यह सब ठीक हो सकता है। किन्तु जब पूंजी निर्गम नियन्त्रक को कोई आवेदन पत्र भेजा जाता है तो उसके सामने दो ही उपाय होते हैं। या तो वह उसे स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार। वह यह नहीं कह सकता है कि अगर आप इस उद्योग की बजाय उस उद्योग में पूंजी लगायें तब ही मैं आप को स्वीकृति दे सकता हूं अथवा यदि आप अमुक स्थान की बजाय अमुक स्थान पर कम्पनी खोलें तभी आप को स्वीकृति मिल सकती है आदि। वह तो केवल यही चाहता है कि जो धन जनता से एकत्रित किया जाय उसको स्वीकृत काम के लिये लगाने से पहले उसका दुरुपयोग न हो तथा वह धन या तो सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया जाय अथवा सरकारी कोष में जमा किया जाय। इस विधेयक में एक निश्चित प्रकार से धन एकत्रित करने का अधिकार मात्र दिया गया है।

पहले १९४२ में जब यह विधेयक पुर:स्थापित किया गया था उस समय देश का वातावरण और प्रकार का था। उस समय कई देशी रियासतें थी। उस समय ऐसेम्बली केवल कुछ क्षेत्रों के लिये ही विधान बना सकती थी। किन्तु अब जब हम इसे स्थायी रूप से संविधि पर रखने जा रहे हैं तो वित्त मंत्री को इस विधेयक का पुन: प्रारूपण करना चाहिये था। उदाहरणत: आप वर्तमान विधेयक की धारा २ (ग) में 'स्टेट्स' की परिभाषा को देखिये। इसी प्रकार धारा ३ (२) में कहा गया है कि भारत में पंजी-बद्ध कोई भी कम्पनी सरकार की इजाज़त के बिना भारत में पूंजी का निर्गमन नहीं करेगी। यद्यपि इस रूप में भी यह जम्मू व काश्मीर राज्य में नहीं लागू होगा तथापि जैसे कि हम अन्य विधेयकों की दशा में करते हैं वैसे ही इस विधेयक का भी नये सिर से प्रारूपण करने के पश्चात् हम इसे जम्मू व काश्मीर के क्षेत्र से बाहर रख सकते थे। हम अब 'स्टेट्स' का अभिप्राय "सारे देश से" ले सकते थे और "सरकार" के स्थान पर "भारत सरकार" लिख सकते थे। इसी प्रकार इस विधेयक की धारा १६ में कहा गया है कि इस पूंजी निर्गम (नियन्त्रण को जारी रखने) अधिनियम १९४७, के तत्काल बाद जारी किये गये सभी आदेश वैसे ही प्रवर्त्तन में माने जायेंगे जैसे कि वे इस विधेयक के अनुसार जारी किये गये हों।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस विधेयक में यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उपबन्ध है। क्योंकि यह विधेयक केवल ५ लाख से अधिक पूंजी एकत्रित करने के सम्बन्ध में ही लागू होता है। उससे कम पूंजी एकत्रित करने के लिये नियन्त्रक की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है। किन्तु वर्तमान विधेयक में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यद्यपि यह छोटी-सी बात है परन्तु हमें इस विधेयक के कुछ खण्डों का पुन प्रारूपण करके इसे बिल्कुल स्पष्ट बना देना चाहिये था ताकि प्रत्येक व्यापारी को यह पता लग जाता कि उस अमुक राशि तक पूंजी एकत्रित करने के लिये स्वीकृति की आवश्यकता है अथवा नहीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि कोई व्यक्ति प्रति वर्ष ५ लाख रुपये से एक कम्पनी खोलना शुरू कर दे तो ?

†**श्री मुरारका** : प्रति वर्ष एक व्यक्ति ५ लाख रुपया जुटा सकता है। उसे इस बात की इजाज़त है। एक कम्पनी में प्रति वर्ष ५ लाख रुपया लगाया जा सकता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या इसका कहीं अन्त नहीं होता है ?

†**श्री मुरारका** : केवल यही प्रतिबन्ध है कि एक ही कम्पनी में एक वर्ष में ५ लाख से अधिक रुपया नहीं लगाया जा सकता है किन्तु एक ही वर्ष में एक से अधिक कम्पनियों के लिये ५ लाख रुपये से अधिक रुपया लगाया जा सकता है। इसी प्रकार दो भिन्न वर्षों में एक ही कम्पनी के लिये ५ लाख रुपये से अधिक लगाया जा सकता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या कोई ऐसी सूचना नहीं है जिस से पता लग सके कि अभी तक इस अधिनियम पर कैसे कार्य हुआ है?

†**श्री मुरारका** : बदकिस्मती से सरकार द्वारा प्रकाशित की गई सूचना से हमें कोई ऐसे आकड़े नहीं मिलते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या किसी प्रकार यह पता लग सकता है कि ऐसी कितनी कम्पनियां उद्योगों द्वारा बनाई गई हैं तथा कितनी कम्पनियां नियन्त्रक की स्वीकृति से बनी हैं ?

†**श्री मुरारका** : संविधि के अनुसार जब स्वीकृति मिल जाय तो कम्पनी का यह कर्त्तव्य होता है कि वह सरकार को सूचना दे कि उसने वास्तव में कितनी राशि एकत्रित की है। किन्तु आश्चर्य की बात है कि हमें इस प्रकार की बिल्कुल कोई सूचना नहीं है। अभी हाल ही में वित्त मंत्री ने हमें बताया था कि उचित व्यवस्था के न होने के कारण हम लोगों को यह सूचना नहीं मिल सकी है। किन्तु कम्पनियों के संतुलन विवरणों में इस की सूचना देनी आवश्यक होती है और विधि के अनुसार सन्तुलन विवरणों का रजिस्ट्रार को भेजना आवश्यक होता है। रजिस्ट्रार उन सन्तुलन विवरणों को देखकर पता लगा सकता है कि आवश्यक पूंजी एकत्रित की गई है अथवा नहीं।

किन्तु इस से पहले मैं सरकार को पूंजी निर्गमन के विषय पर मंत्रणा देने वाली समिति के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मेरा विचार था यह समिति पूंजी निर्गमन के सम्बन्ध में दिये गये सभी प्रार्थना पत्रों पर विचार करेगी और उन पर अपनी स्वीकृति देगी। किन्तु वित्त मंत्री ने बताया है कि इस समिति का यह आशय नहीं था। मैं नहीं समझता कि इस में कितना काम हो सकता है। श्री बंसल ने कहा है कि प्रतिवर्ष २५० आवेदन पत्र आते हैं। क्या समिति इनका निपटारा भी नहीं कर सकती है ? श्री बंसल ने अभी बताया है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग विकास परिषद् की एक उप-समिति है। वह प्रति वर्ष ८०० आवेदन पत्रों की छान बीन करती है। जब वह समिति इतना काम कर सकती है तो मैं यह नहीं मान सकता हूं कि इस समिति के लिये २५० आवेदन पत्रों का परीक्षण करना असम्भव होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुरारका]

१९५२ में माननीय श्री एस० सी० गुहा ने शिकायत की थी कि इस समिति की दो वर्ष तक कोई बैठक नहीं हुई थी। क्योंकि समिति की बैठक तभी होती है जब सभी सदस्य किसी एक तिथि के लिये सहमत होते हैं। यह बात ठीक नहीं है। किसी एक सदस्य की बीमारी अथवा असुविधा के कारण समिति का कार्य नहीं बन्द होना चाहिये। समिति को अपने कार्य में पूरी दिलचस्पी लेनी चाहिये। फिर सरकार की ओर से ऐसी भी कोई सूचना नहीं है कि इस समिति के कौन सदस्य हैं, कितनी बार इस की बैठकें हुई हैं तथा उन्होंने कितने आवेदन पत्रों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया है आदि। आर्थिक कार्यों के विभाग द्वारा प्रकाशित आंकड़ों में भी ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है कि कम्पनियों को ऋणों द्वारा कितनी पूंजी एकत्रित करने की स्वीकृति दी गई है। क्योंकि इस अधिनियम के अनुसार कम्पनी को इस प्रकार ऋण लेने के लिये भी सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या लाभ को दोबारा लगाने के लिये भी अनुमति लेनी पड़ती है ?

†**श्री मुरारका** : नहीं, श्रीमान्। मुझे समझ नहीं आता है कि सरकार क्यों ऐसी सूचना नहीं प्राप्त कर सकती है विशेषकर जब कि कम्पनियों के लिये ऐसी सूचना देना आवश्यक है। यदि कोई कम्पनी सूचना नहीं देती है तो सरकार उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है। जब तक दो चार कम्पनियों को कुछ दंड नहीं दिया जायेगा जब तक ऐसी सूचना नहीं प्राप्त होगी। अतः आवश्यक सूचना न देने वाली कम्पनी को दंड देना चाहिये या जुर्माना किया जाना चाहिये।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** (तिरुपुर): यह एक आवश्यक विधेयक है। इस सम्बन्ध में मैं श्री बंसल के इस विचार पर पुनः बल दूंगा कि सामान्यतः लोगों को यह ज्ञात रहना चाहिये कि किन अवस्थाओं में उन्हें पूंजी निर्गमन की स्वीकृति लेनी चाहिये। यह भी अच्छा ही हुआ है जो पूंजी निर्गमन की सीमा १ लाख से बढ़ा कर ५ लाख कर दी गई है। किन्तु लोगों को पूंजी एकत्रित करने की स्वीकृति मिलने में देर नहीं होनी चाहिये। सरकार को पूंजी निर्गमन की सब शर्तों के सम्बन्ध में एक विज्ञप्ति निकाल देनी चाहिये जिस से सब छोटे बड़े लोगों को पता लग जाय कि किन अवस्थाओं में पूंजी निर्गमन की स्वीकृति मिल सकती है।

दूसरी बात यह है कि जिन लोगों के पास धन है वे अनेकों कम्पनियां चालू कर रहे हैं। कुछ संयुक्त-स्कन्ध समवाय ही सब कम्पनियों का प्रबन्ध कर रहे हैं और किसी औद्योगिक क्षेत्र में वही सभी निर्गमित पूंजी ले लेते हैं। इस प्रकार पूंजी कुछेक व्यक्तियों के ही हाथ में आ जाती है। इसे दूर किया जाना चाहिये। किन्तु इस विधेयक में इस के लिये कोई भी उपबन्ध नहीं है।

अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रकाशित हुई है। हमें पता लग चुका है कि हमें किन-किन उद्योगों को प्रोत्साहन देना है। अतः हमें यह ध्यान में रखना चाहिये कि देश के सभी क्षेत्रों में समान रूप से कम्पनियां खोली जायें। क्योंकि लोहा तथा इस्पात उद्योग में ९०० करोड़ रुपयों पूर्णतया पूर्वी क्षेत्र में लगाया जा रहा है इसलिये दक्षिणी क्षेत्र को उस विनियोजन में बहुत कम रुपया प्राप्त हो सकेगा। क्या वित्त मंत्री इस विधेयक में कोई ऐसी बात नहीं रख सकते हैं जिस से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चालू किये जान वाले उद्योग देश के सभी क्षेत्रों में समान रूप से खोले जा सकें। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस विधेयक में किसी कम विकसित क्षेत्र से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में क्या उपबन्ध है।

अब मैं बोनस शेयरों के प्रश्न को लेता हूं। इस सभा में एक वक्तव्य में कहा गया है कि कुछ कम्पनियों को बोनस शेयरों द्वारा पूंजी इकट्ठी करने की स्वीकृति है। किन्तु अभी तक इस प्रश्न का कोई निश्चय नहीं किया गया है कि बोनस शेयरों पर कर लगाया जायेगा अथवा नहीं। पिछले दस वर्षों में अधिकतर पूंजी का नियोजन इसी प्रकार लाभों को दोबारा लगा कर ही हुआ है। क्या हम जिन उद्योगों

†मूल अंग्रेजी में

का विकास करना चाहते हैं उनके लिये हम यह सीमा ५ लाख रुपये से कुछ अधिक नहीं कर सकते हैं जैसे इंजीनियरिंग उद्योग आदि । मेरे विचार में हम जिन क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं उनमें हमें यह प्रतिबन्ध नहीं लगाने चाहियें । मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस विषय पर विचार करे ।

पूंजी निर्गमन का यह विषय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत आता है । और उसके अनुसार हम प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समाप्त करना चाहते हैं और हम यह आशा कर रहे हैं कि बहुत से प्रविधिज्ञ सचिव तथा कोषाध्यक्षों के रूप में आगे आयेंगे और इस प्रकार एक नये प्रकार की प्रबन्ध व्यवस्था प्रारम्भ हो जायेगी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस अधिनियम के नियमों में इस प्रकार की प्राविधिक प्रबन्ध प्रणाली के विकास के लिये कोई बात रखी गई है ? मैं जानना चाहता हूं कि श्री बंसल ने जिन प्रतिबन्धों का उल्लेख किया है क्या उनसे वांछित परिणामों पर पहुंचा जा सकता है ?

श्री मुरारका ने कहा है कि वर्तमान निगमों के अन्तर्गत ५ लाख रुपये से कम की पूंजी प्रति वर्ष जारी की जा सकती है । सरकार को देखना चाहिये कि क्या कोई कम्पनी इन नियमों का अनुचित लाभ उठाती रही है । यदि इस का अनुचित लाभ उठाया गया है तो इस नियम में संशोधन होना चाहिये ।

†**श्री झुनझुनवाला** (भागलपुर मध्य) : जिस रूप में यह विधेयक सदन के सम्मुख आया है, उसका स्वागत होना चाहिये । पूंजी निर्गम नियन्त्रण विधेयक का मुख्य आशय यह था कि देश के सीमित संसाधनों का उसके सर्वोत्तम हितों के अनुसार उपयोग हो और बहुतसा रुपया जिसे लोग ज्यादा नफा देख कर एक विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट उद्योग में लगाते हैं, वह उस उद्योग में लगाया जाये जिस से हमारे देश का उचित रूप में विकास हो ।

उस दिन श्री बंसल कह रहे थे कि जब उद्योग विकास परिषद् द्वारा किसी उद्योग विशेष के लिये लाइसेंस दे दिया जाये तो पूंजी निर्गम विभाग को शीघ्र ही उस उद्योग के अभ्यावेदन पर निर्णय कर देना चाहिये । इस पर वित्त मंत्री जी ने पूछा था कि जब विकास परिषद् लाइसेंस दे दे तो क्या पूंजी निर्गम विभाग को स्वत: ही उस अभ्यावेदन की स्वीकृति दे देनी चाहिये ? उनका कहना ठीक था । पूंजी निर्गम विभाग को कितनी ही अन्य बातें देखनी पड़ती हैं जैसे कि जिस उद्योग के लिये लाइसेंस दिया गया है उसे विद्यमान परिस्थितियों में वरीयता दी जाये या नहीं । इसी सम्बन्ध में पूंजी के केन्द्रीकरण का प्रश्न उठता है । उदाहरण के लिये किसी उद्योग को अन्य स्थानों के मुकाबले में किसी विशिष्ट स्थान पर केन्द्रीकृत नहीं होना चाहिये तथा जब कि देश के विकास के लिये अधिक महत्वपूर्ण उद्योग आवश्यक है तो कम महत्व के उद्योगों के लिये पूंजी नहीं स्वीकृत की जानी चाहिये । पूंजी निर्गम विभाग को देश के औद्योगिक विकास का पूरा चित्र अपने सामने रख कर देश के लिये किसी उद्योग विशेष की महत्ता को देखते हुये उसकी वरीयता निर्धारित करनी चाहिये । मेरा निवेदन है कि संविधि पुस्त पर इस विधेयक को स्थायी स्थान मिल जाने पर ये सब अधिकार सरकार को स्वयं अपने हाथ में ले लेने चाहियें । तभी हम देश का सर्वतोमुखी विकास कर सकते हैं । प्रत्येक अधिनियम को पृथक्-पृथक् रूप से प्रशासित करके यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता । यह लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब कि विभिन्न अधिनियमों को सर्वतोमुखी आधार पर प्रशासित किया जाये ।

अब मैं वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि श्री अशोक मेहता ने जो प्रश्न उठाये उनके सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है । यह कहा गया है कि उद्योग केवल उन लोगों द्वारा प्रारम्भ किये जायेंगे जिनके पास कि रुपया है और उन क्षेत्रों में जहां सब सुविधायें प्राप्त हैं । श्री बंसल कह रहे थे कि किसी उद्योग विशेष के लिये एक विशिष्ट क्षेत्र में अच्छा मौका हो सकता है, किन्तु यदि उस क्षेत्र में यातायात सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं तो किसी उद्योगपति को वहां उद्योग प्रारम्भ करने से पूर्व दो बार सोचना होगा । यह बात मैं माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं । सरकार को यह देखना चाहिये कि

†मूल अंग्रेजी में

[श्री झुनझुनवाला]

उद्योग विशिष्ट स्थानों तथा विशिष्ट लोगों के हाथ में ही न केन्द्रित हो जायें। यदि केवल वही लोग उद्योग प्रारम्भ कर सकेंगे जिन के पास कि रुपया है तो अवश्य ही धन का केन्द्रीकरण होगा। अब यह बात सरकार के सोचने की है कि इस समस्या का हल किस प्रकार किया जाये।

श्री बंसल ने कुछ प्रश्न उठाये हैं। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है कि इस अधिनियम को पूंजी निर्गम विभाग किस प्रकार प्रशासित करेगा। उन्होंने बतलाया कि इस विभाग द्वारा यह शर्त लगायी जा रही है कि किसी कम्पनी के चालू करने पर लोगों को कुछ निजी पूंजी भी लगानी चाहिये अथवा उगाहनी चाहिये। दूसरे, उन्होंने कहा कि अधिमान शेयरों तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं। मेरा दृष्टिकोण बिलकुल दूसरा है। वास्तव में मेरी यह शिकायत है कि जब कोई पूंजी निर्गम विभाग के समक्ष अतिरिक्त पूंजी के लिये आता है तो यह विभाग इस चीज पर गौर नहीं करता कि क्या इस पूंजी को यह कम्पनी ऋणपत्रों द्वारा अथवा अधिमान शेयरों द्वारा नहीं उगाह सकती थी। यदि कम्पनी ऐसा करने की स्थिति में नहीं है तो इससे ज़ाहिर होता है कि इसका प्रबन्ध ठीक नहीं है। मुझे मालूम हुआ है कि पूंजी निर्गम करने की आज्ञा ऐसी कम्पनियों को भी प्रदान की गयी है जिन्होंने भली प्रकार कार्य नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, जैसा श्री अशोक मेहता ने कहा, पूंजी निर्गम की अनुमति फिल्म उद्योग तथा ऐसे ही अन्य उद्योगों को भी प्रदान की गयी है। यदि ऐसा है तो मैं समझता हूं कि इस विभाग ने अच्छा कार्य नहीं किया है। फिल्मों का बच्चों और युवकों पर अच्छा नैतिक प्रभाव नहीं पड़ता।

†**श्री जी० डी० सोमानी** (नागौर-पाली) : मैं इस विधेयक के सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि सीमिति संसाधनों की दृष्टि मे सरकार को पूंजी निर्गम को विनियमित करने का अधिकार होना चाहिये।

श्री अशोक मेहता तथा श्री चेट्टियार ने आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण तथा प्रादेशिक असमानताओं का प्रश्न उठाया। जहां तक इन प्रादेशिक असमानताओं का सम्बन्ध है, मेरा कहना है कि मैं स्वयम् राजस्थान जैसे पिछड़े हुये राज्य से आया हूं तथा मुझे अवश्य ही प्रसन्नता होगी यदि पूंजी निर्गम के नियन्त्रण द्वारा पिछड़े हुये क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सके।

लेकिन व्यावहारिक रूप से मुझे संदेह है कि जो मुख्य प्रश्न उठाये गये हैं उनके सम्बन्ध में पूंजी निर्गम नियन्त्रण से कुछ सहायता मिल सकती है। आखिर पूंजी निर्गम विभाग किसी को इस बात के लिये मजबूर नहीं कर सकता और न ही किसी विद्यमान कम्पनी को महज़ इसलिये कि यह बड़ी है अपनी पूंजी बढ़ाने से रोक सकता है। इस लियें मैं समझता हूं कि ये दोनों प्रश्न कहीं वृहत्तर महत्व के हैं तथा जहां तक इस अधिनियम का सम्बन्ध है बहुत संगत नहीं है।

अब मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान पूंजी निर्गम विभाग के विलम्ब के मामलों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे स्वयम् बम्बई की एक कम्पनी का मामला ज्ञात है जिस में कि पूंजी निर्गम विभाग द्वारा बिना न्यायोचित कारणों के तीन मास उसकी अर्जी रोक रखी गयी और जब तक इस विभाग की अनुमति आयी स्टाक एक्सचेंज भग्न हो चुका था तथा यह कम्पनी पूंजी नहीं उगाह सकी।

इस सम्बन्ध में, मैं बोनस शेयरों के निर्गम के विषय में भी कहना चाहता हूं। सरकार ने समस्त बोनस अभ्यावेदनों को विचारार्थ रोक लिया जिस से कि कर जांच समिति की सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुये इस मसले पर जांच की जा सके। इस निर्णय में सरकार ने आठ मास लगा दिये। और जब ८ मास पश्चात् उसने इन अभ्यावेदनों पर विनिर्णय किया भी तो भी सारा मसला अनिश्चित स्थिति में छोड़ दिया गया है। शायद २९ तारीख को जाकर ही हमें मालूम होगा कि बोनस निर्गम शेयरों के सम्बन्ध में सरकार का अन्तिम निर्णय किस प्रकार का है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पूंजी निर्गम विभाग का कार्य अधिक द्रुतगति से तथा क्षमतापूर्वक होना चाहिये। अपने देश में जो हम अपार औद्योगीकरण करना चाहते हैं उसकी दृष्टि में यह अत्यन्त आवश्यक है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान पूंजी निर्गम विभाग की हाल की इस प्रवृत्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि विद्यमान कम्पनियों को अपनी पूंजी को केवल एक विशिष्ट प्रव्याजि (प्रीमियम) पर ही बढ़ा सकने को मजबूर किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि कम्पनियों के संचालक बोर्डों द्वारा कम्पनियों की विद्यमान पूंजी को बढ़ाने के तरीके पर किये गये निर्णयों के विरुद्ध पूंजी निर्गम विभाग को नहीं जाना चाहिये।

मैं श्री मोरारका के इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि प्रत्येक अभ्यावेदन पर वित्त मंत्रालय से सम्बद्ध समिति द्वारा विचार किया जाये क्योंकि इस समिति में उद्योग के प्रतिनिधि तथा अन्य गैर-पदाधिकारी भी हैं और यह उचित ही है कि इसका कार्य केवल सामान्य सिद्धान्तों तथा नीति निर्धारण तक ही सीमित रहे। अभ्यावेदनों पर निर्णय करने का काम इस समिति द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों तथा नीतियों के आधार पर सरकारी विभाग करने को छोड़ देना चाहिये।

श्री चेट्टियार ने कहा कि मैनेजिंग एजेंसी निगम का मामला भी पूंजी निर्गम विभाग द्वारा विनियमित किया जाये। मेरी निश्चित राय है कि पूंजी निर्गम विभाग का इससे कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये कि वे पूंजी निर्गम के अभ्यावेदनों पर स्वीकृति अथवा अस्वीकृति देते समय मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली के गुणावगुणों पर विचार करें।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात की वांछनीयता पर आपत्ति प्रकट की है कि पांच लाख रुपये की पूंजी का निर्गम मुक्त रखा गया है क्योंकि उनके कथानुसार इससे कम्पनियां प्रति वर्ष पांच लाख रुपये की वृद्धि अपनी पूंजी में कर सकेंगी। इस बारे में मेरा निवेदन है कि अब तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि जब छोटे तथा मध्यम मात्रा के उद्योगों द्वारा इस आजादी का दुरुपयोग किया गया हो। इसलिये मैं इस बात का तनिक भी न्यायोचित कारण नहीं देखता कि पांच लाख रुपये के निर्गम की इस आजादी पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जाये।

†**श्री के० के० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं क्योंकि यह विधेयक पूंजी निर्गम नियन्त्रण के सम्बन्ध में विधि से सम्बन्धित है। इस उपबन्ध के द्वारा हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि हमारे देश में विनियोजन ठीक प्रकार से किया जाये।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इतने अधिक प्रतिबन्ध नहीं होने चाहिये जितने इस समय हैं और गैर-सरकारी पूंजी को अपनी इच्छानुसार कार्य करने दिया जाना चाहिये। पर गैर-सरकारी पूंजी और गैर-सरकारी क्षेत्र को इस प्रकार काम करना चाहिये कि वह अपने देश की सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था और विस्तृत योजना के अनुकूल ही हो। प्रथम पंचवर्षीय योजना में और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये एक विशेष क्षेत्र सुरक्षित कर दिया गया है अतः यह आवश्यक है कि गैर-सरकारी क्षेत्र का विकास इस प्रकार होना चाहिये कि वह देश की आर्थिक व्यवस्था के अनुकूल हो। अतः इस विधेयक को संविधि पुस्तक का एक स्थायी भाग बना दिया जाये। श्री टी० एस०.ए० चेट्टियार ने जो कुछ कहा है वह ठीक है पर वर्तमान स्थिति में यह सम्भव नहीं है।

हमें जो आंकड़े मिले हैं वे पर्याप्त नहीं हैं और उनसे यह भी पता नहीं लगता कि क्या इस विभाग ने उपलब्ध संसाधनों को समुदाय के अधिकतम उपयोग में लगाने का प्रयत्न किया है या नहीं।

१९५५ में चाय उद्योग के लिये २ करोड़ २० लाख रुपये की पूंजी निर्गमित की गयी थी। हम देखते हैं कि बहुधा अनुज्ञप्तियां ऐसे व्यक्तियों को दी जाती हैं जो कुछ समय में अपना धन तो उद्योग में से निकाल लेते हैं और बाद में उद्योग को नष्ट होने के लिये छोड़ देते हैं। वास्तव में, इसी कारण उद्योग

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० के० बसु]

कभी-कभी नष्ट हो जाता है। कभी-कभी मूल एकक जो इस उद्योग को चलाने वाले होते हैं, परेशानियों में पड़ जाते हैं। यदि यह २ करोड़ २० लाख रुपये अच्छी प्रकार से चलने वाले चाय उद्योग के लिये दिये गये थे तो ठीक है पर प्रतिवेदन से ऐसा कुछ भी पता नहीं लगता। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अनुज्ञप्तियां ऐसे लोगों को न दी जायें जो एक दो वर्ष तक ही उद्योग को चला कर छोड़ दें, बल्कि ऐसे लोगों को दी जायें जो देश में औद्योगीकरण की उन्नित करें।

उसके पश्चात् रेयान (बनावटी रेशम) के निर्माण की बात आती है, हम देखते हैं कि इस उद्योग के लिये १९५५ में १३ करोड़ रुपये की अनुमति दी गयी है। हम जानते हैं कि हमारे देश में हथकरघा तथा इसी प्रकार के अन्य उद्योग भी हैं और कभी कभी उनके सामने आर्थिक संकट भी आता है अतः कृत्रिम रेशम उद्योग को इतना अधिक प्रोत्साहन देना ठीक नहीं मालूम होता। अतः सरकार को ध्यान रखना चाहिये कि वह ऐसे उद्योगों के लिये अनुज्ञप्तियां न दे जिनसे हमारे देश के उद्योग की सारभूत उन्नति होने के बजाय अन्य उद्योगों के मार्ग में बाधा पैदा हो।

उसके पश्चात मैं देखता हूं कि लगभग २ करोड़ रुपये की स्वीकृति जलयान और नौका बनाने वाली संस्थाओं को दिया गया। जलयान बनाने वाली केवल एक ही संस्था 'हिन्दुस्तान शिपयार्ड' है। उसमें भी सरकार का सबसे अधिक अंश है। सुना है कि पश्चिमी तट पर और कलकत्ता के निकट भी जलयान बनाने की कुछ छोटी-छोटी संस्थायें हैं। अतः जब जलयान बनाने वाले गैर-सरकारी समवाय अपने वित्त पर आत्मनिर्भर नहीं रह सकते और सरकार को ९० प्रतिशत वित्त देना पड़ता है तो नये समवायों के खोलने की अनुमति देना ठीक नहीं है। मुझे बताया गया है कि विदेश में भी यही स्थिति है। अतः यह देश की आर्थिक व्यवस्था के लिये ठीक नहीं है कि जलयान और नौका बनाने वाली संस्थाओं को २ करोड़ रुपये दिये जायें।

हम देखते हैं कि १९५५ में मोटरगाड़ी उद्योग के लिये ५ आवेदन पत्र स्वीकार किये गये हैं जिन में लगभग ४ करोड़ रुपये दिये गये। हम चाहते हैं कि हमारे देश में जनता की सवारी के लिये लारियां और बसें बनें पर हम देखते हैं कि हमारे यहां एक दो कारखाने जो निर्माण करने के काम में लगे हुये हैं, उनमें भी लगभग ६० प्रतिशत पुर्जों को इकट्ठा करके गाड़ी तैयार की जाती है। यह संस्थायें आत्म-निर्भर नहीं है फिर भी सरकार ने ५ आवेदन पत्र स्वीकार कर लिये हैं, मैं नहीं जानता कि यह पांचों नये समवाय हैं या पुराने। जब पुराने समवाय ही अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा सके हैं तो नये समवायों के लिये अनुज्ञप्ति देना कहां तक ठीक है।

मशीनी औजार उद्योग के लिये १ करोड़ रुपये की अनुज्ञप्तियां दी गयी हैं। इस समय कलकत्ता, हावड़ा के आसपास मशीनी औज़ार के कुछ छोटे-छोटे कारखाने हैं जो अच्छे औज़ार तैयार करते थे और अच्छा काम कर रहे थे पर प्रतियोगिता और इस्पात की कमी के कारण वह ठीक प्रकार से चल नहीं पा रहे हैं। उनमें से कुछ तो बन्द भी हो गये हैं। कुछ समय पूर्व कलकत्ता के आस पास के छोटे पैमाने के उद्योगों की समस्याओं पर विचार करने के लिये एक विशेष समिति की बैठक हुई थी उसने भी इस उद्योग को सहायता देने की सिफारिश की थी। समवायों के नये शेयर जारी करने की अनुमति देते समय हमें इस बात पर विचार कर लेना चाहिये कि क्या वास्तव में उस अमुक उद्योग की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जहां तक मोटरगाड़ियों का सम्बन्ध है यह पांचों समवाय नये नहीं हैं; पुराने ही हैं।

†**श्री के० के० बसु**: यदि ऐसा है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या वह उस विशेष संयंत्र या उद्योग को विकसित करें या वह विद्यमान उद्योग से ही अच्छा लाभ उठा सकती है। मशीनी औजारों के बारे में एक बात और है कि विद्यमान एककों का ही

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिक विकास किया जाना चाहिये । कुछ ऐसे एकक हैं कि यदि उनको सहायता दी जाय तो वह देश की आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं । ५ लाख रुपये दिये जाने से कई छोटे और बड़े एकक प्रतियोगिता के कारण विलीन हो जायेंगे और आर्थिक गतिविधियों का अधिक केन्द्रीकरण हो जायेगा ।

मिट्टी का तेल और पेट्रोलियम शोधनशाला के बारे में भी एक आवेदन पत्र है । मैं समझता हूं कि यह कोई पुराना समवाय होगा । जहां तक मुझे मालूम है कि तीन पेट्रोलियम शोधन शालायें हैं और वह चालू हैं और एक १९५७ में चालू होने जा रही है । इन समवायों में जो समझौता होता है उन में भारतीय अंशधारियों को प्रबन्ध के मामले में सीमित अधिकार होते हैं अतः हमें ध्यान रखना चाहिये कि हमारी पूंजी का ठीक उपयोग हो । अक्सर शिकायत की जाती है कि हमारे देश में लोगों को शिल्पिक ज्ञान कम है । अतः हमें चाहिये कि हम अपने आदमियों को इन विदेशी समवायों में इस तरह लगायें कि वह उसका ज्ञान प्राप्त कर सकें और आवश्यकता पड़ने पर विदेशियों की जगह पर काम कर सकें । मैं चाहता हूं कि सरकार इस नियन्त्रण अधिनियम के अधिकारों को देश में औद्योगीकरण को बढ़ाने के काम में लगाये । सुयोजित अर्थ व्यवस्था में व्यक्तिगत कार्य प्रणाली का कोई स्थान नहीं है; उसे देश के सम्पूर्ण विकास के अनुकूल ही होना चाहिये ।

कुछ माननीय सदस्यों ने प्रादेशिक विकास तथा एकाधिकार हितों की बात भी कही । हो सकता है कि कोई विशेष प्रदेश किसी विशेष उद्योग के लिये अधिक उपयोगी हो पर सामान्यतया सभी प्रदेशों का विकास किया जाना चाहिये । ऐसा न करने से राज्यों के पुर्नगठन के समय यही बात पैदा होगी कि अमुक क्षेत्र अधिक या कम विकसित है और राज्यवार संघर्ष पैदा हो जायेगा । अतः यह बात तय है कि सभी प्रदेशों का यदि बराबर विकास नहीं होगा तो हमेशा प्रतिद्वन्दिता, ईर्ष्या और संघर्ष चलता रहेगा ।

इस अधिनियम के अधिकारों के अन्तर्गत हमें एकाधिकार को भी रोकना है । हमें समाज को समाज वादी ढांचे पर लाना है या कल्याणकारी राज्य बनाना है अतः नये लोगों को भी अनुमति दी जानी चाहिये ताकि देश के सभी भागों में समान रूप से उद्योग का विकास हो ।

बोनस शेयरों के बारे में सरकार ने एक वक्तव्य द्वारा बताया है कि वह बोनस शेयर देने जा रहे हैं पर क्या उन्होंने बोनस शेयरों पर कर लगाने के बारे में विचार कर लिया है । कई बार हम देखते कि कई उद्योगों के पास बहुत अधिक पूंजी हो जाती है अतः हमें ध्यान रखना चाहिये कि बोनस शेयरों के रूप में दी गयी राशि का ठीक प्रकार से उपयोग किया जाय । कई बार समवाय झूठ कह देते हैं कि धन का उपयोग उद्योग के विकास के लिये किया जा रहा है पर वास्तव में बात ऐसी नहीं है । कभी कभी वह उद्योग के वैज्ञानिकन के लिए अनुमति मांगते हैं पर उससे बेकारी तो बढ़ती है और उत्पाद में भी किसी प्रकार की उन्नति नहीं होती । अतः इस प्रकार के वैज्ञानिकन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । बोनस शेयरों की अनुमति देते समय भी सरकार को देखना चाहिये कि उस पर कर लगाये क्योंकि अभी तक उस पर कर नहीं लगाया जाता था और धन को भी सम्पूर्ण देश में उद्योग के विकास के लिये काम में नहीं लाया जाता था ।

विदेशी विनियोजनों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि बुनियादी उद्योग के लिये जिसके जानने वाले हमारे देश में नहीं है, विदेशी विनियोजन आवश्यक है । पर हम देख चुके हैं कि हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जानते हैं । अतः हमें भविष्य में इसका फायदा उठाना चाहिये । हमें इससे कोई मतलब नहीं कि किस देश का मामला है । यदि सरकार ठीक प्रकार से संसाधनों का उपयोग करे तो देश के विकास में काफी सहायता मिल सकती है । मैं कहना चाहता हूं कि उन्हीं विदेशी विनियोजनों की अनुमति दी जानी चाहिये जिन से देश के औद्योगिक विकास में तरक्की हो । विदेशी अस्तियों और दायित्वों के बारे में एक पैरा में बताया गया है कि अमेरिका से नयी पूंजी व्यापारिक क्षेत्र के लिये आयेगी और ब्रिटेन से निर्माण सम्बन्धी कार्यों के लिए । पर मैं पूछता हूं कि संयंत्रों तथा अन्य व्यापारों का

[श्री के० के० बसु]

क्या हाल है। मैं नहीं समझता कि सरकार ऐसी पूंजी को हमारे देश में क्यों आने देती हैं जिस से हमें कोई लाभ नहीं। यदि हमें धन चाहिये तो धन अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ले सकते हैं पर इन गैर सरकारी साधनों से धन लाना ठीक नहीं। बताया जाता है कि लगभग १३५ करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी हमारे देश में लगी हुई है। आप विदेशी विनियोजन की अनुमति क्यों देते हैं जब आप अपने देश में औद्योगिक विकास चाहते हैं।

मैं देखता हूं कि सरकार ने विदेशी समवायों को ७५,००,००० रुपये तक का विनियोजन करने की अनुमति दे दी है। यह विनियोजन अधिकृत दलालों और मछली के शिकार के निर्यात करने वालों, आयात करने वालों तथा कमीशन एजेंटों आदि के लिये है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे उद्योगों के लिये जिनके जानने वाले हमारे देश में नहीं है, अवश्य विनियोजन की अनुमति दी जाय पर मछली के शिकार या अधिकृत दलालों, आयात करने वालों, निर्यात करने वालों तथा कमीशन एजेंटों के लिये हमें किसी विनियोजन की आवश्यकता नहीं है। अतः सरकार को चाहिये कि वह विदेशी विनियोजन की अनुमति ऐसे ही उद्योगों के लिये दी जाय जिन के लिये हमारे देश में जानने वाले न हों। १९५० और १९५४ में कोयले की खदान के सम्बन्ध में ८५,००,००० तथा ३०,००,००० के लिये आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये।

इसी प्रकार चलचित्र वितरकों तथा जूतों के उद्योग की बात लीजिये। मैं पूछता हूं कि जूता उद्योग के लिये ६,७४,००० रुपयें क्यों आवण्टित किये गये हैं। क्या बाटा और फ्लैक्स विदेशी समवाय नहीं हैं। कोयले की खदान के लिये क्यों अनुमति दी गयी। साथ ही प्रतिवेदन में पूरा विवरण होना चाहिये कि यह विभाग देश में औद्योगिक विकास के लिये क्या कर रहा है। अपना भाषण समाप्त करने के पूर्व मैं यह बताना चाहता हूं कि कुछ मामलों में बहुत ज्यादा देर हो जाती है पर ऐसा नहीं होना चाहिये। सरकार सभी बातों को ध्यान में रख कर इस विशेष अधिनियम को देश के औद्योगिक विकास के लिये उपयोग में लावे। मैं चाहता हूं कि यह विधान पारित कर दिया जाय।

†**श्री के० सी० सोधिया** (सागर) : जब मैंने विधेयक को देखा था तो मैं पूर्णतया उसके पक्ष में था। क्यों कि जब देश में पूंजी के संसाधन सीमित हैं तो उनके उचित नियन्त्रण के लिये एक विधि का होना आवश्यक है। पर मैं देखता हूं कि देश के कुछ विशेष भागों को अधिक सहायता मिलेगी और कुछ भाग उस लाभ से वंचित रह जायेंगे। योजना आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि सभी भागों को उचित भाग दिया जाना चाहिये पर गत पांच वर्षों में अधिकांश उद्योग या तो बम्बई में या बंगाल में रखे गये हैं। इससे केवल उन प्रदेशों के उद्योगपतियों को ही लाभ नहीं होता पर इससे अन्य प्रदेशों या क्षेत्रों के लोगों के मन में जलन भी पैदा होती है। अतः मेरा निवेदन है कि उद्योग की दृष्टि से जो क्षेत्र पिछड़े हैं उनका भी ठीक ठीक विकास किया जाय।

इस विधेयक के द्वारा उद्योग की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को कोई लाभ नहीं होगा। अतः मैं पूछता हूं कि यदि सरकार पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना चाहती है तो उसके पास क्या उपाय है। अतः कुछ ऐसा किया जाना चाहिये जिस से उद्योग की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को उनका उचित भाग मिल सके।

इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री के हाथ बंधे हुये हैं क्योंकि अधिकांश उद्योगों के लिये अनुज्ञप्तियां अन्य मंत्रालयों द्वारा दी जायेंगी। पर कम से कम वह अपनी सामर्थ्य पर सरकार पर जोर डाल सकते हैं कि अविकसित क्षेत्रों के लिये पूंजी लगाई जाय। इसके लिये बम्बई और मद्रास ऐसे क्षेत्रों के उद्योगपतियों पर कुछ प्रतिबन्ध भी लगाये जाने चाहियें कि पिछड़े क्षेत्रों में खोले जाने वाले उद्योगों में उनको ६ या ७ प्रतिशत से अधिक लाभांश न मिलने पावे। इस मामले पर सावधानी से विचार करना चाहिये अन्यथा पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के दिल में जलन पैदा होगी। अच्छा तो यह होता कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा

†मूल अंग्रेजी में

अनुज्ञप्तियां दिये जान के बजाय सरकार का ही एक विभाग इस कार्य को करे। उद्योगों के असमान विकास के कारण ही आज राज्यों के विभाजन के मामलों में लोग इस बात के लिये झगड़ रहे हैं कि अमुक जिला हमारे राज्य में आना चाहिये।

मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि हम इस सम्बन्ध में कुछ करें। अतः सरकार को चाहिये कि कुछ ऐसा उपाय करे कि हमारे उद्देश्य की पूर्त्ति शीघ्र हो जाये।

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)**: पिछले दो अवसरों पर, इस अधिनियम का कार्यकाल केवल एक सीमित अवधि के लिये ही बढ़ाया गया था, उस समय राष्ट्रीय योजनाओं में भी इतनी प्रगति नहीं हुई थी। यह पहला अवसर है जब कि ये दोनों दशायें पूरी की जा रही हैं। आज हम देश व्यापी आयोजन का महत्व कहीं अधिक अच्छी तरह समझते हैं और इसी संदर्भ में मेरी यह प्रस्थापना है कि इस कानून को अब स्थायी कानून बना दिया जाये। अतः यह आशा की जाती थी कि इस विधेयक पर पहले की अपेक्षा अधिक गम्भीर और व्यापक चर्चा होगी। मैं उन माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं जिन्होंने इस अधिनियम का इतने आलोचनात्मक और रचनात्मक दृष्टि से परीक्षण किया है।

प्रत्येक बात के उत्तर में यह कहना मेरे लिये सम्भव न होगा कि विद्यमान विधि में अमुक प्रकार से ही संशोधन किये जायेंगे या इस अधिनियम का कार्यकरण और प्रशासन एक विशिष्ट प्रकार से ही बदला जायगा। मैं इतना कह सकता हूं कि वाद-विवाद के दौरान में प्रस्तुत किये गये सिद्धान्तों से मैं सामान्य रूप से सहमत हूं। हमारे लिये यह सम्भव होना चाहिये कि इन बातों को दृष्टिगत रखते हुये इस अधिनियम के प्रशासन का पुनर्विलोकन कर सकें और यह निर्णय कर सकें कि (१) अधिनियम में या नियमों में कौन सा संशोधन आवश्यक है और (२) उसे कार्यान्वित करने के लिये कौन से परिवर्तन या प्रथायें आवश्यक हैं।

मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि वे आवधिक प्रतिवेदन जो हम निकालते हैं, अधिक जानकारी देने वाले और विश्लेषणात्मक होने चाहिये। मैंने देखा है कि अनेक प्रतिवेदन बहुत संक्षिप्त हैं। और उनमें बहुत आंकड़े हैं। मेरे विचार से हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम उन्हें ऐसा बनाने का प्रयत्न करें जो अधिक जानकारी दे सकें। जैसा कि मैंने अभी विरोधी सदस्य को प्रश्नों के दौरान में बताया, यह विधेयक स्वतः यंत्र प्रणाली का टुकड़ा है किन्तु वह कदाचित नीति और प्रथा की जो सभी संविहित नहीं है, इमारत के शिखर पर आखिरी टुकड़ा है। जैसा कि पूर्व वक्ता माननीय सदस्य ने बताया, उसमें से कुछ तो स्पष्टतः संपूर्ण सरकार का कार्य है। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि वास्तव में उस शिखर को प्रकाशित किया जाये जिस से लोग निर्णय कर सकें। अतः हम यथासम्भव अच्छी प्रकार से इस कमी को पूरा कर सकेंगे।

पिछली बार जब कानून का कार्यकाल बढ़ाया गया था, मैंने दो आश्वासन दिये थे। एक तो यह था कि पूंजी निर्गम नियन्त्रण की मंत्रणा समिति की बैठकें अब अधिक शीघ्र होंगी जैसे तीन महीने में एक बार, और विलम्ब नहीं होने दिया जायगा। दूसरी बात यह थी कि यदि वाणिज्यिक और औद्योगिक जाति योजना आयोग और सरकार के सामने यह सफलतापूर्वक सिद्ध कर सके कि पूंजी सम्बन्धी इस विशिष्ट कानून से देश के हितों की उचित रूप से सेवा नहीं हो रही है, तब हम पूंजी निर्गम नियन्त्रण समाप्त करने का विधेयक प्रस्तुत करेंगे। तब से काफी समय बीत चुका है और मुझे समाधान है कि प्रायः प्रत्येक सदस्य ने जिन्होंने इस विषय पर भाषण दिया है, मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है।

अब प्रथम आश्वासन के सम्बन्ध में यह बात है कि जुलाई, १९५२ में मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी। तब समिति के पुनर्रचना का प्रश्न उठाया गया था और पुनर्निर्मित समिति सितम्बर, १९५३ में नियुक्त की गयी थी। २ दिसम्बर, १९५३ को उसकी बैठक हुई। १९५४ में उसकी तीन बैठकें और

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सी० डी० देशमुख]

फरवरी तथा मई १९५५ में दो बैठकें हुई थीं। १८ अगस्त को होने वाली तीसरी बैठक स्थगित कर देनी पड़ी क्योंकि अनेक सदस्यों ने उपस्थित रहने की असमर्थता प्रकट की थी। नवम्बर में एक और तारीख निश्चित की गयी थी किन्तु संसदीय कार्यों के कारण फिर उसे स्थगित कर देनी पड़ी। अन्तिम बैठक ५ जनवरी, १९५६ को हुई थी और आगे ६ या ७ मार्च को अगली बैठक की तैयारियां हो रही हैं। अत: मैं आशा करता हूं कि सभा वह निर्णय स्वीकार करेगी जिसे हम सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। वर्तमान समिति के अध्यक्ष डा० ए० रामस्वामी मुदालियर हैं और उसके निम्न सदस्य हैं : श्री राम लाल देवकरन नांजी, श्री बी० डी० सोमानी, श्री जे० एस० सिम्स, और श्री एस० निजलिंगप्पा, संसद् सदस्य। श्री राम लाल देवकरन नांजी न केवल एक छोटे बैंकर है वरन् एक बैंक के प्रमुख हैं। वे अनेक वर्षों तक भारतीय बैंकर्स असोसियेशन के प्रधान रहे हैं। श्री बी० डी० सोमानी अखिल भारतीय मैनुफैक्चरर्स असोसियेशन की ओर से छोटे उद्योगों के प्रतिनिधि हैं। श्री जे० एस० सिम्स असोशियेटेड चैम्बर आफ कॉमर्स के प्रधान हैं।

अब यह प्रश्न उठाया गया था कि मंत्रणा समिति को प्रत्येक आवेदन पत्र पर विचार करना कहां तक सम्भव होगा। ऊपर सदस्यों के नाम पढ़ने से यह स्पष्ट हुआ होगा कि यदि हम प्रतिवर्ष २५० आवेदन पत्र भी निबटायें तब भी वह सम्भव नहीं है। निश्चय ही हम विलम्ब दूर करना चाहते हैं। इस चीज की तुलना अनुज्ञापन संगठन से, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत बनाया गया है, नहीं की जा सकती। वहां योजना ऐसी है कि उद्योगों की एक केन्द्रीय मंत्रणा परिषद् है जो निबटाये गये लाइसेंसों का पुनर्विलोकन करने के लिये एक पुनर्विलोकन समिति नियुक्त करती है। वह केन्द्रीय मंत्रणा समिति की एक उपसमिति है। उसके नीचे एक अनुज्ञापन समिति है जिस में सम्बन्धित केन्द्रीय विभागों के प्रतिनिधि और सभी राज्य सरकारों के उद्योग संचालक होते हैं और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सचिव उसके अध्यक्ष होते हैं। अत: यद्यपि वह विस्तृत रूप से एक प्रतिनिधि संस्था है, फिर भी वह पूर्णत: सरकारी है और इसलिये वह इन विषयों का जिस प्रकार विवेचन कर सकती है उस प्रकार गैर-सरकारी व्यक्तियों की एक समिति कदाचित् न कर सके।

इस अन्तिम समिति में पूंजी निर्गम के नियन्त्रक ने समवाय विधि प्रशासन विभाग का जो अभी पूंजी निर्गमों का प्रबन्ध करता है, प्रतिनिधित्व किया है। कभी कभी अनुज्ञापन समितियों की तदर्थ उप-समितियां आवश्यकता पड़ने पर नियुक्त की जाती हैं जैसे कि चीनी उद्योगों के मामले में हुआ है। अब तक केवल एक ही ऐसा उदाहरण है और वह चीनी उपसमिति है। अत: मुझे यह मालूम होता है कि जैसा कि विधि की योजना में उपबन्ध है, यह अधिक अच्छा है कि मंत्रणा समिति की कार्यवाही उसी बात तक सीमित रखी जाय जो अधिनियम की संगत धारा में कही गयी है। वह धारा इस प्रकार है "केन्द्रीय सरकार, सरकारी सूचना पत्र में अधिसूचना द्वारा, एक मंत्रणा समिति बनायेगी जिस में पांच से अधिक सदस्य नहीं होंगे, और वह उसे समय-समय पर मंत्रणा के लिये इस अधिनियम के प्रवर्तन से उत्पन्न होने वाले ऐसे विषय निर्देश कर सकती है जिन्हें केन्द्रीय सरकार उचित समझे"।

यहां यह संकेत है कि यदि हम इन अनुभवी व्यक्तियों की मंत्रणा से अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते हों तो सभी विषय अपने आप इस समिति को भेजना आवश्यक नहीं है।

कई माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गयी कुछ विशिष्ट बातों का विवेचन करने के पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूं कि पूंजी, पूंजी निर्गम तथा विनियोजन शब्दों के विभिन्न अर्थों से भ्रम हो सकता है और उन्हें पर्यायवाची समझना भ्रमात्मक होगा। उदाहरण के लिये, विनियोजन के सम्बन्ध में रक्षित बैंक समाचार पत्र (बुलेटिन) में दिये आंकड़ां में कदाचित् पुन: विनियोजित आंकड़े भी शामिल हैं जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये संगत नहीं है। अत: अन्य स्थानों पर दिये गये आंकड़ों से कोई निर्णय निकालने या उनकी तुलना करने का कोई प्रत्यक्ष मार्ग नहीं। हमने भी जो आंकड़े दिये हैं उनके सम्बन्ध

में माननीय सदस्यों को यह स्मरण दिलाना आवश्यक है कि धारा २ में पूंजी निर्गम की परिभाषा इस प्रकार से है:

" 'पूंजी का निर्गम' का अर्थ है किन्हीं प्रतिभूतियों का, नगद अथवा अन्यथा के लिये, जारी करना";

आगे धारा २ की उपधारा (ख) में कहा गया है :

'प्रतिभूतियों' का अर्थ है किसी समवाय द्वारा चाहे वह राज्यों में निगमित हो या न हो, अथवा उसके लाभ के लिये जारी किये गये अथवा जारी किये जाने वाले संलेखों में से कोई एक अर्थात्:—

(१) शेयर, संचय (स्टाक), बन्धपत्र (बांड);—शेयर शब्द के अन्तर्गत किसी विशिष्ट प्रकार के शेयर भी शामिल हैं—

(२) ऋण-पत्र;

(३) अन्य संलेख जिन से समवाय की आस्तियों पर भार या ग्रहणाधिकार उत्पन्न होता हो; और

(४) ऐसे संलेख जिन में समवाय को ऋण या उसकी ऋणिता स्वीकार की गई हो और जो किसी तीसरे दल द्वारा प्रत्याभूत हों या तीसरे दल के साथ संयुक्त रूप से प्रविष्ट किये गये हों।

यह बहुत व्यापक परिभाषा है। अतः ऐसे व्यक्तिगत प्रश्नों की, कि अमुक ऋण क्यों दिया गया अथवा अमुक मामले में अमुक अनुज्ञा क्यों दी गयी, विवेचना करना सरल नहीं है।

नौवहन समवायों के मामले में आंकड़े लगभग २ करोड़ २८ लाख रुपये हैं जिसमें से १ करोड़ ९८ लाख रुपये का ऋण नौवहन समवायों को परिवहन मंत्रालय ने नये जहाज खरीदने के लिये मंजूर किया है। सम्मति आवश्यक थी क्योंकि ऋण से समवाय की आस्तियों पर भार उत्पन्न हुआ है। अतः इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि हम नये ऋण क्यों दे रहे हैं। वास्तव में वह नौवहन समवायों के लिये है। कोयला खनन के बारे में अनेक उदाहरण रखे गये हैं। वास्तव में वह बहुत बड़ा विषय है। मोटे तौर पर आज की स्थिति यह है कि हमारा उत्पादन ३८० लाख टन है जिसमें सरकारी क्षेत्र का ३० लाख टन और गैर-सरकारी क्षेत्र का ३ करोड़ ५० लाख टन है। पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमें ६ करोड़ टन कोयले की आवश्यकता होगी। अर्थात् २ करोड़ २० लाख टन अधिक। यदि हम उसे २ करोड़ १० लाख टन ही मान लें, तो हम उसे ७० लाख टन के एक एक भाग में तीन जगह बांट सकते हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र ने सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगे बिना ही ७० लाख टन अधिक उत्पादन करने का वचन दिया है। सरकारी क्षेत्र ७० लाख टन उत्पादन करेगा। हमें अभी पूरा पता नहीं है कि शेष ७० लाख टन का उत्पादन किस प्रकार किया जायगा। दोनों क्षेत्रों द्वारा की गई प्रगति को देखते हुये हम आगे यह निर्णय कर सकेंगे कि हमें सरकारी क्षेत्र अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र को पूरा अथवा उसका कुछ भाग देना चाहिये।

चाय समवायों के बारे में भी कुछ निर्देश था। मुख्यतया वह बोनस शेयरों को जारी करने के लिये या पौंड की पूंजी के प्रत्यावर्तन के लिये था, जो उस प्रयोजन के लिय स्थापित भारतीय समवाय द्वारा एकत्र रुपयों से ही किया जा सकेगा। अतः वह प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया का एक भाग था। वह किसी को नया चाय बागान या उस तरह की कोई चीज प्रारम्भ करने की अनुमति देने का मामला नहीं है। मोटर-गाड़ी उद्योग का भी यहां उल्लेख किया गया है। स्पष्ट है वह पुराने मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में है और नये के बारे में नहीं क्योंकि यह नये समवायों की सूची में नहीं है।

मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि मत्स्य पालन के विषय में हमें कुछ नहीं सीखना है। तटीय नौवहन के विषय में हमारी स्थिति ठीक है। किन्तु गहरे समुद्र में मछली मारने की समस्या एक बिलकुल नयी समस्या है और इस विषय में हमारी पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। सम्भव है कि गहरे समुद्र में मछली मारने

[श्री सी० डी० देशमुख]

की सम्भावनायें ढूंढने के लिये कुछ नये समवाय चालू किये गये थे। माननीय सदस्यों को कदाचित् विदित होगा कि नार्वे ने जो सहायता हमें दी है वह मत्स्यपालन परियोजना के रूप में है। उसने कुछ विशेषज्ञ भी भेजे हैं। उन्होंने एक नयी प्रकार की नाव बनायी है। हमारे लोग भी यहां उसे बना रहे हैं त्रावनकोर में हमारे कुछ लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

†**श्री के० के० बसु :** क्या मत्स्य पालन उद्योग के लिये आवश्यक औज़ार बनाने की उन्हें अनुमति है ?

†**श्री सी० डी० देशमुख :** वह अनुमति एक कम्पनी को दी गयी थी जो जापानियों के साथ काम करना चाहती थी। जापानी इस विषय में बहुत कुशल होते हैं और मेरे विचार से विदेशी समवायों के साथ नवीन सहयोग के लिये अब भी पर्याप्त क्षेत्र है। मैं केवल यही उदाहरण देता हूं, क्योंकि प्रत्येक मामले के विषय में माननीय सदस्य को समाधानकारक उत्तर देना मेरे लिये सम्भव न होगा। मेरे पास जो जानकारी है, उससे मैं यह बता सकता हूं कि लगभग २००० मामले, करीब २५० प्रतिवर्ष, निबटाये गये हैं। यद्यपि मैं इस सम्बन्ध में चालू प्रवृत्ति की ओर आप का ध्यान दिला सकता हूं किन्तु मेरे लिये प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में संतोषजनक उत्तर देना सम्भव नहीं।

बोनस शेयरों के सम्बन्ध में यहां पर इस बात की चर्चा करना कि लाभांशों के लिये अनुमति दी जानी चाहिये अथवा नहीं, उपयुक्त नहीं है। किन्तु एक माननीय सदस्य ने शिकायत की है कि दस महीनों तक हमने आवेदन पत्रों को रख छोड़ा। हम इन आवेदन पत्रों को सीधे ही अस्वीकार कर सकते थे क्योंकि हमने निश्चय नहीं किया था। अतः उनकी वास्तविक शिकायत यह थी कि बोनस शेयरों के सम्बन्ध में निर्णय करने में हमने इतना समय लिया है। इस पर मैं यही कह सकता हूं कि वह बहुत ही अधिक पेचीदा विषय है। कुछ लोगों ने यह राय ज़ाहिर की है कि बोनस शेयर पर कर लगाने के लिये कोई तर्क शुद्ध कारण नहीं है जबकि कुछ दूसरे लोगों ने उतने ही जोर से कहा है कि ऐसा करने के लिये अवश्य ही कुछ आधार है। हमें दोनों ओर के तर्कों को तौलना होगा और तब कोई निर्णय करना होगा। इसलिये यदि ऐसे विषय पर निर्णय करने में हम दस महीने का समय लेते हैं, तो उस कारण किसी को झगड़ा नहीं करना चाहिये। कर जांच आयोग की सैकड़ों सिफारिशों में एक यह भी है। उन में से कुछ पर इस वर्ष कार्यवाही करूंगा, कुछ पर अगले वर्ष और कुछ पर और आगे। अगले कुछ वर्षों में करारोपण के लिये वह एक मार्गदर्शक है और समय समय पर उसके पन्ने पलट कर हमें देखना होगा कि हमें क्या करना चाहिये। हमारा यह निर्णय था कि यह बहुत ही पेचीदा विषय है और हम उस पर तुरन्त निर्णय नहीं कर सके। अन्त में हमने यह कहा कि इन बोनस शेयरों के जारी किये जाने के लिये हम अनुमति देते हैं किन्तु बाद में हमें उन पर कर लगाने का अधिकार रहेगा। यही वास्तविक स्थिति है और मेरे विचार से इस विलम्ब के लिये हम पर दोष नहीं लगाया जाना चाहिये।

अब मैं अन्य माननीय सदस्यों द्वारा उठा गई बातों का उत्तर दूंगा। श्री अशोक मेहता ने कहा कि १९५१–१९५२ में कुल ५९·६ करोड़ रुपये के लिये मंजूरी दी गयी थी जिस में से दो संस्थाओं को प्रत्येक को ५ करोड़ रुपये की पूंजी एकत्र करने की मंजूरी दी गयी है। एक ममथा फिल्म्स और दूसरी एवरेस्ट फिल्म लिमिटेड इन्टरनेशनल है। इन दोनों व्यापारिक संस्थाओं के सम्बन्ध में दस करोड़ रुपये की एक राशि उगाही गई थी। उन्होंने कहा कि "जब कि संसाधन इतने अल्प थे तो मुझे आश्चर्य है कि ममथा फिल्मस् (यद्यपि उसका नामकरण इस प्रकार किया गया है) को और एवरेस्ट फिल्म लिमिटेड इन्टरनेशनल को चार करोड़ रुपये दिये जाने की अनुमति किस प्रकार दी गई"। तथ्य ये हैं। कुल राशि, जिस के लिये मंजूरी दी गई थी, ५९·६ करोड़ रुपये थी, किन्तु यह स्पष्ट है कि माननीय सदस्य ने यह तथा अन्य आंकड़े १९५१–५२ और १९५२–५३ में भारत में संयुक्त स्कन्ध समवायों से प्राप्त किये हैं। इन

†मूल अंग्रेजी में

दोनों समवायों में से प्रत्येक की अधिकृत पूंजी पांच करोड़ रुपये है किन्तु ममथा फिल्म्स में उनकी प्रार्थित पूंजी १,०१,००० करोड़ रुपये और एवरेस्ट फिल्म लिमिटेड इन्टरनेशनल में ५,०२० रुपये हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** उक्त नाम ममथा है अथवा मन्मथ।

†**श्री सी० डी० देशमुख :** "ममथा" है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** फिल्म समवाय के लिये मन्मथ नाम अधिक अच्छा होता।

†**श्री सी० डी० देशमुख :** उक्त नाम में एक अक्षर कम है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** सम्भवतः वित्त मंत्री ने एक अक्षर को शब्द के अन्त में जोड़ दिया है।

†**श्री सी० डी० देशमुख :** कितनी भी अधिकृत पूंजी वाली किसी समवाय को, जो स्वयं पंजीबद्ध हो रहा हो हमारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री अशोक मेहता का भी ख्याल है कि संयुक्त स्कन्ध समवायों के प्रकाशन में जो आंकड़े दिये गये हैं वे अनिवार्यतः पूंजी निर्गम नियन्त्रण द्वारा व्यापारिक संस्थाओं के बारे में दिये गये हैं। इस बात से वह गलतफहमी दूर हो जाती है। उन्होंने कहा कि ३१७·४ करोड़ रुपये की कुल राशि से गैर-निवासियों को दिये जाने के लिये स्वीकृत ६८·८ करोड़ रुपये की राशि बहुत अधिक है। उन्होंने पूछा कि क्या यह नीति दूरदर्शितापूर्ण है। आंकड़े सही हैं किन्तु उनसे जो निष्कर्ष उन्होंने निकाला है वह कुछ गलत हो जाता है, क्योंकि इन वर्षों में बड़ी राशि के कई असाधारण निर्गम हुये थे; १९५३ में इम्पीरियल टुबैको कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, पूंजी पुनर्गठन योजना—११ करोड़ रुपये; १९५४ में, बर्मा शैल रिफाइनरीज— २२·९५ करोड़ रुपये। किसी विशिष्ट प्रकार के अंशों के जारी किये जाने को प्रतिबंधित करने की बात पर मैं अपने माननीय मित्र से सहमत हूं। इस विशिष्ट मामले में जारी की गई प्रतिभूतियां समझौते के अनुसार अधिमान अंश थे। इसलिये अब उस समझौते में परिवर्तन करने की गुंजाइश हमारे लिये नहीं रही है। मूल समझौते पर निस्संदेह मतभेद रहा है, और जैसा कि लोक-सभा के सदस्यों को विदित है उस पर एक से अधिक बार चर्चा हुई है। १९५५ में, कालटेक्स आइल रिफाइनरी (इंडिया) लिमिटेड— ९·१७ करोड़ रुपये; और टाटा हाइड्रोइलेक्ट्रिक आन्ध्र वेली एण्ड टाटा पावर कम्पनीज—७·७० करोड़ रुपये; यहां ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि ये ऋण पुनर्निर्माण और विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से लिये गये थे। माननीय सदस्यों के विरुद्ध मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। यह हमारी ही गलती है कि हमने सब आंकड़े एक साथ रख दिये और सदस्यों द्वारा निष्कर्ष निकाले जाने की गुंजाइश छोड़ दी। जो मैं अभी कह रहा हूं वह प्रतिवेदन में भी कहा जा सकता था। यदि हमने एक छोटा सा पाद-टिप्पण दे दिया होता तो सम्भव है कि ये आलोचनायें की गई होतीं। इन बातों को अब मैं स्पष्ट करता हूं। कुल राशि ५०·८१ करोड़ रुपये होती है। यदि इन असाधारण निर्गमों को छोड़ दिया जाये तो यह स्पष्ट है कि गैर-निवासियों के लिये निर्गमों की प्रतिशतता, विगत तीन वर्षों के निर्गमों की कुल राशि से ६ प्रतिशत कम होगी। अब मैं दूसरी बात को लेता हूं जिस के बारे में अधिकांश वक्ताओं ने कहा है। वक्ताओं ने कहा है कि आंकड़े यह नहीं दर्शाते हैं कि नियन्त्रण का इस प्रकार संचालन किया गया है जिस से कि एक सुदृढ़ राष्ट्रीय विनियोजन की नीति को प्रोत्साहन मिले। उन्होंने यह अनुभव किया कि जो औद्योगिक उपक्रम थे वे बहुत कम थे। पुराने उपक्रमों का विस्तार हो रहा है और इस का अर्थ यह है कि अन्ततोगत्वा हमारे सभी उपक्रम कुछ सीमित प्रदेशों द्वारा नियंत्रित हैं। यह कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में समवाय आरम्भण की ओर एक निश्चित और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है और अभियांत्रिक उद्योगों की प्रदत्त पूंजी प्रायः स्थिर रही है। यद्यपि, जैसा कि मैंने अपने प्रश्न में

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सी० डी० देशमुख]

संकेत किया है कि यद्यपि मेरी राय में सम्भवत: ये सभी वांछनीय लक्ष्य हैं तथापि इस विधान से उन्हें कहां तक प्राप्त किया जा सकता है इसके बारे में मुझे संदेह है। उदाहरणार्थ इससे राष्ट्रीय आयोजन के समूचे क्षेत्र का विशेष कर औद्योगिक क्षेत्र में आयोजन का, विस्तार हो जाता है और इस मामले में हम क्या करने जा रहे हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या पूंजी निर्गमों के मामले में किसी प्रकार की कोई प्राथमिकता निर्धारित की गई है ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : प्राथमिकताओं का निर्धारण योजना के अनुसार होगा। इसलिये इस से यह प्रश्न उत्पन्न होता है, कि औद्योगिक क्षेत्र में आप का क्या कार्यक्रम है। चूंकि समय कम है इसलिये इस विषय पर विस्तारपूर्वक कुछ कहने की आशा मुझ से नहीं की जा सकती है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्राथमिकताओं का निर्धारण योजना के अनुसार किया जा रहा है, क्या यह कहना पर्याप्त नहीं होगा। योजना का ब्योरा देना आवश्यक नहीं है।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : प्रथम पंचवर्षीय योजना में, जहां तक निजी क्षेत्र का सम्बन्ध है, हमारी योजना पूर्ण नहीं थी। कुछ बड़े उद्योगों के लक्ष्यों की ओर संकेत करके ही हमने संतोष कर लिया था। इसलिये उत्तर यह है कि इस सम्बन्ध में प्रथम योजना पूर्ण नहीं थी। मुझे विश्वास है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उक्त स्थिति में काफी सुधार का अनुभव किया जायेगा। जिस समय योजना पर चर्चा होगी उस समय इस मामले विशेष में योजना में जहां-जहां अभाव है उन की ओर ध्यान आकर्षित करने का माननीय सदस्यों को अवसर प्राप्त होगा। हमारे देश में औद्योगिक विकास एकांगी न हो और जिसके पास है उसे अधिक न दिया जाये और अनुन्नत क्षेत्रों की प्रगति के लिये विशेष प्रयास किये जायें आदि बातों के लिये सदस्यों को जो चिन्ता है उसे मैं समझता हूं। मेरा ख्याल है कि इस मामले में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। प्रश्न यह है कि (क) कौन से उपायों को काम में लाया जा सकता है और (ख) क्या इस अधिनियम के द्वारा कोई उपाय काम में लाये जा सकते हैं। पहले के बारे में मेरा ख्याल है कि स्वयं राज्य ही विभिन्न उद्योगों के आरम्भ किये जाने की अपनी जनता की आकांक्षाओं के प्रति जागरूक हैं यह बात स्वयं ही इस बात की प्रत्याभूति है कि इस मामले की उपेक्षा नहीं की जायेगी। दूसरे, जैसा कि मैंने पढ़कर बताया कि लाइसेंस देने वाली इस समिति में उद्योगों के निदेशकों का प्रतिनिधित्व होता है। आशा की जा सकती है कि जिस समय वे लाइसेंसों के सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे उस समय वे अपने विचार व्यक्त करने से नहीं चूकेंगे।

जहां तक इस अधिनियम का सम्बन्ध है मेरा ख्याल है कि केवल एक ही सुझाव दिया गया और, वह श्री टी० एस० ए० चेट्टियार द्वारा दिया गया है, कि जहां तक छोटे अभियांत्रिक उपक्रमों का सम्बन्ध है हमें सीमा में परिवर्तन करना चाहिये। सम्भव है कि यह एक ऐसा सुझाव हो जिस पर कि विचार किया जाना चाहिये। इसके सम्बन्ध में--मैं स्थिति को स्पष्ट कर दूं--स्थिति यह है कि इसका विनियमन नियमों द्वारा होता है। पांच लाख रुपयों के बारे में जो विमुक्ति उपबन्ध है उसमें कहा गया है कि :

"निम्नलिखित बातें अधिनियम की धारा ३, ४ और ५ के सभी उपबन्धों से विमुक्त रहेंगी।"

मैं केवल एक भाग को, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, पढ़ता हूं।

"अभ्यंश अंशों को छोड़कर प्रत्याभूतियों का निर्गम ....."इसका अर्थ यह है कि अभ्यंश अंशों के लिये कोई निम्नतर सीमा नहीं है। फिलहाल उसे कुछ देर के लिये भूल जाइये।

---

†मूल अंग्रेजी में

"अभ्यंश अंशों को छोड़कर ऐसे समवाय द्वारा, जो महाजनी न करता हो ····और ऐसे समवाय द्वारा जारी की गई प्रत्याभूतियों से सम्बन्धित सभी सौदे" ·····

यही मूल भाग है ।

"किन्तु ऐसे मामलों में अर्न्तग्रस्त ऐसे निर्गम के प्रतिफल का मूल्य, पहले किसी समय जारी की गयी ऐसी प्रत्याभूतियों के जो खण्ड ४ के अन्तर्गत न आती हों, और जो ऐसी किसी कम्पनी द्वारा इस प्रकार के निर्गम के पश्चात् अगले १२ मास में की गई हों, प्रतिफल मूल्य सहित पांच लाख रुपये से अधिक नहीं होगा ।"

इसलिये संचयी तत्व यहां लाया गया है । मेरा ख्याल है कि कई सदस्यों को जो संदेह हैं वे अनावश्यक हैं और स्थिति नियन्त्रण में है । मैं कहना चाहता हूं कि इस नियम में किसी प्रकार के रूप भेद के बारे में विचार किया जा सकता है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : धारा ६ में कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार, सामान्य आदेश द्वारा, जिसे अधिकृत सूचना पत्र में प्रकाशित किया जायेगा, सभी या कुछ उपबन्धों से विमुक्ति दिये जाने का उपबन्ध कर सकती है ।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : उस धारा के अनुसार जो नियम हैं उनकी विषयवस्तु के बारे में मैं कह रहा हूं । मैं यह कह रहा हूं कि यदि इस नियम में ऐसा परिवर्तन किया जाये जिससे कि कुछ प्रकार के समवायों को थोड़ा प्रोत्साहन और अधिक व्यापक क्षेत्र दिया जा सके तो उस पर विचार किया जा सकता है । दूसरी बात·····

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस बात पर भी विचार किया जाये कि क्या विमुक्ति की इस शक्ति का दुरुपयोग पूंजी उगाहने के लिये तो नहीं किया जा रहा है ।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : वह तो इस नियम से ही असम्भव हो जायेगा । हमें दुष्करण के मामलों को ढूंढना है । वह तो निस्संदेह हमारे प्रशासन की सामान्य व्यवस्था पर निर्भर करता है । चूंकि पंजीयकों की नियुक्ति इत्यादि से समवाय विधि प्रशासन विभाग अब अधिक शक्तिशाली हो गया है , मेरा ख्याल है कि अब पहले की अपेक्षा अधिक मामले हमारे ध्यान में आयेंगे ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात है आर्थिक शक्ति के संकेद्रण के बारे में । स्थिति यह है कि समवायों के लिये जिस धन की व्यवस्था की जाती है उसका तीन चौथाई भाग स्वयं वित्त होता है । उसे संचिति से लिया जाता है और इसके लिये किसी अनुमति की आंवश्यकता तब तक नहीं होती है जब तक कि किसी संचिति के अभ्यंश अंशों में परिवर्तित न किया जा रहा हो, जो कि राज्य को उसका अंश दिये जाने सम्बन्धी कार्यवाही के अधीन एक गृह्य व्यवस्था होगी । रिजर्व बैंक द्वारा किये गये अध्ययनों के अनुसार केवल चौदह या पन्द्रह प्रतिशत बाहरी विनियोजन है अथवा प्रत्याभूतियां अथवा प्रबन्ध अभिकर्ता के माध्यम से किया गया विनियोजन ऋण आदि है । दस प्रतिशत अन्य प्रकार का हो सकता है । इस लिये अकेले इस अधिनियम को निर्देश करके इस बात का निर्णय नहीं किया जा सकता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यहां हम संशोधन कर भी लें, तो भी संभव है कि हम आर्थिक संकेन्द्रण को रोकने के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें सफलता न हों ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री के० सी० सोधिया ने उद्योगों के विकरण का जो सुझाव दिया है उसके बारे में क्या यह सम्भव नहीं है कि इसके साथ उद्योग (विनियमन) विधेयक को काम में लाया जा सके ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : जब मैंने यह कहा, कि चूंकि उद्योगों के निदेशक वहां मौजूद हैं तो यह कल्पना की जा सकती है कि उद्योगों का विकास प्रदेशों के अनुसार हो इसके लिये वे अपना पूरा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सी० डी० देशमुख]

प्रभाव पहले से ही डाल रहे हैं, तब मेरा आशय यही था। कई मामलों में जहां महत्वपूर्ण विनियोग किये जाने होते हैं, तो योजना आयोग से परामर्श किया जाता है। साधारणतया वह समितियों को यह विचार करने के लिये नियुक्त करता है--उदाहरण के लिये उर्वरक परियोजना को लीजिये कि उसे कहां स्थापित किया जाना चाहिये। विशेष तदर्थ समितियां नियुक्त की गई हैं। इस विषय की उपेक्षा नहीं की गई है। इतने थोड़े समय में ऐसे आंकड़े प्राप्त कर लेना, जिन से यह सिद्ध किया जा सके कि वांछनीय परिवर्तन हुआ है अथवा नहीं, अधिक कठिन है। मैं केवल यही कह सकता हूं। सभी को यह सिद्धान्ततः स्वीकार है। उस दिशा में प्रगति करने के कई उपाय हैं। किन्तु इस अधिनियम के अन्तर्गत हमने जो आंकड़े दिये हैं यदि उन्हें ही आप देखें तो सम्भवतः आप को संतोष न हो।

†**श्री के० के० बसु** : क्या निजी उद्योगों के लिये स्थान निर्धारण के समय योजना आयोग से परामर्श लिया गया था ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : हां। उदाहरण के लिये उर्वरक कारखाने को लीजिये। सम्बन्धित मंत्रालय, इस मामले में उत्पादन मंत्रालय, एक समिति नियुक्त करता है। समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर वह एक प्रतिवेदन तैयार करता है। यह प्रतिवेदन योजना आयोग को प्रेषित किया जाता है। योजना आयोग उस पर अपनी सिफारिशें करता है। इसके उपरान्त इस मामले को मंत्रिमंडल द्वारा भारी उद्योगों के लिये गठित समिति के समक्ष रखा जाता है। और अब सभी राज्य अपने अधिकारों की जानकारी रखते हैं और प्रत्येक राज्य के दावों के बारे में हमें कई बार अनुस्मारक प्राप्त होते हैं।

†**श्री अशोक मेहता** : वह तो सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में है। निजी क्षेत्र के बारे में क्या है ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : निजी क्षेत्र के लिये भी। योजना में दोनों क्षेत्र आ जाते हैं और कई बार वे कहते हैं कि एक ऐसा विशेष उपबन्ध किया जाना चाहिये जिससे कि वे उन निजी उद्योग-पतियों को भी ऋण दे सकें जो किन्हीं स्थानों में उद्योग आरम्भ करना चाहते हैं, अथवा विभिन्न राज्यों के वित्त निगमों को अथवा औद्योगिक वित्त निगम को इस प्रकार चलाना चाहते हों जिस से कि प्रादेशिक विकास को प्रोत्साहन मिले।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण के लिये अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक अच्छी सुविधायें दी जानी संभव हैं ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : जहां तक बड़े उद्योगों का सम्बन्ध है ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें और भी कई बातें जैसे संसाधनों की उपलब्धि, परिवहन लागत, उपभोक्ता केन्द्र आदि शामिल हैं। किन्तु मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में ऐसा करना सम्भव है। जहां तक छोटे पैमाने के उद्योगों का सम्बन्ध है, उसके लिये एक पृथक् बोर्ड है जो अब ऋण और अनुदान देता है। एक ओर प्रविधिक सहायता देने के लिये और दूसरी ओर उनके माल के विक्रय की व्यवस्था करने के लिये, फोर्ड प्रतिष्ठान के परामर्श पर स्थापित संस्थाओं के समान पृथक् संस्थायें हैं।

एक यह शिकायत भी की गई थी कि हम इस अधिनियम के उपबन्धों का आवश्यकता से अधिक अर्थ लगाते हैं यहां जिस धारा का उल्लेख है, वह बहुत ही साधारण है। हम कोई भी शर्त लगा सकते हैं, जब तक कोई प्रत्येक बात को स्पष्ट न किया जाये तब तक यह कहना बहुत कठिन है कि अधिनियम का भाव क्या ह और क्या नहीं है। मेरा ख्याल है कि ऐसे मामले में हमें युक्ति पर निर्भर रहना चाहिये। परिस्थिति की युक्ति में क्या सन्निहित है ? क्या यह कोई ऐसी बात है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों से संगत है ? इसका कोई कारण नहीं है कि अब कोई इस अधिनियम के प्रयोजन को अधिक व्यापक क्यों न समझे क्योंकि यह अधिनियम १९४७ में बनाया गया था और वास्तव में उसका उद्देश्य भारत

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा नियमों को कार्यान्वित करना था । यह एक प्रकार का युद्धकाल में उत्पन्न हुआ शिशु है परन्तु अब यह एक सम्मानित व्यक्ति बन गया है और अब यह देश की योजना आवश्यकताओं के अनुकूल बना दिया गया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यदि भाषा व्यापक है, ये सारी बातें उसमें आ जाती है, केवल इस कारण कि उस समय यह भाषा प्रयोग की गई थी, तो वे शब्द क्या हैं जो अब इसके स्थान पर रखे जा सकते हैं।

†**श्री सी० डी० देशमुख :** यही तो मैं कहता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मान लीजिये कि हमें यह करना पड़ता है .....

†**श्री सी० डी० देशमुख :** इसे इसके सिवाय और कैसे बदला जा सकता है कि जो बातें हो सकती हैं उनके और जो नहीं हो सकती हैं उनके वर्ग बना दिये जायें । नियम बनाने का यह व्यावहारिक तरीका है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** लड़का व्यस्क हो गया है । उसे बच्चा बने रहने देने की कोशिश करना बेकार है ।

†**श्री सी० डी० देशमुख :** इस बारे में हम परामर्शदात्री समिति से गूढ़ बात चीत कर रहे हैं । होता यह है कि वे टिप्पणियां परामर्शदात्री समिति के समक्ष रखी जाती हैं जिन्हें हम सोचते हैं कि जनता और प्रतिभूतियां जारी करने वाले समवाय के बीच अमुक प्रबन्ध हो—इतनी अंश पूंजी हो आप यह नहीं कह सकते कि धन प्राप्ति के उद्देश्य से इसका सम्बन्ध नहीं है—अर्थात् जनता से जो धन राशि प्राप्त की जाये उसको अमुक राशि हो, आदि । तब, हमने बहुत सी योजनाओं के सम्बन्ध में प्रयोग किया ताकि यह मालूम हो सके कि निर्धारित प्रतिशत अधिक अच्छा रहेगा या नहीं, क्या विस्टप मापमान (स्लाइडिंग स्केल) अच्छा रहेगा या नहीं, आदि आदि । परामर्शदात्री समिति ने जो विनिश्चय किये हैं, उन्हें पढ़कर मैं सभा को उकताऊंगा नहीं, परन्तु यह उनका अन्तिम विनिश्चय है । सभापति ने इस बात की ओर ध्यान दिलाते हुये विचार विमर्श आरम्भ किया कि पिछले दिनों में उद्योग में यह परिवर्तन आ गया है कि निर्माणकर्त्ता नये उद्योग, और मुख्यकर उपभोक्ता वस्तुओं के बनाने वाले अब मशीनें और अन्य भारी वस्तुओं के उत्पादन की ओर झुकते जा रहे हैं । इन उद्योगों के लिये बहुत पूंजी व्यय की आवश्यकता है । अतः यह समझा गया कि गैर-सरकारी अंश के निर्धारित प्रतिशत की अपेक्षा एक युक्तियुक्त विस्टप मापमान (स्लाइडिंग स्केल) अधिक अच्छा रहेगा । चर्चा में समिति ने श्री प्राणलाल देवकरण नानजी द्वारा व्यक्त किये गये भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के विचारों पर भी विचार किया गया । इस बात से सहमति प्रकट की गई कि विभागीय टिप्पण की कंडिका तीन में प्रस्तावित दरें अधिक हैं और निम्न मापमान स्वीकार किये जा सकते हैं :

१ करोड़ रुपये तक	१५ प्रतिशत
२ करोड़ रुपये तक	१२ १/२ प्रतिशत
५ करोड़ रुपये तक	१० प्रतिशत
५ करोड़ रुपये से ऊपर	मामले की विशेषताओं के आधार पर निर्धारित प्रतिशतता

अब, मैं माननीय सदस्य को सुझाव देता हूं कि यदि वह महसूस करते हैं कि इस में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तो वह समिति के उस सदस्य से कुछ करने के लिये कहें जो उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन की ओर माननीय सदस्य का निर्देश है, ताकि मामले पर विचार किया जाये । परन्तु परामर्शदात्री समिति में इन बातों पर इसी प्रकार विचार किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सी० डी० देशमुख]

फिर, विलम्ब का प्रश्न है, परन्तु विलम्ब के प्रश्न पर आने से पहिले मैं यह बताना चाहता हूं कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम और पूंजी विकास नियन्त्रण में क्या सम्बन्ध है अर्थात् लाइसेंसों का सापेक्ष क्षेत्र क्या है। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत निम्न बातों के लिये लाइसेंस की आवश्यकता है :

(क) नये औद्योगिक उपक्रम की स्थापना;

(ख) विद्यमान उपक्रम का सारवान् रूप में विकास; और

(ग) अधिनियम की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित उद्योगों के सम्बन्ध में ऐसी नई वस्तुओं का निर्माण जिनके लिये लाइसेंस लेना आवश्यक है, परन्तु शर्त यह है कि कारखाने में यदि विद्युत का प्रयोग होता हो तो ५० से अधिक और न होता हो तो १०० से अधिक लोग काम करते हों।

इन उद्योगों या उद्योगों के वर्गों की संख्या केवल लगभग ४२ है और ऐसे मामले, जिन के सम्बन्ध में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती अपितु केवल पंजी निर्गम नियन्त्रण द्वारा कार्यवाही की जा सकती है, ये हैं :

(१) वे उद्योग जो उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत नहीं आते ह।

(२) वे उद्योग जो उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत तो आते हैं परन्तु जिन का विकास अधिनियम के अर्थों में सारवान् विकास न हो।

ऐसी बहुत सी घटनायें हुई हैं जिन में सन्निहित पूंजी तो सारवान् थी जैसे ऐसी कपड़ा मिल का आधुनिकीकरण जिस के लिये लाइसेंस की आवश्यकता न थी।

(३) बागान समवाय—पूर्णतया अपवर्जित।

(४) बैंकिंग और बीमा समवाय, जिन्हें माननीय सदस्य पहिले ही स्वीकार कर चुके हैं।

(५) ऊन औद्योगिक समवाय।

(६) बोनस का निर्गम अंश।

जहां लाइसेंस दिया गया हो, वहां पूंजी निर्गम की अनुमति के मामले पर निम्न दृष्टियों से, जो वित्तीय और टेक्निकल किस्म की हैं, विचार करना होगा :

(१) क्या मांगी गई सारी पूंजी की आवश्यकता निकट भविष्य में ही होगी, या लाइसेंस की प्रार्थना करने वाले समवाय ने विकास का कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाया है;

(२) क्या समवाय के पास पहले ही पर्याप्त धन है जो कम वांछनीय विनियोगों में लगा हुआ है;

(३) पूंजी निर्गम चाहे सममूल्य पर या अधिमूल्य पर, के निबन्धन—और मैं फिर कहता हूं कि यह निश्चय करना हमारा काम है कि निबन्धन क्या हों;

(४) दायित्व ग्रहण (अन्डर राइटिंग) शुल्क और दलाली की राशि—विशेषकर यह ऐसे निर्गम का मामला था, जिस में निर्गम अंशधारी सदस्यों तक ही सीमित था और इसलिये यह अपने तरह का पहिला ही मामला था। अतः हमने जो विनिश्चय किया उसके सम्बन्ध में हमें बहुत सावधान रहना पड़ा.....

(५) क्या प्रस्तावित निर्गम समवाय की पूंजी के ढांचे में, अर्थात् अंश पूंजी और निश्चित लाभांश वाली पूंजी के बीच असंतुलन उत्पन्न होने की सम्भावना है।

(६) प्रस्तावित निर्गम के निबन्धन समवाय अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप हैं अथवा नहीं जो कि एक बहुत बड़ी बात है ।

जहां अनुज्ञप्ति सहयोग के निबन्धनों के अनुमोदन के अधीन दी गई हो, वहां निर्गम की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि उन निबन्धनों का अन्तिम रूप से अनुमोदन न कर लिया जाय । इसके कई आर्थिक पहलू और भी हैं जिनका मैं यहां उल्लेख नहीं करूंगा । इस लिये ये सीधे मामले नहीं हैं । हां, जो सीधे मामले होते हैं और जिन में उक्त बातों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती उनमें पूंजी निर्गम की अनुमति अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) दी जाने की तारीख से एक या दो सप्ताह के अन्दर दे दी जाती है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** निस्संदेह असम्भव है ।

†**श्री सी० डी० देशमुख :** निस्संदेह असम्भव है । क्योंकि हमें यह देखना पड़ता है कि ये और दूसरी चीजें वहां हैं या नहीं । हम यह कैसे जान सकते है कि यह भी उसी प्रकार चीज है जैसी कि दूसरी ।

शर्तों के सम्बन्ध में मैं एक बात बतलाना भूल गया हूं । वह यह है कि हमें यह भी देखना पड़ता है कि क्या हम इनसे प्रबन्ध अभिकरणों को निरुत्साहित कर सकते हैं । मैं मानता हूं कि यह उसका सही उपयोग नहीं है –आखिर संसद् ने इस मामले को अधिक व्यावहारिक रूप में सुलझाने वाली एक विधि पारित कर दी है —किन्तु हमें यह देखना पड़ता है कि प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति अथवा पुर्ननियुक्ति समवाय अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हुई है या नहीं । जहां ऐसी नियुक्तियों के लिये सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता होती है वहां हम इस विधि के उपबन्धों का ध्यान रखते हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अप्रत्यक्ष दबाव से इसका दुरुपयोग भी हो सकता है ।

†**श्री सी० डी० देशमुख :** मेरा भी यही विचार है । इसलिये पहिले हम उन सिद्धान्तों को निर्धारित करने का प्रयत्न करते हैं जिन का हमें इन शर्तों का पालन करने में तर्क संगत रूप से प्रयोग करना है ।

अब मैं वास्तव में अधिकांश महत्वपूर्ण बातें कह चुका हूं । मैं इस वाद-विवाद को फिर से पढ़ूंगा जिससे कि मुझे ज्ञात हो सके कि हम माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण व मूल्यवान सुझावों के अनुसार किस प्रकार कार्य कर सकते हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"पूंजी निर्गम (नियन्त्रण का जारी रखना) अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २, ३ और १, अधिनियम सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री सी० डी० देशमुख :** मैं प्रस्ताव करता हूं;

"कि विधेयक को पारित किया जाय" ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

बिक्री कर विधियां मान्यीकरण विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अन्तर्राज्यिक व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान, वस्तुओं के विक्रय या क्रय पर कर लगाने, या कर लगाने का प्राधिकार देने वाली राज्य विधियों को मान्यता देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय"

यह विधेयक अन्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान में वस्तुओं के विक्रय या क्रय पर कर लगाने अथवा कर लगाने का प्राधिकार देने वाली राज्य विधियों के मान्यीकरण से सम्बन्ध रखता है ।

माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि उच्चतम न्यायालय ने ६ सितम्बर, १९५५ को बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य तथा अन्य के मामले में यह निर्णय दिया था कि जब तक संसद् अनुच्छेद, २८६ के खण्ड २ के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करके अन्यथा उपबंन्धित न करे, तब तक कोई राज्य अन्तर्राज्यिक वाणिज्य और व्यापार के दौरान में हुये क्रय और विक्रय पर कोई कर नहीं लगा सकता । या कर लगाने का प्राधिकार नहीं दे सकता । यह भी कहा गया है कि बम्बई राज्य बनाम 'दि यूनाइटेड मोटर्स (इंडिया) लिमिटेड ' के मामले में यद्यपि बहुमत से इसके विपरीत निर्णय हुआ तथापि उसे दृढ़ सिद्धान्त अथवा प्राधिकार पर आधारित नहीं कहा जा सकता है ।

संविधान के लागू होने के पूर्व बिक्री कर निश्चित करने का दायित्व वस्तु बिक्री अधिनियम में दी गई बिक्री की परिभाषा के आधार पर निश्चित की गई थी । कोई राज्य किसी सौदे पर तब कर लगा सकता था जब यह निर्धारित हो जाये कि बिक्री साधारण विधि के अन्तर्गत उस राज्य में हुई । इससे व्यापारियों को असंख्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । ऐसे मामले हुये जिन में कि एक ही सौदे पर एक से अधिक राज्यों ने कर लगाया ।

इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये जैसा कि आप को स्मरण होगा संविधान के अनुच्छेद २८६ (१) की व्याख्या के अन्तर्गत एक उपबन्ध रखा गया तथा यह लिखा गया कि उपखण्ड (१) के प्रयोजनों के लिये कोई क्रय अथवा विक्रय उस राज्य में हुआ समझा जायेगा जिस में ऐसे क्रय या विक्रय के परिणाम स्वरूप उसी राज्य में उपभोग के लिये वस्तुओं का भुगतान उस राज्य में किया गया है चाहे फिर वस्तु विक्रय सम्बन्धी साधारण विधि के अधीन उन वस्तुओं का स्वत्त्व हस्तांतरण ऐसे क्रय या विक्रय के कारण किसी दूसरे राज्य में क्यों न हो चुका हो ।

इससे यह भी स्पष्ट हो जायेगा कि संविधान का यह उद्देश्य नहीं था कि वह अन्तर्राज्यिक सौदों में बिक्री कर के सम्बन्ध में एक त्रुटि रहने दे । यदि ऐसी त्रुटि रहने दी जाती तो बहुत से ना समझ व्यापारी अनन्तर्राज्यिक सौदों को भी अन्तर्राज्यिक सौदे दिखलाकर ऐसे सौदों पर बिक्री कर से मुक्ति प्राप्त कर लेते ।

बम्बई राज्य बनाम 'यूनाइटेड मोटर्स (इंडिया) लिमिटेड' तथा अन्य वे मामले में उच्चतम न्यायालय ने ३० मार्च, १९५३ को यह निर्णय किया था कि उन सभी सौदों में, जिन में कि वस्तुयें बाहर के राज्य से उस राज्य में लाई गई जहां कि उनका भुगतान किया गया, केवल उन को छोड़ कर जिन में कि उनका राज्य से पुनर्निर्यात किया जाना था, उक्त व्याख्या के क्षेत्र में आ जायेंगे तथा जिस राज्य में वस्तुओं का भुगतान हो वह राज्य उन पर कर लगा सकेगा ।

पश्चिमी बंगाल को छोड़ कर जिस ने विपरीत मत दिया था, दूसरे राज्यों ने इस प्रकार के सौदों पर बाहरी व्यापारियों पर कर लगाने की कार्यवाही की । इससे बहुत प्रशासनिक तथा वैधानिक

---

†मूल अंग्रेजी में

कठिनाइयां उत्पन्न हुई तथा व्यापार के लिये रुकावट पैदा हो गई, क्योंकि व्यापारी को, जो कि कई राज्यों से वाणिज्य संपर्क रखता है, पंजीयन, विवरण तथा निर्धारण इत्यादि के सम्बन्ध में आवश्यक विधि कार्यों के लिये विभिन्न राज्यों की बिक्री कर विधियों को जानना होता था ।

मैंने विभिन्न राज्यों में प्रचलित बिक्री कर प्रणाली के आधार पर उपलब्ध सूचना देने वाला एक विवरण परिचालित किया है । इससे विभिन्न राज्यों में तत्सम्बन्धी अन्तर स्पष्ट हो जायेगा ।

इस बात को ध्यान में रखते हुये बाहरी व्यापारियों से बिक्री कर लिये जाने के विरुद्ध कई शिकायतें थीं । निस्संदेह कई राज्यों के व्यापारियों ने इसके विरुद्ध दृढ़ आन्दोलन किया । राज्य करारोपण के विरुद्ध कई व्यापार मंडलों तथा व्यापार संघों के अभ्यावेदन केन्द्रीय सरकार को भी प्राप्त हुये हैं ।

इसलिये उस निर्णय तथा व्यापार व उद्योग की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों के परामर्श से अन्तरिम योजना बनाई जिस में यह उपबन्ध किया गया कि किसी राज्य विशेष के व्यापारी से जो कि अन्य राज्यों के साथ व्यापार करता है, कर लगाने वाले राज्य के सम्मुख लेखा प्रस्तुत करने या कर निर्धारण तथा अपील के प्रयोजन के लिये उस राज्य में उपस्थित होने के लिये नहीं कहा जायेगा जिस में कि कर लगाया जाये अर्थात् वस्तु का भुगतान किया जाये और यह कि कर लगाने वाले राज्य के पदाधिकारी उस राज्य के केन्द्रीय स्थानों पर जायेंगे जहां कि व्यापारी रहता हो । इससे व्यापारियों को कुछ राहत मिली ।

बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लिमिटिड बनाम बिहार राज्य आदि की मैं इससे पूर्व चर्चा कर चुका हूं । इस मामले पर ६ सितम्बर, १९५५ को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार राज्य सरकारों के लिये अन्तर्राज्यिक सौदों पर विक्रय कर लगाना तथा वसूल करना अवैध हो जाता है । इस निर्णय के परिणाम-स्वरूप इस सम्बन्ध में भी सन्देह उत्पन्न हुये थे कि ६ सितम्बर, १९५५ से पूर्व, अर्थात् उस तारीख से पूर्व जिस दिन कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था, राज्यों द्वारा पहले से ही जो कर लगाये जा चुके हैं और वसूल किये जा चुके हैं क्या वे वैध हैं । इस बात पर कुछ मत-भेद था ।

परन्तु कुछ राज्य सरकारों ने हम से प्रार्थना की थी कि इस विषय सम्बन्धी तमाम शंकाओं का विधान द्वारा समाधान करने के लिये और वे पहले से जो कर लगा चुके हैं और वसूल कर चुके हैं उन्हें मान्यता देने के लिये कार्यवाही की जाय अन्यथा उनकी राजस्व और आय व्ययक सम्बन्धी स्थिति बिगड़ जायगी । इन में से कुछ राज्यों को वास्तव में रकम वापस करने के लिये आवेदन पत्र और कुछ मामलों में तो पहले से संग्रहित करों की वापसी के लिये मुकदमों के नोटिस प्राप्त हुये थे और इन में से कुछ नोटिसों की समय सीमा की समाप्ति का भी भय था अर्थात् वास्तविक रूप से मुकदमे दायर किये जाने का भय था ।

हमें सभी राज्यों से सूचना नहीं मिली परन्तु १३ राज्यों से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार अन्तर्राज्यिक सौदों पर विक्रय कर की रकम तीन करोड़ रुपये से अधिक है । इसलिये यदि हम अनुमान लगायें तो सभी राज्यों में ४ अथवा ५ करोड़ रुपये के लगभग कुल कर इकट्ठा हुआ होगा ।

राज्यों ने आन्तर्राज्यिक सौदों पर अब तक जो विक्रय कर वसूल किया है यदि उन से वह सब वापस करने की मांग की गई होती तो इस से स्पष्ट रूप से उनके संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता और विकास की जिन विभिन्न योजनाओं को उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है उन योजनाओं के वित्त प्रबन्ध के लिये उनकी योजनायें उलट जातीं । परन्तु केवल यही कि एक विचार नहीं है । इन वसूलियों की वापसी की स्थिति में वे विक्रेता जो अपने उपभोक्ताओं से पहले ही विक्रय कर ले चुके हैं उस सारी राशि को अपने पास रख सकते थे क्योंकि ऐसा कोई भी विश्वस्त ढंग नहीं है जिस से कि इन पूरे चार वर्षों में कर देने वाले अन्तिम व्यक्ति की खोज लगाई जा सके । इसलिये रकम वापिस करने से न तो राज्य सरकारों को और न ही उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचता बल्कि केवल बीच के व्यक्तियों को ही लाभ होता ।

[श्री सी० डी० देशमुख]

कानपुर में विभिन्न वाणिज्य मंडलों के प्रतिनिधिमंडलों से अपनी बात चीत के दौरान में मुझे बताया गया था कि ६ सितम्बर, १९५५ के द्वितीय विनिर्णय को देखते हुये, जिन पक्षों ने उद्योगपतियों से सामान खरीदा था और विक्रय कर दिया था, उन्होंने व्यापारियों द्वारा की गई अदायगियों में से सम्बन्धित राशि की कटौती करना आरम्भ कर दिया है और तब व्यापारियों ने प्रार्थना की थी कि विक्रय कर नीति को, विशेषत: वापसी की राशियों के सम्बन्ध में, जितनी शीघ्र सम्भव हो सके तय किया जाये। इसलिये मेरे विचार में सामान्यत: कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा वसूल किये गये कर को वापस करने की अपेक्षा सरकार द्वारा कोई शीघ्र ही निर्णय किये जाने पर उचित ही जोर दिया गया था। हमें यह मंत्रणा दी गई थी कि विक्रय कर की वापसी के लिये जो मुकदमे के नोटिस दिये जा चुके हैं उन की समय सीमा समाप्त होने से पहले, पहले से की गई वसूली को नियमबद्ध करने के लिये कार्यवाही करना वांछनीय होगा क्योंकि यदि मुकदमों के नोटिसों को लम्बित कार्यवाहियों की अवस्था तक पहुंचने दिया गया तो कुछ वैद्य अड़चने हो सकती हैं और यदि इन कार्यवाहियों पर न्यायालयों ने निर्णय घोषित कर दिये और डिग्रियां दे दी तो स्थिति और भी जटिल हो जायेगी। इस कारण अन्तर्राज्यिक सौदों पर विक्रय कर के सम्बन्ध में पहले से की गई वसूलियों को नियमित करने के लिये कार्यवाही करना अनिवार्य समझा गया। हमें यह भी मंत्रणा दी गई कि संविधान के अनुच्छेद २८६ (२) के अधीन और संघ सूची की प्रविष्टि ४२ के अधीन भूतलक्षी प्रभाव देकर विधान बनाने के लिये संसद् को विधान बनाने का अधिकार प्राप्त है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि संविधान के किसी अनुच्छेद के अधीन कोई कर किसी विशिष्ट रीति से ही आरोपित किया जा सकता है और उस रीति का उल्लंघन होता है तो क्या संविधान में संशोधन किये बिना संसद् उसे ठीक कर सकती है ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : सरकार का यही विचार है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ऐसा हो सकता है ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : जी, हां।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** (हुगली) : ऐसा नहीं किया जा सकता।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : यह एक ऐसा विषय है जिस पर लोक-सभा में वाद-विवाद हो सकता है। मैं यह बता दूं कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में भी इस तथ्य की ओर संकेत था कि पहले से वसूल किये गये करों की वापसी से राज्यों की अर्थ व्यवस्था बिगड़ सकती है और उच्चतम न्यायालय ने इसी बात का उत्तर देते हुये कहा था कि उस स्थिति में अपील संसद् से की जानी चाहिये जिसे संविधान के अनुच्छेद २८६ (२) के अधीन उपयुक्त विधान बनाने के पर्याप्त शक्ति इस को प्रासंगिक अभ्युक्ति भी समझा जा सकता है क्योंकि यह चर्चा के लिये प्रस्तुत नहीं हुई थी; परन्तु इस से यह पता चलता है कि इस मामले के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण क्या है।

इस कारण यही वे परिस्थितियां थी जिन में सरकार ने निर्णय किया था कि राज्यों के राजस्व की रक्षा की जानी चाहिये और पहले से लगाये गये और वसूल किये गये करों की वैधता के सम्बन्ध में सभी शंकाओं का तुरन्त ही समाधान किया जाना चाहिये। तदनुसार राष्ट्रपति ने ३० जनवरी, १९५६ को उल्लिखित कालावधि में पिछले दिनों में लगाये गये करों और उनकी वसूली को मान्यता देने के लिये एक अध्यादेश प्रख्यापित किया। इसी अध्यादेश को विनियमित करने के लिये यह विधेयक पुर:स्थापित किया गया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** (चित्तौड़): हम सब इसका विरोध करते हैं।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : यह विधेयक अवैध है और संविधान के विरुद्ध है। बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लिमिटिड का मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया था इसलिये वहां पर क्या स्थिति थी मैं आपको बता सकता हूं। बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी कर से उन्मुक्ति का दावा नहीं करती क्योंकि इस का नाम ही 'इम्यूनिटी' है। इस कम्पनी द्वारा औषधियां और कुछ अन्य रसायन तैयार किये जाते थे। इसका कारखाना कलकत्ता के निकट था और कलकत्ता में इसका पंजीबद्ध कार्यालय था। इसका बिहार राज्य में कोई गोदाम, कार्यालय, एजेंट और प्रबन्धक नहीं था। इस बात को उच्चतम न्यायालय के निर्णय में स्वीकार किया गया है। बिहार के कुछ व्यक्तियों ने इन्हें रेल द्वारा सामान भेजने के लिये लिखा था। रेलवे द्वारा सामान मंगवाने का अर्थ है कि उपभोक्ता को सामान का भुगतान किया जाता है अब बिहार के विक्रय कर के अधिकारियों ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि कलकत्ता की इस कम्पनी को, बिहार विक्रय कर अधिनियम के अधीन कर देना होगा क्योंकि विक्रय के कारण वह सामान बिहार में उपभोग के लिये आया है। बिहार के कर निर्धारण पदाधिकारी ने कम्पनी को यह नोटिस दिया कि वह अपने आप को बिहार राज्य में व्यापारी के रूप में पंजीबद्ध कराये और अपना हिसाब किताब प्रस्तुत करे, बिहार के कोषागार (ट्रैजरी) में कर जमा कराये। पदाधिकारी ने मुकदमा चलाने और अन्य बातों की धमकी भी दी थी। आपत्ति उठाने के लिये यह केवल एक प्रविधिक या वैधानिक बात नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मान लीजिये कोई कम्पनी दिल्ली में हो और वह त्रावनकोर-कोचीन में अपना माल भेजे और त्रावनकोर-कोचीन के विक्रय कर के अधिकारी दिल्ली की कम्पनी को अपनी लेखा सम्बन्धी पुस्तकें प्रस्तुत करने अपने आप को पंजी बद्ध कराने और मुकदमा चलाये जाने की धमकी दे तो यह कहां तक उचित होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब केवल इस बात पर विचार करना है कि क्या इसे भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकता है ?

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : वित्त मंत्री ने इस बात को जितने सरल ढंग से लोक-सभा के समक्ष रखा है यह बात उतनी सरल नहीं है। हम यह कहते हैं कि भारत को, भारत की आर्थिक समृद्धि और भारत के आर्थिक विकास के लिये एक इकाई मानना चाहिये। अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य पर बोझ लादने के लिये प्रादेशिक करों की कोई भी योजना नहीं होनी चाहिये। इसलिये यदि किसी बोझ डालने या कर लगाने का प्रश्न हो तो संसद् को अवश्य ही विधान बनाना चाहिये।

यदि आप अनुच्छेद २८६ (१) की व्याख्या देखें तो इसमें कहा गया है :

> "उपखण्ड (१) के प्रयोजनों के लिये कोई क्रय या विक्रय उस राज्य में हुआ समझा जायेगा जिसमें ऐसे क्रय या विक्रय के परिणाम स्वरूप उसी राज्य में उपभोग के लिये वस्तुओं का भुगतान उस राज्य में किया गया है चाहे फिर वस्तु-विक्रय सम्बन्धी साधारण विधि के अधीन उन वस्तुओं का स्वत्व हस्तांतरण ऐसे क्रय या विक्रय के कारण किसी दूसरे राज्य में क्यों न हो चुका हो।"

इसलिये उच्चतम न्यायालय ने संकेत किया है कि अनुच्छेद २८६ (१) की व्याख्या को अनुच्छेद २८६ (२) पर भी लागू करना गलत होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरा ख्याल यह है कि इस व्याख्या के अन्तर्गत यदि भुगतान किया जाता तो बंगाल सरकार को विक्रय पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है और केवल बिहार सरकार को ही कर लगाने का अधिकार प्राप्त है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय]

उपखण्ड को व्याख्या सहित पढ़ने से मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि यदि राज्य के भीतर ही विक्रय हुआ हो तो साधारण विधि के अधीन बंगाल सरकार ही उस पर कर लगा सकती है परन्तु व्याख्या के अधीन इसे बिहार में किया गया समझा जायेगा और केवल बिहार सरकार ही कर लगा सकती है ।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : इस से यह अभिप्राय नहीं निकलता । बाहरी विक्रय पर कर न लगाया जा सकता । इसी कारण ऐसा कहा गया है । परन्तु वह व्याख्या अनुच्छेद २८६ के उपखण्ड (२) पर लागू नहीं की जानी चाहिये ।

बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी के मुकदमे के निर्णय में कहा गया है कि संविधान के अधीन अन्तर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य के दौरान में विक्रय पर किसी भी प्रकार के कर लगाने की राज्य पर पूर्ण पाबन्दी है । इसी कारण बिहार बिक्री कर अधिकारियों को अन्तर्राज्यिक विक्रय या क्रय पर कर लगाने की मनाही की गई थी । परिणाम स्वरूप राज्यों द्वारा प्रख्यापित बिक्री कर की सभी विधियां अन्तर्राज्यिक व्यापार पर कर लगाने के सम्बन्ध में अवैध हैं ।

अब संसद् इन अवैध बातों को विधिबद्ध बनाने का प्रयत्न कर रही है । परन्तु संसद् ऐसा नहीं कर सकती, न्यायाधिपति दास और उच्चतम न्यायालय के अधिकांश न्यायाधिशों ने यह कहा था कि संसद् को अनुच्छेद २८६ (२) के अन्तर्गत प्रतिबन्ध दूर करने का अधिकार है ताकि राज्य सातवें परिशिष्ट की सूची २ की प्रविष्टि ५४ के अधीन कर लगा सकें । संसद् अपनी इच्छानुसार जो चाहे विधि बना सकती है परन्तु वह अनुच्छेद २८६ (२) की आड़ में इस विधि को अधिनियमित नहीं कर सकती है । उच्चतम न्यायालय के निर्णय में कहा गया है कि अनुच्छेद २८६ (२) के अधीन संसद् को किसी भी बन्दिश को दूर करने का अधिकार प्राप्त है । एक बार इस बन्दिश को हटा दिया गया तो संसद् विधान नहीं बना सकती परन्तु राज्य विधान मण्डल विधान बना सकते हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : करारोपण विधि के सम्बन्ध में यह नहीं कहा गया है कि आप इसे भूतलक्षी प्रभाव नहीं दे सकते । यदि हम यह कल्पना करें कि इस संसद् को भूतलक्षी प्रभाव देकर विधि बनाने का अधिकार है और इसीलिये खण्ड २ के अधीन यह कहा गया है कि यह पांच वर्ष पहले लागू हुआ समझा जायेगा ।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि आप कुछ अवैधानिक बातों को वैध बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं और संसद् ऐसा नहीं कर सकती है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संसद् अनुच्छेद २८६ (२) के अधीन विधान बना सकती हैं और बिक्री कर लगाने के लिये राज्य विधान मंडलों को विधि पारित करने का अधिकार दे सकती है । राज्य विधान मण्डलों को यह कहना होगा कि विधि का भूतलक्षी प्रभाव होगा ।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : कृपया अनुच्छेद २८६ को देखें । इसी के आधीन उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद २८६ (२) के अन्तर्गत एक बन्दिश लगती है और संसद् चाहे तो इसे दूर कर सकती है, परन्तु संसद् अनुच्छेद २८६ (२) के अधीन विधान नहीं बना सकती । संसद् केवल राज्य विधान-मंडल पर से पाबन्दी हटा सकती है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संसद् यह भी कह सकती है कि बिहार विधि को सात वर्ष पूर्व पारित किया गया समझा जाय और बिहार विधि का अब विस्तार किया जायगा ।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : अनुच्छेद २८६ (२) की भाषा से केवल यह तात्पर्य निकलता है कि राज्य की विधि करारोपण को प्राधिकृत करेगी, संसद् नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मान लीजिये कि बिहार में बिक्री कर सम्बन्धी कोई विधि नहीं है और वे करारोपण करना चाहते हैं तो इस सम्बन्ध में आप विधि पारित करने के लिये क्या मंत्रणा देंगे।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : तो बिहार सरकार को संसद् से कहना होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : और संसद् एक खण्ड वाली विधि अधिनियमित करेगी और बिहार राज्य विधान मंडल को प्राधिकृत करेगी। यही बात है न ?

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : या किसी भी विधान मंडल को।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब इस विधेयक को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम भाग यह कि बिहार विधान मंडल को विधि पारित करने की क्षमता है और द्वितीय भाग यह कि इसका भूतलक्षी प्रभाव होगा ।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : परन्तु ऐसा विधेयक उच्चतम न्यायालय के निर्णय का शून्यीकरण करता है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संसद, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के शून्यन के लिये क्षमताशाली है।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि अनुच्छेद २८६ (२) द्वारा जिस प्रकार का विधान अपेक्षित है, यह वैसा विधान नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तब माननीय सदस्य शब्दों का सुझाव दे सकते हैं।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं बल्कि मैं तो यह कहना चाहता हूं कि ऐसा करना संसद् की शक्ति से परे होगा क्योंकि अनुच्छेद २८६ के अधीन संसद् केवल बन्दिश हटा सकती है। अनुच्छेद २८६ (२) की अवज्ञा में पारित हुये सभी राज्य विधानों को इस अनुच्छेद की आड़ ले कर मान्य नहीं कह सकते। यह उचित न होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उच्चतम न्यायालय के मुकद्मे में विषय वस्तु क्या थी ?

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : प्रश्न यह था कि अन्तर्राज्यिक व्यापार पर राज्यों को बिक्री कर लगाने का प्राधिकार देने के लिये क्या २८६ (१) की व्याख्या को २८६ (२) पर भी लागू किया जा सकता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जब तक संसद् कोई विधि न बनाये किसी राज्य को अन्तर्राज्यिक व्यापार पर बिक्री कर लगाने का प्राधिकार नहीं है। यही निर्णय दिया गया था।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : वह निर्णय, जैसा कि मैंने आप को पढ़कर सुनाया यह है कि जब तक कि संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित न करे, कोई राज्य विक्रय और क्रय पर कोई कर नहीं लगा सकता जबकि ऐसा विक्रय अथवा क्रय अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान में हुआ हो चाहें विक्रय अथवा क्रय धारा २८६ (१) (क) की व्याख्या के अन्दर आता हों या नहीं।

इस प्रकार राज्य सरकार को शक्ति प्रदान तो की गई है परन्तु उसका प्रयोग तभी किया जा सकेगा जब संसद् इस अड़चन को दूर कर दे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : परन्तु यह एक वाद-पद था कि क्या उसे भूतलक्षी प्रभाव दिया जाना चाहिये ।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : मैं यह संकेत नहीं कर रहा हूं कि उसका सम्बन्ध इस विधेयक से था। धारा २८६ (१) और (२) पर विचार करते समय उन्हें संसद् और राज्य विधान मंडलों के तत्सम्बन्धी क्षेत्राधिकारों पर विचार करना पड़ा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य का अभिप्राय यह है कि उस कानून को वैध कहा जाना चाहिये था। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यह समझा जाय कि बिहार विधान मंडल को सदा ही ऐसे कानून पास करने का अधिकार प्राप्त था।

†**श्री एन० सी० चटर्जी :** उसकी भी अनुमति नहीं है। धारा में लिखा है कि आप प्रतिबन्ध (बन) हटा सकते हैं।

†**श्री सी० डी० देशमुख :** अनुच्छेद २८६ में 'प्रतिबन्ध' (बैन) शब्द का उल्लेख नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह तो ठीक है कि यदि संसद् आज वैसा कानून पास कर दे तो बिहार विधान मंडल अगले दिन बिक्री कर कानून पास कर सकता है। परन्तु वह उस को भूतलक्षी प्रभाव भी तो दे सकती है। यदि ऐसा है तो आवश्यकता केवल इस बात की है कि उस खण्ड में रूप भेद किया जाय।

†**श्री एन० सी० चटर्जी :** नहीं श्रीमान् ! ऐसा नहीं है। मैं अपनी बात और अधिक स्पष्ट करूंगा। अनुच्छेद २८६ (२) राज्यों की करारोपण शक्ति पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगती हैं। जब तक उस प्रतिबन्ध को न हटा दिया जाता यह नहीं किया जा सकता।

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर) :** वही तो किया जा रहा है।

†**श्री एन० सी० चटर्जी :** मैं आशा करता हूं कि माननीय विधि कार्य मंत्री ने उस निर्णय को ध्यान स पढ़ा होगा। यदि ऐसा है तो उन्हें अनुच्छेद २८६ (२) की भावना समझनी चाहिये। जब तक संसद् प्रतिबन्ध न हटा दे कोई भी राज्य विक्रय या क्रय पर कर नहीं लगा सकता। बिहार अधिनियम के जिन उपबन्धों के अन्तर्गत कर वसूल किया जा रहा है वे अवैध घोषित किये गये थे। संसद् यही कर सकती है कि प्रतिबन्ध को हटा द ताकि करारोपण प्राधिकृत हो जाय। परन्तु आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप तो यह कह रहे हैं कि पुरान वसूल किये गये करों को वैध समझा जायगा। सम्भवत: वह धनराशि लगभग ३ करोड़ रुपये की बताई गई है।

†**श्री सी० डी० देशमुख :** वह धन राशि १३ राज्यों की बताई गई थी।

†**श्री एन० सी० चटर्जी :** वह धन राशि कितनी भी हो, मेरा निवेदन यह है कि ऐसा करना अनुचित है। अनुच्छेद २८६ के अनुसार संसद् को वैसा करने का अधिकार नहीं है।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी :** मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि यह कानून असंवैधानिक है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** कैसे ?

†**श्री के० के० बसु :** हमें अनुच्छेद २४८ के उपबन्ध को देखना होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं जानना चाहता हूं कि औचित्य प्रश्न क्या है ?

†**श्री के० के० बसु :** (डा थमण्ड हार्बर) वह औचित्य प्रश्न निराधार है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी :** जो कानून हम यहां बना रहे हैं वह सभा की शक्ति के परे की चीज है। इसक पास करने का अर्थ कार्य पूर्त्ति पर मान्यीकरण के सिद्धान्त को स्वीकार करना होगा। आय किसी अनियमित चीज को वैध तो बना सकते हैं पर प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: कर नहीं लगा सकते।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** हम राज्यों को प्राधिकार दे रहे हैं।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी :** नहीं, इस कानून का अर्थ यह है कि जो कर आप स्वयं नहीं लगा सकते उसे उपबन्ध के अन्तर्गत लगा रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आप इस कानून को नहीं बना

†मूल अंग्रेजी में

सकते । उसका भूतलक्षी या भावी प्रभाव होना कोई महत्व नहीं रखता; मुख्य बात यह है कि जो आप कर रहे हैं वह करारोपण ही है ।

फिर संविधान के अनुच्छेद २४८ में लिखा है कि संसद् को ऐसे किसी विषय के सम्बन्ध में, जिस का "मसवर्ती सूची" अथवा "राज्य सूची" में उल्लेख न हो, कानून बनाने की अनन्य शक्ति है । इसलिये संसद् उन्हीं अवशिष्ट विषयों के सम्बन्ध में कानून बना सकती है जिन का "राज्य सूची" में उल्लेख न हो । परन्तु विक्रय या क्रय पर करारोपण का विषय तो "राज्य सूची" की प्रविष्टि ५४ के अन्तर्गत आ जाता है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इस बात का अधिक पिष्टपेषण न करें ।

†**श्री के० सी० सोधिया** (सागर) : मेरा निवेदन है कि जब तक हम कानूनों को ही वैधता न प्रदान करें हम उन से उत्पन्न बकाया को वैधता प्रदान नहीं कर सकते ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी :** मैं एक बात और कहना चाहता हूं, परन्तु यदि सभा को जल्दी हो रही हो तो मैं उसे फिर कभी उठाऊंगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** जल्दी का प्रश्न नहीं है । मैं एक ही तर्क बार बार नहीं सुनना चाहता । यदि आप कोई नई बात कहना चाहते हों तो कह सकते हैं ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी :** मैं यह कहना चाहता हूं कि यह संविधान के अनुच्छेद १९९ के अन्तर्गत एक प्रकार का धन विधेयक है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य कहना चाहते हैं कि उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना पुर:स्थापित नहीं किया जा सकता ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी :** नहीं, श्रीमान्! यह धन विधेयक उस प्रकार का नहीं है जिन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद ११० में है, वरन् उस प्रकार का है जिन का उल्लेख धारा १९९ में है । इसको केवल राज्य के विधान मंडल में ही पुर:स्थापित किया जा सकता है । आप इसे यहां तभी ला सकते हैं जब सब राज्यों में राष्ट्रपति का शासन स्थापित कर दें । इसलिये मेरा निवेदन यह है कि चूंकि यह अनुच्छेद २४८ के उपबन्ध तथा प्रविष्टि ५४ के प्रतिकूल है अस्तु इस सभा को इस कानून पर विचार करने का अधिकार नहीं है ।

†**श्री के० सी० सोधिया :** मेरी आपत्ति भी नोट करने की कृपा करें कि जब तक हम कानूनों को ही वैधता प्रदान न करें तब तक हम उनके अन्तर्गत बकाया को वैधता प्रदान नहीं कर सकते ।

†**महान्यायवादी (श्री एम० सी० सीतलवाद)** : अभी इस आधार पर एक औचित्य प्रश्न उठाया गया है कि प्रस्तावित विधेयक का अधिनियमन संसद् की शक्तियों के क्षेत्र के परे की चीज होगी । मैं इससे सहमत नहीं हूं । संविधान के अनुसार संसद् को ऐसी शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों द्वारा अन्तर्राज्यिक विक्रय पर बिक्री कर लगाये जाने की व्यवस्था करे । प्रस्तावित विधेयक द्वारा संसद् यही करना चाहती है । कुछ राज्यों ने अन्तर्राज्यिक विक्रय पर पहले ही बिक्री कर लगा दिया था । उसे प्राधिकृत करने के लिये ही संसद् एक कानून बनाना चाहती है । इसलिये अनुच्छेद २८६ (२) के अनुसार संसद् ठीक ही कर रही है । बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी के मामले में न्यायाधिपति श्री दास (जो अब मुख्य न्यायाधिपति हैं) ने कहा था कि उपखण्ड (२) में स्पष्ट है कि संसद् प्रतिबन्ध को हटा सकती है और उसे हटाय जान का रूप कुछ भी हो सकता है अर्थात् उसे पूर्ण रूपेण भी हटा सकती है और आंशिक रूप में भी । इसलिये, मैं समझता हूं कि इस में तनिक भी संदेह नहीं है कि संसद् को प्रस्तावित कानून के बनाने का अधिकार प्राप्त है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एम० सी० चटर्जी :** क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि राज्य द्वारा कानून बनाये जाने के पूर्व संसद् का प्रतिबन्ध हटा देना आवश्यक है ?

†**श्री एम० सी० सीतलवाद :** वह प्रश्न उस मुकद्दमे में उत्पन्न नहीं हुआ । परन्तु यदि संसद् किसी कार्य को भविष्य के लिये कर सकती है तो सामान्य नियम के अनुसार उसे भूतलक्षी प्रभाव भी दे सकती है । उस अनुच्छेद में ऐसी कोई बात नहीं है जो उसे वैसा करने से रोके ।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** (तिरुपुर) : क्या आप समझते हैं कि अनुच्छेद २८६ (२) विधान को भूतलक्षी प्रभाव भी प्रदान करता है ?

†**श्री एम० सी० सीतलवाद :** वह भूतलक्षी प्रभाव को नहीं रोकता । सामान्य नियम यह है कि जब तक विधान शक्ति ऐसी भाषा में प्रदान न की गई हो जिस में विधान को भूतलक्षी प्रभाव दिये जाने की मनाही की गई हो तब तक वह शक्ति भावी और भूतलक्षी दोनों प्रभाव वाले विधान बनाने के सम्बन्ध में समझी जायेगी ।

†**श्री के० सी० सोधिया :** क्या यह विधान उस प्रकार का है जिस का अवेक्षण अनुच्छेद २८६ (२) में किया गया है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** महान्यायवादी ने यही तो संकेत किया है ।

पंडित ठाकुरदास भार्गव (गुड़गांव)—उठे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या कोई नई बात कहना चाहते हैं ?

†**पंडित ठाकुरदास भार्गव :** मैं यह नहीं कह सकता कि वह नई है या नहीं, परन्तु मैं अनुच्छेद २८६ के प्रभाव पर विचार करने के लिये अनुरोध करूंगा । जब हम ने अनुच्छेद २८६ पास की थी तो उस समय संविधान के प्रारूप में एक खण्ड १६ था जिस में यह लिखा था कि समस्त अन्तर्राज्यिक व्यापार कर मुक्त होगा । इसलिये आप को इस प्रश्न पर उस पृष्ठभूमि के अनुसार विचार करना है ।

राज्यों को अन्तर्राज्यिक विक्रय और क्रय के सम्बन्ध में बिक्रीकर लगाने से वंचित किया गया था । अनुच्छेद २८६ (क) और (ख) के सम्बन्ध में एक व्याख्या दी गई है । जहां तक अनुच्छेद २८६ (२) का सम्बन्ध है, कोई व्याख्या नहीं की गई है जिस का अर्थ यह है कि अन्तर्राज्यिक व्यापार पर राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का कर लगाये जाने का पूर्ण प्रतिबन्ध है । अब इस कानून द्वारा हम क्या करने जा रहे हैं ? विधेयक में यह उल्लेख कहीं भी नहीं है कि भविष्य के लिये इस प्रतिबन्ध को हटाया जा रहा है । उसमें इतना ही कहा गया है कि वसूल किये गये कर वापस नहीं किये जायेंगे और उन्हें वसूल किया गया समझा जायगा ।

कानून का एक सिद्धान्त यह भी है कि हम जो प्रत्यक्षतः नहीं कर सकते उसे अप्रत्यक्षतः भी नहीं कर सकते । जब संसद् ऐसे अन्तर्राज्यिक व्यापार पर कर नहीं लगा सकती तो वह ऐसे करों के लगाये जाने को वैध भी नहीं कर सकती । इसका अर्थ यह है किसी भी राज्य द्वारा वसूल किया गया कर एक अराष्ट्रीय कार्य है । भारत की एकता का क्या भाव है यदि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ व्यापार पर कर लगाता है ? अस्तु देश की एकता की रक्षा के लिये ही यह उपबन्ध किया गया है कि कोई भी राज्य दूसरे राज्य के साथ व्यापार पर कर न लगा सके ।

संसद् को सर्वप्रथम इस पहलू पर विचार करना चाहिये । यह ठीक है कि यदि किसी कानून को भविष्य के लिये बनाया गया है तो उसको भूतलक्षी प्रभाव भी दिया जा सकता है और हमने अभी वैसा एक अधिनियम पारित किया भी था परन्तु कानून और नैतिकता दो भिन्न वस्तुयें हैं । जिस समय राज्यों ने बिक्री कर अधिनियम पास किये थे उसी समय संसद ने अपनी शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं किया

---

†मूल अंग्रेजी में

था ? यदि हम यह कहें कि संसद् पहले भी उस शक्ति का प्रयोग कर सकती थी तो यह कानून के साथ खिलवाड़ करना होगा। पहले भी ऐसी चीजें हो चुकी हैं जब कि अवैध करों के वसूल किये जाने के पश्चात् सरकार ने उन्हें वैधता प्रदान की।

यह ठीक है कि वसूल किये गये कर की वापिसी कठिन है परन्तु साथ ही यदि यह कहना सम्भव भी होता है कि शक्तियां भूतलक्षी प्रभाव के लिये ली जा सकती हैं तो भी मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के कानून में उसका निर्वाचन उसको वैधता देने के पक्ष में नहीं वरन् उसके विपरीत होना चाहिये। अस्तु मैं चाहता हूं कि हमें ऐसी चीज को वैधता देने के पक्ष में नहीं होना चाहिये जो सर्वथा अवैध है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य श्री एन० सी० चटर्जी द्वारा यह औचित्य प्रश्न उठाया गया था कि संविधान के अनुच्छेद २८६ (२) के अन्तर्गत इस संसद् को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है कि वह राज्यों द्वारा अन्तर्राज्यिक व्यापार पर बिक्री कर लगाने के लिये पास किये गये कानूनों को वैधता प्रदान करे। उसकी पुष्टि करने के लिये उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय भी उद्धृत किया गया जो कि बंगाल इम्मूनिटी कम्पनी के मामले में दिया गया था। परन्तु वह इस प्रकरण में ठीक नहीं बैठता।

यह ठीक है कि जब तक संसद् ने राज्यों को अन्तर्राज्यिक व्यापार पर कर लगाने का प्राधिकार नहीं दिया था बिहार का कानून पास नहीं किया जाना चाहिये था। परन्तु यह विधेयक उस कानून को वैध बनाने के लिये ही तो पारित किया जा रहा है। यह कहा गया कि यह सभा इस कानून को भूतलक्षी प्रभाव देने में समर्थ नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। महान्यायवादी ने ठीक ही कहा है कि जब तक कोई प्रतिबन्ध न लगाया गया हो संसद् कानूनों को भूतलक्षी प्रभाव प्रदान कर सकती है।

मैं इस तर्क के समर्थन में संविधान के अनुच्छेद २० का उल्लेख करूंगा जिस में लिखा है कि :

"कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिये सिद्ध दोष नहीं ठहराया जायेगा जब तक कि उसने अपराधारोपित क्रिया करने के समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो, और न उससे अधिक दंड का पात्र होगा जो उस अपराध के करने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन दिया जा सकता था।"

इसलिये, उस अपराध के लिये संसद् द्वारा किसी भी कानून को भूतलक्षी नहीं किया जा सकता। परन्तु प्रस्तुत विषय में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। संविधान के अनुच्छेद २८६ (२) के अन्तर्गत संसद् की शक्ति के प्रयोग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। यदि संसद् आज किसी राज्य या राज्यों को बिक्री कर लगाने का प्राधिकार दे सकती है तो वह उस प्राधिकार को भूतलक्षी प्रभाव भी दे सकती है। इसलिये यह जो विधेयक है उसमें कोई अनौचित्य नहीं है। जहां तक उस धारा की भाषा का सम्बन्ध है मैं तो उसका अर्थ यही लगाता हूं कि यह सभा राज्यों को करारोपण के प्राधिकार को भूतलक्षी प्रभाव भी दे सकती है। श्री त्रिवेदी और श्री सोधिया ने विधेयक के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो आपत्ति उठाई है, वह ठीक नहीं है। विधेयक का खण्ड २ संविधान के अनुच्छेद २८६ (२) के अन्तर्गत उपबन्ध के अनुरूप ही है। इसलिये उसमें कोई दोष नहीं है और उसको भूतलक्षी प्रभाव देने में कोई आपत्ति नहीं है। उस खण्ड का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिये कि यह सभा कर लगा रही है। यह तो बिहार विधान मंडल को भूतलक्षी प्राधिकार दे रही है और उसके परिणाम स्वरूप अभी तक वसूल किये गये कर उचित रूप से वसूल किये गये समझे जायेंगे। इसलिये यह धन विधेयक नहीं कहा जा सकता जैसा कि श्री त्रिवेदी ने उसे बताया। यह खण्ड कोई कर नहीं लगाता वरन् कानून को भूतलक्षी प्रभाव देने का प्राधिकार देता है।

पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान के मूल प्रारूप के खण्ड १६ के आधार पर यह आपत्ति उठाई कि उसमें कर मुक्त अन्तर्राज्यिक व्यापार की कल्पना की गई थी। परन्तु उस खण्ड को तो संसद्

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय]

ने स्वीकार नहीं किया था। फिर जो निर्णय पढ़ कर सुनाया गया उससे भी यह स्पष्ट है कि संसद् ऐसे कानून को पूर्णतः या कुछ आवश्यक शर्तों के साथ प्राधिकृत कर सकती है। विधेयक का उद्देश्य नहीं है कि अन्तर्राज्यिक व्यापार पर नीति के अनुसार कर लगाया जाये। यही कारण है कि इस कर को भविष्य में सदा के लिये वसूल किये जाने योग्य नहीं लिखा गया है। इस से यह स्पष्ट है कि कर मुक्त व्यापार के सिद्धान्त को सरकार मानती है। अस्तु यह कहना गलत है कि यह विधेयक असंवैधानिक है; यह शक्ति-परस्तात् भी नहीं है और हम उस पर चर्चा कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में आप को यह भी बता दूं कि विधेयक के लिये ४ घण्टे का समय रखा गया है।

†**श्री सी० डी० पांडे** (जिला नेनीताल व अल्मोडा--दक्षिण-पश्चिम व ज़िला बरेली--उत्तर) : एक घण्टे का समय औचित्य प्रश्न में चला गया इसलिये इस समय को बढ़ाकर ५ घण्टे कर देना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कितने सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं? केवल बारह ही सदस्य हैं, मैं १३ माने लेता हूं और प्रत्येक माननीय सदस्य को १५ मिनट का समय दूंगा।

†**श्री के० के० बसु** : उच्चतम न्यायालय ने इस विधान को अमान्य घोषित कर दिया है। जिन लोगों ने बिक्री कर दिये थे; उनको अब ये कर वापिस करना बड़ा कठिन एवं दुष्कर कार्य है। केवल कुछ बीच के आदमी ही इस कर के वापिस होने का लाभ उठा लेंगे और यह कर दाताओं को नहीं मिल सकेगा। इसलिये कर दाताओं को लाभ पहुंचाने के लिये करों को वापिस करने की बात करने में कोई सार नहीं है।

[**पंडित ठाकुरदास भार्गव** पीठासीन हुए]

जो तर्क दिये गये हैं और उपाध्यक्ष महोदय ने जो निर्णय दिया है, उसके पश्चात इस विधेयक विशेष के संविधानिक होने के बारे में तर्क करना कठिन है। यह विधेयक १ अप्रैल, १९५१ से ६ सितम्बर, १९५५ तक इकट्ठे किये गये कर को मान्यता देने के लिये है। विभिन्न राज्यों में कर लगाने और इकट्ठा करने की विधि में कोई अन्तर नहीं है। यदि वे इन करों को इकट्ठा करना चाहते हैं तो कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वास्तव में इस विधेयक का उद्देश्य और प्रयोजन संविधान के अनुच्छेद २८६ (२) के उपबन्धों के अनुकूल नहीं है। इसलिये मैं अनुभव करता हूं कि हमें शीघ्रता में ऐसी कोई विधि पारित नहीं करनी चाहिये जिस का भूतलक्षी प्रभाव हो। संसद् सर्व प्रभुत्व सम्पन्न होने के कारण ऐसी विधि को मान्यता दे सकती है जिसे न्यायालय ने अमान्य घोषित कर दिया हो। किन्तु ऐसे मामले में संसद् को बड़े ध्यान-पूर्वक और सतर्कता से काम लेना चाहिये। हमें संविधान के अच्छे उपबन्धों का उल्लंघण नहीं करना चाहिये। मुझे इस में सन्देह है कि अवैध विधि को मान्यता देने वाला यह विधेयक वह प्रयोजन पूरा कर सकेगा जिस के लिये यह प्रस्तुत किया गया है। मुझे भय है कि कहीं न्यायालय इसे भी अमान्य घोषित न करदे। इसलिये विधि मंत्री को इस पर खूब सोच विचार करना चाहिये। मुझे यह सन्देह है कि उपाध्यक्ष महोदय के निर्णय के उपरान्त भी इस खण्ड के शब्द ऐसे हैं, जिस से यह पता चलता है कि संसद् परोक्ष रूप से अमान्य चीज को अमान्यता देने का प्रयत्न कर रही है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से वह नहीं कर सकती। इसलिये इसे इस ढंग से रखना चाहिये कि यह संविधान के अनुच्छेद २८६ के उपखण्ड (२) के उपबन्धों के अनुसार हो।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : मैं केवल इस बात के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं कि क्या अवैध कर संग्रह को मान्यता देना उचित है। ठीक है जो कर इकट्ठा किया जा चुका है, उसे कर दाताओं को वापिस लौटाना कठिन है, क्योंकि बीच के लोग उसे खा जायेंगे, परन्तु हमें यह भी देखना है कि हमारा कार्य कहां तक उचित है। संसद् अपनी शक्ति के द्वारा न केवल पांच वर्ष पहले से किये जाने

†मूल अंग्रेजी में

वाले अमान्य कार्य को मान्यता दे सकती है, बल्कि पचास वर्ष पहले के अमान्य कर को भी मान्य घोषित करके कर इकट्ठा कर सकती है। यह पूर्णतया वैध होते हुये भी नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है। हम राज्य सरकारों की गलतियों के लिये अपने ऊपर उत्तरदायित्व क्यों ले रहे हैं ? राज्य सरकारों को करारोपण जैसे मामले पर विशेष सोच विचार के बाद और उनकी वैधानिक स्थिति जानकर ही कोई कर लगाना चाहिये। यदि आप धन ही इकट्ठा करना चाहते हैं तो लोगों को यह पता चलना चाहिये कि वह धन पूर्णतया वैध ढंग से लिया जा रहा है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अमान्य राज्य अधिनियम को मान्यता देना और समस्त कर संग्रह को वैध घोषित करना भी सर्वथा अनुचित होगा। व्यक्ति और राज्य के बीच सम्बन्ध उचित और नैतिक आधार पर अवलम्बित होने चाहियें।

दूसरे, ऐसा करना देश की न्यायपालिका के निर्णय की पवित्रता को भग करना है। हमें उच्चतम न्यायालय के निर्णय को सब तरह से अपनाना चाहिये, उसकी अवहेलना या उपेक्षा करना संसद् के लिये उचित नहीं है। इस प्रकार न्यायपालिका का क्षेत्राधिकार कम करना या उसके उद्देश्य को परास्त करना कोई उचित काम नहीं है।

यद्यपि वित्त मंत्री का तर्क दिलचस्प है, तथापि उनको उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। इस विधेयक का इस सभा में प्रस्तुत किया जाना बड़े दुःख का विषय है।

†**श्री वल्लाथरास** (पुदुकोटै) : मैं उपाध्यक्ष महोदय के इस निर्णय से सहमत हूं कि इस विधेयक पर विचार करना संसद् की क्षमता में है। संसद समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व अनुभव करती है और लोगों में प्रशासन के प्रति विश्वास बनाये रखने के लिये शक्तियों का समन्वय करना इस के क्षेत्राधिकार में है।

संविधान के अनुच्छेद २८६ (२) और ३०१ से ३०७ तथा २६४ (क) के पारित किये जाने का उद्देश्य क्या था; और उनके पीछे क्या सिद्धान्त था हमें यह देखना चाहिये। देश के विशाल संसाधनों को देखते हुये चार करोड़ रुपये की रकम कुछ भी नहीं है। इसके वापिस किये जाने से केन्द्र या राज्य सरकारें हिल नहीं जायेंगी। ऐसा विचार मन में लाना ही व्यर्थ है। प्रस्तावित अनुच्छेद २६४ के संशोधन का विचार करते समय संविधान सभा ने अपने परमाधिकार के द्वारा यह नीति निर्धारित की थी और उसका संविधान में उपबन्ध भी किया था कि कुछ राज्यों में जो बिक्री कर लगाया गया है, वह वाणिज्य और उद्योग की प्रगति तथा विकास के लिये हानिकर है, तो भी इसे ३१-३-१९५१ तक रहने दिया जाये और उसके बाद उन्हें समाप्त कर दिया जाये, क्योंकि वे विधियां संविधान के प्रतिकूल हैं।

मैं इस विधान को सर्वथा अनैतिक, अनुचित एवं बुरा तथा समाज घातक समझता हूं। यदि हम इसे पारित करते हैं तो कोई भी भावी सरकार भूतलक्षी प्रभाव से संसद् द्वारा समाप्त की गई विधियों को मान्यता देने लगी, तो देश की क्या अवस्था होगी ? यदि किसी सिद्धान्त में कोई त्रुटि हो, तो उस सिद्धान्त की अन्तर्निहित नीति की ओर ध्यान देना चाहिये। निस्संदेह न्यायालय नीति के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

जब विक्रय कर लगाया था, तो यह बहुत थोड़ा था किन्तु अब यह बढ़ कर छः गुना हो गया है। इस के विरुद्ध जनता प्रारम्भ से ही आन्दोलन करती आ रही है। ठीक है, राज्यों के राजस्व कम हैं और यह राजस्व का बड़ा भाग बन गया है, और राज्यों को अपनी योजनाओं आदि के लिये केन्द्र से बहुत सहायता लेनी पड़ती है। हमने वर्तमान स्थितियों के कारण इन सहायताओं के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति की टिप्पणियों को भी बर्दाश्त किया है इसके लिये हम यह कर सकते हैं कि राज्यों को कर लगाने की अधिक शक्ति दे दें। इस प्रकार के करारोपण का इतना जोरदार विरोध होते हुये भी इस पर अच्छी तरह विचार नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वल्लाथरास]

१९५२ में देश के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, किन्तु उसमें श्री राजगोपालाचारी ने सारी योजना खराब कर डाली । उसके बाद आठ सदस्यों की समिति नियुक्त की गई थी, उसका क्या हुआ है ?

क्या केन्द्रीय सरकार इन छः वर्षों में सोती रही और राज्य सरकारों द्वारा अवैध विधियों के द्वारा लोगों का धन छीना जाना देख कर भी वह चुप रही ? फिर अब यह कह कर कि राज्यों का वित्तीय आधार टूट जायेगा, अवैध विधियों को मान्यता देना कहां की बुद्धिमत्ता है, और कहां का न्याय है ?

राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकारों के बीच इस विषय में कोई ठीक सम्पर्क नहीं रहा है । केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों की सब कार्रवाहियों पर निगरानी रखनी चाहिये ताकि वे वैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग न कर सकें । केन्द्रीय सरकार इस मामले में अपना कर्त्तव्य पालन नहीं कर सकी, इसीलिये यह विधेयक प्रस्तुत कर रही है ।

अब आकस्मिकता क्या है उच्चतम न्यायालय के निर्णय के तीन महीने बाद लोग नोटिस आदि भी दे चुके हैं । प्रत्येक राज्य के हिस्से में थोड़ा-थोड़ा धन आयेगा उससे वित्तीय ढांचा नहीं गिर सकता ।

अध्यादेश सर्वथा अनुचित और अनावश्यक था । अवैध विधियों को मान्यता देने वाले अध्यादेश के औचित्य पर और अधिक विचार करना आवश्यक है ।

यदि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की सहायता करना चाहती है तो वह उनको अनुदान दे सकती है । परन्तु इस प्रकार अवैध विधियों को मान्यता देने से प्रशासन पर से लोगों का विश्वास और श्रद्धा उठ जायेगी ।

एक रुपये पर दो पैसे कर से लोगों को क्रोध नहीं आता, जितना इस कर को इकट्ठा करने के ढंग पर क्रोध आता है । विक्रय कर इकट्ठा करने वाले लोग डाकुओं की तरह समझे जाते हैं । इकट्ठा करने के इस ढंग के कारण ही लोगों में असंतोष है और आन्दोलन हो रहा है ।

उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि सरकार करारोपण जांच आयोग की सिफारिशों का ध्यान रखते हुये अनुच्छेद्र २८६ में संशोधन करना चाहती है । किन्तु जब अनुच्छेद २८६ (२) के अन्तर्गत सरकार विधान बना सकती है, तो इस संशोधन की क्या आवश्यकता है ?

हमारा, संसद् का, यह कर्त्तव्य है कि वह देखे कि क्या ऐसा विधान नैतिक दृष्टि से उचित और ठीक है, तथा क्या इस के पारित किये जाने से प्रशासन पर से लोगों का विश्वास तो नहीं उठ जायेगा ।

†**श्री बी० बी० गांधी** (बम्बई नगर—उत्तर): इस विधेयक की वैधता के बारे में बहुत से सदस्य बोल चुके हैं । किन्तु बेचारे राज्यों और उपभोक्ताओं को बिल्कुल ही भुला दिया गया है । मैं उन की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

वित्त मंत्री ने ५ करोड़ रुपये के वापिस किये जाने से राज्यों को होने वाली हानि का वर्णन किया हैं, परन्तु क्या हमें उन लोगों उपभोक्ताओं का ध्यान नहीं रखना चाहिये, जिन्होंने यह कर दिया है ।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय की घोषणा होने के कारण अब यह विधेयक विक्रीय कर विधियां मान्यीकरण अध्यादेश १९५५ का स्थान लेने के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है ।

यदि हम इन सब बातों को समझें तो हमें इस विधान का समर्थन करना पड़ेगा । परन्तु उसके बाद भी यह विक्री कर की समस्या बराबर बनी रहती है जिस के कारण उपभोक्ताओं को बड़ी असुविधा और परेशानी होती है और काफी अन्याय होता है ।

उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि कर जांच आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद २८६ में उचित संशोधन किया जायगा, किन्तु उस संशोधन के रूप की कोई व्याख्या नहीं की गई है, तो भी हम उसका कुछ अनुमान लगा सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कर जांच आयोग ने केवल छः महत्वपूर्ण वस्तुओं के बारे में उल्लेख करते हुये सिफारिशें की हैं। यदि नवीन विधान का क्षेत्र इन वस्तुओं तक ही सीमित रहा, तो बिक्री कर की यह समस्या हल नहीं होगी। इस समिति को कोई अधिक मूलभूत दृष्टिकोण अपनाना चाहिये था। इस आयोग ने केवल कुछ हेर-फेर के द्वारा राज्यों के राजस्व का ध्यान रखते हुये ही सिफारिशें की हैं, कोई मूलभूत दृष्टिकोण से इस समस्या को हल करने का प्रयत्न नहीं किया है।

बिक्री कर वाणिज्य और व्यापार के बीच बाधायें उत्पन्न करता है, इस कारण करारोपण के सिद्धान्तों का उल्लंघन करने के अतिरिक्त राजकोषीय नीति के भी विपरीत है। इन बिक्री करों के सिद्धान्त, नियम और इकट्ठा करने के तरीके सब भिन्न-भिन्न हैं, कोई एकरूपता उनमें नहीं है। इस नीति के कारण लोगों में लालच और धोखेबाजी की भावना बहुत जोरों पर काम करने लग गई है। छः वस्तुओं को अन्तर्राज्यिक विक्रय कर से मुक्त करने की इस आयोग द्वारा सिफारिश की गई है, किन्तु किसी भी राज्य ने उन्हें इस कर से मुक्त नहीं किया है। इस से पता चलता है कि स्वार्थ की भावना कितनी प्रबल हो उठी है। मैं आशा करता हूं कि नवीन विधान में इस संकुचित मनोवृत्ति को दबाने के लिये कोई ऐसा उपाय किया जायगा जिस से स्वार्थ की यह भावना समाप्त होकर दूसरों के न्याय का भी ध्यान रखा जा सके।

†**सभापति महोदय** : जहां तक इस बात का सम्बन्ध है उन्हें अपने विचार अभिव्यक्त करने का पूर्ण अधिकार है। परन्तु वह एक ऐसे विधेयक के गुणावगुणों के सम्बन्ध में बोल रहे हैं जो अभी तक प्रस्तुत नहीं हुआ है।

†**श्री बी० बी० गांधी** : मैं तो इसके सम्बन्ध में केवल यही कहना चाहता हूं इस प्रस्थापित नवीन विधान के सम्बन्ध में कार्यवाही शीघ्रता से की जाये जिस से ये सभी कष्ट, ये सभी आतंक, ये सभी अन्याय तथा ये सभी रुकावटें समाप्त हो जायें।

वित्त मंत्री ने अभी अभी इस बात की ओर निर्देश किया है कि यदि यह विधान पारित न हुआ तो राज्य सरकारों के पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। बम्बई राज्य के वित्त मंत्री श्री जीवराज मेहता ने एक वक्तव्य में बताया है कि बम्बई राज्य को अन्तर्राज्यिक विक्रय पर केन्द्रीय कराधान से ४ करोड़ की राशि प्राप्त करने की आशा थी, परन्तु क्योंकि केन्द्रीय कराधान अभी तक लागू नहीं हुआ है, बम्बई वह राशि न प्राप्त कर सका। इसीलिये बम्बई राज्य को अतिरिक्त राशि पूरी करने के लिये कई प्रकार के करों में वृद्धि करनी पड़ी। ऐसा केवल बम्बई में ही नहीं, अपितु लगभग सभी राज्यों में हो रहा है।

अतः इन्हीं कारणों के आधार पर मेरा यह कथन है कि सरकार केवल इस विधान को पारित कर के ही संतुष्ट होकर न बैठ जाये, अपितु इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करने का भी पूरा प्रयत्न करें।

†**सभापति महोदय** : क्या यह कर संविधान के प्रारम्भ से पूर्व के किसी अधिनियम के अधीन एकत्रित किया गया है अथवा संविधान के प्रारम्भ के उपरान्त पारित किये गये किसी अधिनियम के अधीन किया गया है ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : कुछ एक अधिनियम तो संविधान के प्रारम्भ के उपरान्त पारित किये गये होंगे और कुछ एक उससे पूर्व, कुछ एक पूर्ववर्ती-अधिनियम परिवर्तित अथवा संशोधित किये गये होंगे, उनके दर बढ़ा दिये गये होंगे और कुछ एक अधिनियमों पर हमारे विधान का प्रभाव पड़ा होगा।

†**सभापति महोदय** : क्या अनुच्छेद २८६ (३) के अधीन किसी भी विधि के परिणामस्वरूप कोई कर एकत्रित किया गया है ?

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : २८६ (२) परन्तुक के अधीन ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सी० डी० देशमुख** : यहां एक सूची है। सम्भव है कि इस में कई वस्तुयें ऐसी हों जिन पर इस समय अत्यावश्यक वस्तुयें अधिनियम के द्वारा कर लग सकता है।

†**सभापति महोदय** : मान लीजिये कि विधान मंडल कोई ऐसी विधि पारित कर देता है जो कि २८६ (३) के अधीन आती है।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : वह सब कुछ अनुमति से होता है।

†**सभापति महोदय** : उसमें अनुमान का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। उसमें तो केवल यही है "तब तक प्रभावीन होगी जब तक कि राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित किये जाने पर उसे उसकी अनुमति प्राप्त न हो गयी हो"। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एकत्रित किये गये कोई ऐसे कर हैं जिन्हें २८६ (३) के अधीन विचार के लिये रक्षित नहीं किया गया था अथवा जिन्हें राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है, और अब जिन्हें विधिवत् बनाने की अनुमति मांगी गयी है ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मेरे ध्यान में ऐसा कोई नहीं है।

†**सभापति महोदय** : मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस विषय में पता करने का प्रयत्न करें।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : करों के सम्बन्ध में खोज करना तो किसी और व्यक्ति का काम है.....

†**सभापति महोदय** : इस बात को देखना कि क्या कोई कर २८६ (३) अनुच्छेद के अधीन आता है अथवा नहीं, सरकार का काम है।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मुझे उन से यह पूछना पड़ेगा, क्या आपने विधि का उल्लंघन करते हुये कोई कर लगाया है।

†**सभापति महोदय** : मान लीजिये कि कोई कर किसी विशेष अधिनियम के अन्तर्गत एकत्रित किया गया है, तो मंत्री महोदय पता कर सकते हैं कि क्या वह अधिनियम २८६ (३) के अधीन आता है अथवा नहीं।

†**श्री सी० सी० शाह** (गोहिलवाड–सोरठ) : जहां तक २८६ (३) का सम्बन्ध है, स्थिति यह है कि यदि किसी राज्य में कोई ऐसा विधान है जो कि संविधान के प्रारम्भ से पूर्व ही पारित हो चुका था और जो कि किसी ऐसी वस्तु पर कर लगाता है जो कि संविधान के प्रारम्भ के उपरान्त राज्य द्वारा अत्यावश्यक वस्तु घोषित कर दी गयी है तो वह अधिनियम मान्य ही रहेगा। और यदि वह अधिनियम संविधान के प्रारम्भ के उपरान्त पारित हुआ है तो जब तक उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त न होगी, वह मान्य न होगा।

†**सभापति महोदय** : अनुच्छेद २८६ (३) के अधीन ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि क्या कोई अधिनियम पहले पारित हुआ था अथवा पश्चात्। मैं तो केवल यही जानना चाहता हूं कि क्या इन अनुच्छेदों से सम्बन्ध रखने वाले कोई ऐसे अधिनियम हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा विचार करने के लिये सुरक्षित नहीं किया गया था और क्या उनके अधीन कोई कर एकत्रित किये गये थे।

†**श्री सी० सी० शाह** : जहां तक मैं उच्चतम न्यायालय के कुछ एक निर्णयों से जान सका हूं, कुछ एक राज्यों ने विधियां पारित की हैं जिन के द्वारा उन वस्तुओं पर कर लगाये गये हैं जिन्हें संसद् ने अब 'अत्यावश्यक वस्तुयें' घोषित कर दिया है। परन्तु ऐसे वे सभी विधियां, संविधान के प्रारम्भ से पूर्व ही पारित होने के बावजूद भी मान्य हैं।

†**सभापति महोदय** : एक और परन्तुक भी है, और वह है अनुच्छेद २८६ (२) का परन्तुक इस के अधीन वे सभी अधिनियम १ मार्च, १९५१ से समाप्त हो गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सी० डी० देशमुख** : पृष्ठ १० पर सूची में अजमेर के नाम के सम्मुख एक टिप्पणी लिखी हुई है कि अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गयी है।

†**श्री सी० सी० शाह** : वह अधिनियम संविधान के प्रवर्त्तन के उपरान्त पारित हुआ होगा।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : उसमें 'लोहा तथा इस्पात' सम्मिलित हैं जो कि 'अत्यावश्यक वस्तुओं' के अन्तर्गत आते हैं। अतः मैं यही कहूंगा कि प्रत्यक्षतः ऐसी कोई भी विधि पारित नहीं की गयी है जो कि संविधान का उल्लंघन करती है।

†**सभापति महोदय** : यह तो केवल अजमेर के सम्बन्ध में हुआ।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : जहां तक अन्य राज्यों का सम्बन्ध है, हम यह अनुमान कर सकते हैं, कि वहां भी वैसी ही स्थिति होगी। मैं कल उन अधिनियमों की एक सूची प्रस्तुत कर सकता हूं जिन्हें राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिये रक्षित किया गया था। मैं उन अधिनियमों की भी एक सूची प्रस्तुत कर सकता हूं जो कि हमारे पास भेजे गये थे परन्तु स्वीकार नहीं किये जा सके थे। तो भी मैं इस बात का दावा करता हूं कि इस समय जो भी कर लगाये जा रहा हैं वह सभी वैध हैं अथवा यदि ऐसा विधान पहले ही पारित हो जाता तो वैध होता।

†**सभापति महोदय** : दो प्रकार के मामले हैं एक तो वे जो कि संविधान के प्रारम्भ से पूर्व पारित हुई विधियों के अधीन आते हैं और दूसरे वे जो उसके उपरान्त बने हैं। प्रथम प्रकार के मामलों पर २८६ (२) का परन्तुक लागू होता है। वे सभी १ मार्च, १९५१ को समाप्त हो जाने चाहिये थे।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : इसीलिये, यदि आज हम उन्हें मान्यता प्रदान कर दें तो वे सभी वैध हो जायेंगे।

†**सभापति महोदय** : मैं इसके विषय में नहीं जानता; जहां तक विधेयक के प्रस्तुत उपबन्धों का सम्बन्ध है, इनमें ऐसी किसी भी विधि का निर्देश नहीं है जो कि संविधान से पूर्व बनायी गयी थी और जो कि ३१-३-१९५१ को समाप्त हो गयी थी।

†**श्री बंसल** (झज्जर-रेवाड़ी) : विधेयक के वैधानिक पक्ष पर भारी चर्चा होने के उपरान्त मैं इस के सामाजिक पक्ष पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा। परन्तु उससे पूर्व मैं बिक्री कर के इतिहास का भी संक्षेप में वर्णन करूंगा।

जब संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय एक आधारभूत दृष्टिकोण यह था कि अन्तर्राज्यिक विक्रय अथवा क्रय पर कोई कर न लगाया जाये। उसमें एक अपवाद रखा गया था कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य राज्य से कोई वस्तु प्रत्यक्ष उपभोग के लिये मंगाता है तो उस वस्तु पर निर्यात करने वाले राज्य में कर लगाया जा सकता है। परन्तु बाद में इसमें एक कठिनाई उत्पन्न हो गयी। मान लीजिये कि कोई व्यक्ति एक मोटर कार बम्बई से आयात करके दिल्ली लाता है तो उस पर न तो बम्बई में बिक्री कर लगेगा और न ही दिल्ली में। इसी लिये इस बात की आवश्यकता का अनुभव किया गया कि या तो सभी राज्यों के लिये एक जैसे नियम बनाये जायें अथवा निर्यात करने वाले राज्यों में उन वस्तुओं पर भी कर लगाया जाये जो कि वहां से बाहिर भेजी जाती हैं। यह एक विचारणीय बात है और यदि बिक्री कर के प्रश्न पर विचार करते समय उसे छोड़ दिया जाये तो एक भारी अन्याय होगा। परन्तु इस पर कुछ विचार न किया गया और परिणाम यह हुआ कि आज प्रत्येक राज्य अधिक से अधिक बिक्री कर एकत्रित करने का प्रयत्न कर रहा है। इसीलिये तो आज व्यापारी वर्ग सरकार से प्रार्थना करता है कि वह इस प्रकार की अव्यवस्थित विधि को समाप्त करे तथा कोई ऐसा विधान बनाये जिस से न तो राज्य के राजस्वों में कमी हो और न ही व्यापारी वर्ग को कष्टों और कठिनाइयों का सामना करना

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बंसल]

पड़े। उदाहरणार्थ दिल्ली राज्य, कपड़े के व्यापार का एक मुख्य केन्द्र है जो कि भारत के लगभग सभी राज्यों से कपड़ा मंगाता है। यहां के कपड़ा व्यापारियों को प्रत्येक राज्य से आने वाले सामान के लिये पृथक्-पृथक् खाते रखने पड़ते हैं।

†**सभापति महोदय** : इन सभी कठिनाइयों के सम्बन्ध में सभी को ज्ञात है। हम तो यहां पर विधेयक के उपबन्धों पर विचार कर रहे हैं, अतः माननीय सदस्य से प्रार्थना है कि वह अपने तर्कों को इसी बात तक सीमित रखें।

†**श्री बंसल** : मैं तो वित्त मंत्री का ध्यान इन कठिनाइयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करें ता कि यह सारी अव्यवस्था दूर हो सके।

विधेयक के इस विशिष्ट उपबन्ध के सम्बन्ध में मुझे इस बात का भय है कि विधेयक के पारित हो जाने के उपरान्त भी इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी और उच्चतम न्यायालय इसे फिर से 'शक्ति से परे' घोषित कर देगा।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : उच्चतम न्यायालय ने स्वयं सुझाव दिया है कि राज्य संसद् से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं।

†**सभापति महोदय** : किसी भी विषय का अन्तिम निर्णय करने वाली संसद् है। भूतकाल में भी हमी निर्णय देते रहे हैं जैसे कि जमींदारी अधिनियम में किया था। वैसे, हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मान करते हैं।

†**श्री बंसल** : मैं यह नहीं कह रहा कि हमें कोई अधिकार नहीं। परन्तु यदि कोई मामला साधारण सा हो जिस में कि देश की कोई बहुत बड़ी राष्ट्रीय नीति निहित न हो तो हमें न्यायालय के निर्णय को मान लेने का प्रयत्न करना चाहिये। इस मामले में भी लगभग ३ करोड़ रुपये निहित हैं। मैं यह मानता हूं कि यह एक बड़ी राशि है परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार निर्णय की तिथि से लेकर आज तक क्या करती रही है।

†**सभापति महोदय** : क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिये जाने के उपरान्त भी इन विधियों के अधीन कर एकत्रित किये जाते रहे हैं?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : निर्णय के उपरान्त कोई भी राज्य ऐसा नहीं कर सकता। बल्कि निर्णय घोषित होने से पूर्व भी हम राज्यों पर इस बात का जोर देते रहे हैं कि वे अन्तर्राज्यिक सौदों पर कर एकत्रित न करें, तथा प्रधान मंत्री ने भी सभी मुख्य मंत्रियों को एक पत्र लिखा था कि इससे व्यापारियों को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इस लिये ये कर एकत्रित न किये जायें। कई एक राज्य सरकारों ने हमारे परामर्श को मान लिया। कुछ एक ने यह कहा कि वे उच्चतम न्यायालय का निर्णय घोषित होने तक प्रतीक्षा करेंगे। परन्तु यह बात पूर्णरूपेण निश्चित है कि निर्णय के घोषित होने के उपरान्त किसी भी राज्य ने इस प्रकार का कोई भी कर एकत्रित नहीं किया है।

†**श्री बंसल** : मैं भी तो यही कह रहा हूं। इसी लिये तो मेरा यह कथन है कि ४ या ५ करोड़ रुपये की इस राशि को वापिस कर दिया जाये। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार अग्रसर हो तथा उन राज्य सरकारों से कहे कि वे इस राशि को वापिस बांट दें।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : इस से बहुत कम व्यक्तियों को लाभ होगा क्यों कि यह राशि अनेकों उपभोक्ताओं से एकत्रित की गयी थी, और अब उन 'सभी लोगों को ढूंढना बड़ा कठिन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बंसल** : मैं उनके कथन से सहमत हूं। इस विधान में एक भारी त्रुटि है। विधेयक से यह प्रकट होता है कि विधियों का उल्लंघन केवल उन्हीं मामलों में समझा जायेगा जिन में विक्रय कर प्राधिकारियों ने कोई कार्यवाही की है, और जिन में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है वे भी सभी मामले इस से बाहिर हैं। इस प्रकार से तो यह विधेयक भेदभाव पूर्ण नीति से पूर्ण है। भले आदमी तो कर अदा करते रहते हैं परन्तु चालाक व्यापारी इस विधेयक के पारित हो जाने के उपरान्त भी बिल्कुल बच जायेंगे।

†**श्री सी० सी० शाह** : विधेयक के शब्दों का तात्पर्य यह है कि जिन व्यक्तियों पर कर लगाया गया है परन्तु अभी तक वसूल नहीं किया गया है उनसे भी कर वसूल किया जा सकेगा।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : यदि माननीय सदस्य इसे पढ़ेंगे तो वह देखेंगे कि इस में लिखा है कि क्रय अथवा विक्रय अवश्य ही १ अप्रैल, १९५१ से ६ सितम्बर, १९५५ तक की अवधि के भीतर किसी अन्तर्राज्यिक व्यापार में हुआ हो, तो उसी स्थिति में इस प्रकार के कर लगाने वाली विधियां मान्य समझी जायेंगी। वास्तव में अन्तिम तीनों पंक्तियों की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्हें सावधानी के रूप में व्यर्थ में ही रखा गया है।

†**सभापति महोदय** : क्या उन लोगों से भी कर एकत्रित किये जायेंगे जिन पर अदा करने का दायित्व है परन्तु जिन्होंने अभी तक कर दिया नहीं है ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं तो ऐसा ही समझता हूं परन्तु ६ सितम्बर, १९५५ के उपरान्त के किसी विक्रय पर कोई कर न लगेगा। उस तिथि के उपरान्त भेद भाव का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री बंसल** : यह एक अत्यन्त गम्भीर प्रश्न है। तथापि मेरा तो यही परामर्श है कि इस विधेयक पर कोई विचार न किया जाये और इस अन्तर्राज्यिक बिक्री कर को नियमित करने के लिये सरकार शीघ्र ही स्वयं एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करे।

श्री हेडा (निजामाबाद) : सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी के मुकदमे में जो फैसला दिया है उसकी वजह से अनकरीबन सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट्स की पोजीशन (स्थिति) बहुत ही परेशानीकुन हो गयी है। उनको यह खतरा लाहक हुआ है कि जो इन्टर स्टेट (अन्तर्राज्यिक) सेल्स टैक्स उन्होंने वसूल किया उसको कहीं वापस न अदा करना पड़े। और यही वजह है कि उन्होंने सेन्ट्रल गवर्नमेंट की और पार्लियामेंट की मदद चाही है। आज हम उनकी मदद के लिये आ रहे हैं। इसके पहले एक आर्डिनेन्स के जरिये से उनकी मदद की गयी और अब उस आर्डिनेन्स को इस बिल के जरिये रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है।

सेल्स-टैक्स और खासकर इन्टर स्टेट सेल्स-टैक्स होना चाहिये या नहीं इसके मैरिट्स में मैं नहीं जाना चाहता। मैं जाती तौर पर सेल्स-टैक्स का मुखालिफ नहीं हूं। लेकिन एक अन्देशा आम लोगों में महसूस किया जा रहा है और मुझे खुशी है कि उसका पुरजोर अल्फाज में हमारे दोस्त श्री गुरुपादस्वामी और श्री वल्लाथरास ने इजहार किया है, और दूसरे दोस्तों ने भी उसका इजहार किया है। वह अन्देशा यह है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट बगैर दस्तूरी अख्तियार (संविहित शक्ति) के कोई टैक्स लगा देती है और उसके इस काम को अगर हम बाद में कानूनी करार दे देते हैं, और इस गलती से उस स्टेट गवर्नमेंट को जो परेशानी होनी चाहिये थी और जो सजा मिलनी चाहिये थी उससे अगर उसको नजात दिला देते हैं तो जनता में यह अहसास बढ़ता चला जायेगा कि हुकूमत चाहे कोई काम कर ले, वह चाहे कानून या दस्तूर के तहत जायज हो या न हो, उसके खिलाफ कोई चारेकार हासिल नहीं है। अंग्रेजी दस्तूर का एक

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेडा]

उसूल है और वह दस्तूर अंग्रेजी जबान में इस तरह बयान किया जाता है : "दी किंग डज नो रौंग" [सम्राट कभी अपकृत्य नहीं करता] उनके यहां कोई लिखा हुआ दस्तूर नहीं है। इस लिहाज से पूरे के पूरे अख्तियारात जिनकी कल्पना की जा सकती है हुकूमत को या बादशाह को हैं, इस तरह का तसव्वुर (कल्पना) किया जाता है। लेकिन हम ने कांस्टीट्यूशन (संविधान) पास किया है और हर एक स्फियर (क्षेत्र) के अन्दर अलग-अलग सतह के लिये अलग-अलग तरीके से सीमाबन्दी की है, और हमने यह निर्णय किया है कि यह पार्लियामेंट भी, जिसको हम सावरिन (सर्वप्रभुत्व सम्पन्न) कहते हैं, उसी कांस्टीट्यूशन के तहत कानून पास करेगी। वह कांस्टीट्यूशन को तबदील कर सकती है यह अलग बात है, लेकिन जब तक कांस्टीट्यूशन अपनी जगह पर कायम है तब तक उसी के मुताबिक कानून पेश होंगे और पास हो सकेंगे। इस तरह से हमने अपने ऊपर और सभी तरफ पाबन्दी लगायी है। इसलिये अगर कोई काम गलत हो गया है और बाद में जाहिर होता है कि वह गैर-कानूनी था, और उसको अगर हम कानूनी करार दे दें तो जनता का अन्देशा बढ़ता रहेगा।

श्री सी० डी० देशमुख : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तो वह जायज था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सितम्बर सन् १९५५ तक वह कर वसूल करना जायज था।

श्री हेडा : मैंने बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी के फैसले का जिक्र किया है। मैं पहले फैसले का जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन सबके पास लीगल डिपार्टमेंट (विधि विभाग) मौजूद हैं। उनको कानूनी मशविरा मिल सकती है और उनको हर तरह की सहूलियत मिली हुई है। इन सब चीजों के बावजूद जो अहतियात की जानी चाहिये थी वह नहीं की गयी। उनको पहले पार्लियामेंट के जरिये एनेबलिंग कानून (सक्षमकारी विधि) पास करा लेना चाहिये था। ऐसा उन्होंने नहीं करवाया।

†**श्री पाटस्कर :** १९५३ में उच्चतम न्यायालय का स्वयं यह विचार था कि ऐसी कोई बात जरूरी नहीं है।

†**श्री हेडा :** मैं १९५३ के निर्णय की नहीं, हाल ही के निर्णय की बात कर रहा हूं। उसमें यह कहा गया था कि जब तक संसद् अन्तर्राज्यिक बिक्री-कर लगाने की शक्ति देने वाला कानून पास न करे राज्य सरकारें ऐसा नहीं कर सकतीं। मेरा कहना यह है कि राज्य सरकारों के अपने विधि विभाग भी तो थे।

†**श्री पाटस्कर :** प्रारम्भ में उच्चतम न्यायालय भी इसी बात से सहमत था।

†**श्री हेडा :** सारी बात यह है कि मैं तो अभी हाल के निर्णय का उल्लेख कर रहा हूं।

†**श्री सी० डी० देशमुख :** माननीय सदस्य तो यह कह रहे हैं कि राज्य सरकारों के विधि सम्बन्धी पदाधिकारी उच्चतम न्यायालय के पहले निर्णय से सहमत न होते और उन्हें यह राय देते कि वे कर न लगायें।

†**श्री हेडा :** जी, नहीं। इस सम्बन्ध में संविधान का अनुच्छेद बिलकुल स्पष्ट है और यदि राज्य सरकारें १९५३ के निर्णय के बावजूद यह चाहतीं कि संसद् एक सक्षमकारी विधि बनाये तो इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। परन्तु इस सम्बन्ध में किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि लोगों के दिल में यह विचार जोर पकड़ता जा रहा है कि सरकार चाहे जो भी करे--वह संविधान के अन्तर्गत

---

†मूल अंग्रेजी में

हो या न हो—वह ठीक ही हो जायगा क्योंकि जनता की इच्छा सर्वोपरि है और यदि कोई बात बाद में गैर-कानूनी निकलती है तो संसद् उसे कानूनी बना सकती है ।

मैं इस चीज के बाद यह अर्ज करना चाहता हूं कि.....

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य और कितना समय लेंगे ?

†**श्री हेडा** : मुझे सात आठ मिनट और चाहियें;

†**सभापति महोदय** : तो वह अपना भाषण कल जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, २९ फरवरी, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, २८ फरवरी, १९५६]

पृष्ठ

निधन सम्बन्धी उल्लेख ... ४१९

उपाध्यक्ष महोदय ने श्री लालचन्द नवलराय के निधन का उल्लेख किया जो केन्द्रीय विधानसभा के सदस्य थे। इसके बाद लोक-सभा के सदस्य उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये एक मिनट तक मौन खड़े रहे।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४१९–२०

(१) विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के निम्न लिखित विवरण :—

(क) अनुपूरक विवरण संख्या २ लोक-सभा का ग्यारहवां सत्र, १९५५

(ख) अनुपूरक विवरण संख्या ६ लोक-सभा का दसवां सत्र, १९५५

(ग) अनुपूरक विवरण संख्या १२ लोक-सभा का नवां सत्र, १९५५

(घ) अनुपूरक विवरण संख्या १६ लोक-सभा का आठवां सत्र, १९५४

(ङ) अनुपूरक विवरण संख्या १९ लोक-सभा का सातवां सत्र, १९५४

(च) अनुपूरक विवरण संख्या २६ लोक-सभा का छठा सत्र, १९५४

(छ) अनुपूरक विवरण संख्या ३१ लोक-सभा का पांचवां सत्र, १९५३

(ज) अनुपूरक विवरण संख्या ३५ लोक-सभा का चौथा सत्र, १९५३

(झ) अनुपूरक विवरण संख्या ४१ लोक-सभा का तीसरा सत्र, १९५३

(२) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम १९४८ की धारा ३६ के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वित्तीय वर्ष १९५३–५४ का वार्षिक प्रतिवेदन,

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के १९५३–५४ के परीक्षित लेखे।

(३) सम्पदा शुल्क अधिनियम, १९५३ की धारा ८५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या १५/एफ० संख्या १/१६/५५ ई० डी०, दिनांक १३ फरवरी, १९५६ की एक प्रति, जिसके द्वारा सम्पदा शुल्क नियमों, १९५३ में कुछ और संशोधन किये गये हैं।

राष्ट्रपति से संदेश ... ४२०

उपाध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रपति का संदेश लोक-सभा को पढ़ कर सुनाया, जिसमें राष्ट्रपति ने इस बात पर संतोष प्रकट किया है कि लोक-सभा के सदस्यों ने उन्हें संसद् के एक साथ समवेत दोनों सदनों क समक्ष उनके १५ फरवरी, १९५६ के अभिभाषण पर धन्यवाद दिया है।

पृष्ठ

राज्य-सभा से संदेश ४२०

सचिव ने राज्य-सभा का यह सन्देश पढ़ कर सुनाया कि राज्य-सभा ने १७ फरवरी, १९५६ को हुई अपनी बैठक में भारतीय रुई उपकर (संशोधन) विधेयक, १९५६ पारित कर दिया है ।

राज्य-सभा द्वारा पारित विधेयक--सभा-पटल पर रखा गया ... ४२१

सचिव ने राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में भारतीय रुई उपकर (संशोधन) विधेयक, १९५६ सभा-पटल पर रखा ।

एक सदस्य की गिरफ्तारी

उपाध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को सूचना दी कि उन्हें जिला न्यायाधीश, दिल्ली का २५ फरवरी, १९५६ का एक पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि बम्बई के चीफ प्रेसीडेन्सी न्यायाधीश द्वारा जारी किये गये बिना जमानत वाले एक वारंट पर लोक-सभा के सदस्य पंडित भगवती चरण शुक्ल को २५ फरवरी, १९५६ को १ बजे म० प० पर गिफ्तार कर लिया गया ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ४२१

बीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

समिति के लिये निर्वाचन ४२१

लोक-सभा ने राष्ट्रीय सेना छात्र दल की केन्द्रीय मंत्रणा समिति के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया ।

विधेयक पुरःस्थापित ४२१–२२

कृषि उत्पाद (विकास तथा गोदामों में रखने की व्यवस्था) निगम विधेयक पुरः-स्थापित किया गया ।

विधेयक पारित ४२२–४३

पूंजी निर्गम (नियन्त्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक पर और आगे विचार किया गया । विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्ड २, ३ और १ स्वीकृत हुये और विधेयक पारित कर दिया गया ।

विचाराधीन विधेयक ४४४–६३

वित्त मंत्री (श्री सी ० डी० देशमुख) ने बिक्री कर विधियां मान्यीकरण विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव रखा । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

बुधवार, २९ फरवरी, १९५६ के लिये कार्यावलि--

बिक्री कर विधियां मान्यीकरण विधेयक पर विचार और उसका कारण । १९५६–५७ के आय-व्ययक का उपस्थापन और वित्त विधेयक का पुरःस्थापन ।

M83LSD—27-9-57—GIPF